BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

MISC. APPLICATION No. 57 of 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION No. No. 613 OF 2022

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN SAHANI ..... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS .....**RESPONDENTS**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply/Response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	
2.	**ANNNEXURER3/1** True copy of the advertisement publish in News Paper.	
3.	**ANNNEXURE R3/2** True copy of the letters of issued in different dated.	
4.	**ANNNEXURER3/3** True copy of the inspection report.	

NEW DELHI
DATED: 29.07.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Misc. Application No. 57 of 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 613 of 2022**

IN THE MATTER OF:
RAM MILAN SAHANI ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U. P.& ORS. ...RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 26.07.2024 AND 09.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

I, Ashutosh Chauhan aged aged about 45 years S/o Late Shri Ratan Singh Chauhan, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Gorakhpur, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That in the present matter applicant has raised grievances that an average 500 tons of garbage is dumped on embankment of Rapti River at Nausad Akla Bandha/ Kalani, which has reached main river

causing serious pollution to river and every day there is burning of garbage emitting toxic gases, causing serious health hazards to the residents and damage to the environment in Gorakhpur.

3. That upon considering the present grievance this Hon'ble Tribunal vide its order dated 26.07.2024 was pleased to disposed of the original application with following directions:

...70. In its report UPPCB has not indicated the compliance status regarding review of implementation of the Rules at least twice a year in close coordination with concerned Directorate of Municipal Administration or Secretary-in-charge of State Urban Development Department; monitoring the environment standards of the operation of the solid waste processing and treatment facilities and adherence to conditions as specified under the Schedule I and Schedule II for waste processing and disposal sites, compliance with requirements of authorization, consents under respective enactments and views of other agencies, as may be applicable and submission of annual returns by all concerned in the State of Uttar Pradesh collectively and Gorakhpur separately as mandated by SWM Rules 2016. In its report UPPCB has mentioned about dumping of garbage on Ekla

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) GOVT. OF INDIA

Bandha of River Rapti by Municipal Corporation without obtaining its consent but the UPPCB has not taken any action in respect of violations of SWM Rules by Municipal Corporation, Gorakhpur.

71. The Member Secretary, UPPCB is directed to look into these aspects and take appropriate action and also to initiate appropriate proceedings for prosecution of the concerned officers and imposition and realization of environmental compensation on Municipal Corporation, Gorakhpur for past violations within three months and file action taken report in this regard...

...76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
Regn. No. 43/15
GOVT OF INDIA

solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn-N0947/1/15 GOVT OF INDIA

processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places...

...79. Reports as directed above may be submitted within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions...

4. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 26.07.2024 report dated 23.11.2024 has been submitted by Municipal Corporation, Gorakhpur for consideration. Upon considering the report this Hon'ble Tribunal has

registered the present Misc. Application with direction to the respondent to file their compliance reports.

5. That it is pertinent to mention here that in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 26.07.2024, the UPPCB has district wise published advertisements in local newspapers around the entire State of Uttar Pradesh to ensure adequate publicity.

   A true copy of the advertisements published in the local newspapers are collectively being annexed herewith as **Annexure No. R3/1**.

6. That it is further submitted that the UPPCB has issued letters on different dates to the concerned local bodies to comply with the directions issued by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 26.07.2024.

   A true copy of the letters issued on different dates are collectively being annexed herewith as **Annexure No. R3/2**.

7. That further in pursuance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal regarding the dumping of garbage on Ekla Bandha of River Rapti by Municipal Corporation without obtaining its consent it is stated that in light of the facts and observations made by the Municipal Corporation, Gorakhpur, the UPPCB has undertaken the inspection on 16.07.2025. Wherein it has been found that the Legacy Waste dumped over

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) GOVT. OF INDIA

the Ekla Bandha has been disposed by the Nagar Nigam Gorakhpur through Bio-mining process. About 50,000/- plants has been roped there and covered the same with 03-meter-high fencing to protect from animals and other nuisance elements.

A true copy of the inspection report along with its respective annexure is being annexed herewith as **Annexure No. R3/3**.

8. That regarding past violation matter is under consideration and appropriate action will be taken by the UPPCB.

9. That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ...Lko... on this the 30..... day of July, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow U.P. GOVT. OF INDIA

Sworn and Verified before me

NOORJAHAN Advocate & Notary Civil Court, Lucknow Registration No. 1094/2015

I know & identify the deponent/Executant who has signed/put his T.I. before me.

Advocate Reg No. 6043/1999

ANNEXURE NO.-R3/1

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0– 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0– 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण दिनांक 16.07.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0– 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा मा0 एम0जी0टी0, नई दिल्ली में दिनांक 23.11.2024 को अनुपालन आख्या दाखिल किया गया है।
2. उक्त अनुपालन आख्या दिनांक 23.11.2024 में प्रतिवादी नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा दाखिल की गयी अनुपालन आख्या में उल्लिखित बिन्दुओं में वर्णित सूचनाओं एवं दिनांक 16.07.2025 को किये गये निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों का विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल अनुपालन आख्या में उल्लिखित विवरण	दिनांक 16.07.2025 को निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों का विवरण
I	मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में अवगत हो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रगति के संदर्भ में गोरखपुर शहर से प्रतिदिन लगभग 435 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट जनित होता है, जिसमें से 215 टन प्रतिदिन गीला कचरा जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु 15 टन प्रतिदिन क्षमता के 09 अदद पिट, 20 टन प्रतिदिन क्षमता के 01 अदद एवं 30 टन प्रतिदिन क्षमता के 02 अदद पिट के माध्यम से कम्पोस्टिंग एवं वर्मी कम्पोस्टिंग कर निस्तारित किया जाता है। शेष सूखे कचरे का निस्तारण 05 अदद मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेन्टर (एम0आर0एफ0) के माध्यम से किया जाता है।	निरीक्षण के समय नगर निगम द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर मैटेरियल रिकवरी फॉसिलिटी सेन्टर (एम0आर0एफ0) एवं बायोकम्पोस्टिंग/वर्मीकम्पोस्टिंग पिट स्थापित एवं संचालित पाया गया :– 1. एम0आर0एफ0 सेन्टर, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, बिलन्दपुर, 2. एम0आर0एफ0 सेन्टर, महेवा, 3. एम0आर0एफ0 सेन्टर, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, 4. एम0आर0एफ0 सेन्टर, लालडिग्गी, बशन्तपुर 5. एमआर0एफ0 सेन्टर, भैरोपुर, महादेव, झारखण्डी, निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स की छायाप्रति **संलग्नक 01** के रूप में संलग्न है। 1. पिट कम्पोस्टिंग सेन्टर, स्पोर्ट्स कालेज, राप्तीनगर। 2. पिट कम्पोस्टिंग सेन्टर, इलाहीबाग। 3. पिट कम्पोस्टिंग सेन्टर, कान्हा उपवन नगर। 4. पिट कम्पोस्टिंग सेन्टर, लालडिग्गी, बशन्तपुर 5. पिट कम्पोस्टिंग सेन्टर, आयुक्त आवास, बेतियाहाता। 6. पिट कम्पोस्टिंग सेन्टर, चकबन्दी, सिविल लाइन प्रथम। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स की छायाप्रति **संलग्नक 02** के रूप में संलग्न है।
II	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा एकला बांध पर वर्षों से एकत्रित लगभग 1.96 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को बायोमाइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से निस्तारित कर उक्त स्थान पर लगभग 50,000 पौधों का पौधारोपण कर उक्त स्थान बैरिकेटिंग किया गया है। उक्त स्थान को 05 वर्ष के उपरान्त पौधों के विकसित हो जाने पर उक्त पूरे क्षेत्र को शहरी वनीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जायेगा।	निरीक्षण के समय एकला बांध पर वर्षो से एकत्रित लीगेसी वेस्ट को नगर निगम, गोरखपुर द्वारा बायोमाइनिंग प्रकिया के माध्यम से निस्तारित कर दिया गया है। उक्त स्थल पर वृहद रूप में लगभग 50 हजार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। उक्त वृक्षों को जानवरों एवं अन्य तत्वों से से बचाव हेतु सुरक्षा के रूप में लगभग 03 मीटर उंची लोहे की जाल के माध्यम से फेनसिंग का कार्य किया गया है। निरीक्षण के समय उक्त स्थल का लिये गये फोटोग्राफ्स की छायाप्रति **संलग्नक 03** के रूप में संलग्न है।
III	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा गीले नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण बायोकम्पोटिंग एवं वर्मीकम्पोस्टिंग के माध्यम से किया जाता है। बायोकम्पोस्टिंग एवं वर्मीकम्पोस्टिंग के उपरान्त प्राप्त उर्वरक की गुणवत्ता कृषि विभाग से जांच कराया गया जो कृषि के लिए उपयुक्त पाया गया।	निरीक्षण के समय नगर निगम, गोरखपुर द्वारा गीले नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण बायोकम्पोटिंग एवं वर्मीकम्पोस्टिंग के माध्यम से किया जाता हुआ पाया गया है। निरीक्षण के समय बायोकम्पोस्टिंग हेतु बने पिट का फोटोग्राफ्स की छायाप्रति **संलग्नक 04** के रूप में संलग्न है।

IV	गोरखपुर शहर से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर के देख– रेख में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा ग्राम–सुथनी, तहसील– सहजनवां में लगभग 40 एकड़ भूमि चिन्हित कर क्रय किया गया है। उक्त स्थल पर 500 टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट से चारकोल एवं 200 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो सी0एन0जी0 प्लांट एवं 05 टन प्रतिदिन क्षमता का घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मेसर्स एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापर निगम लिमिटेड, द्वारा वेस्ट से चारकोल प्लांट का स्थापना किया जा रहा है, जो दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। मेसर्स एवर इन्वायरो रिर्सोस मैनेजमेण्ट प्रा0 लि0 द्वारा बायो सी0एन0जी0 प्लांट का स्थापना किया जा रहा है जो सितम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित था, परन्तु डायजेस्टर के समुचित तकनिकी में देरी होने के कारण सितम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। उक्तत के संदर्भ में फर्म को चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है।	गोरखपुर शहर से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण नगर निगम, गोरखपुर द्वारा ग्राम– सुथनी, तहसील– सहजनवां में लगभग 40 एकड़ भूमि चिन्हित कर क्रय किया गया है। उक्त स्थल का निरीक्षण दिनांक 16.07.2025 को किया गया। निरक्षण के समय मेसर्स एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापर निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं श्री राज गुप्ता कंस्ट्रक्शन मैनेजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर 500 टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट से चारकोल बनाये जाने का कार्य प्रगति पर पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि प्लांट का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष कार्य को अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। निरीक्षण के समय मेसर्स एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापर निगम लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन वेस्ट से चारकोल प्लांट का लिया गया फोटोग्राफ्स की छायाप्रति **संलग्नक 05** के रूप में संलग्न है। मेसर्स एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापर निगम लिमिटेड को 500 टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट से चारकोल बनाये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 08.05.2024 के माध्यम से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसकी वैधता 31.12.2028 तक की है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति **संलग्न 06** के रूप में संलग्न है। निरीक्षण के समय मेसर्स एवर इन्वायरो रिर्सोस मैनेजमेण्ट प्रा0 लि0 द्वारा बायो सी0एन0जी0 प्लांट का स्थापना किया जाता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय मेसर्स एवर इन्वायरो रिर्सोस मैनेजमेण्ट प्रा0 लि0 द्वारा निर्माणाधीन बायो सी0एन0जी0 प्लांट का लिया गया फोटोग्राफ्स की छायाप्रति **संलग्नक 07** के रूप में संलग्न है। मैसर्स एवर इन्वायरो रिर्सोस मैनेजमेण्ट प्रा0 लि0 द्वारा बायो सी0एन0जी0 प्लांट की सीपना हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसकी वैधता 31.12.2027 तक की है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति **संलग्न 08** के रूप में संलग्न है।
V	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हेतु डिस्पोजेबल उत्पाद जैसे– ग्लास, प्लास्टिक, पैकेजिंग मैटेरियल उत्पादक से अनुबन्ध किया जा रहा है	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हेतु डिस्पोजेबल उत्पाद जैसे– ग्लास, प्लास्टिक आदि पैकेजिंग मैटेरियल्स के समुचित निस्तारण हेतु मेसर्स वरूण वेबरेजेज लि0, गीडा, गोरखपुर एवं मेसर्स ज्ञान डेयरी, गीडा, गोरखपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र की छायाप्रति **संलग्नक 09** के रूप में संलग्न है।
VI	–	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
VII	–	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
VIII	–	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
IX	–	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
X	मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान तैयार किया गया है।	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान तैयार किया गया है, जिसकी छायाप्रति **संलग्नक– 10** के रूप में संलग्न है।
XI	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा लैण्डफिल साईट जैसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अदा किये जाने हेतु गोरखपुर के क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया है।	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को रोड/खाली प्लाट/ईधर–उधर निस्तारण किये जाने की दशा में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली–2016 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु गोरखपुर के क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया है, जिसकी छायाप्रति **संलग्नक– 11** के रूप में संलग्न है।
XII	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 टन प्रतिदिन क्षमता का सी0 एण्ड डी0 वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं पशु शवदाह गृह स्थापित किया गया है। सी0 एण्ड	निरीक्षण के समय नगर निगम द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर सी0 एण्ड डी0 वेस्ट कलेक्शन सेन्टर स्थापित एवं संचालित पाया गया :– 1. सी0 एण्ड डी0 वेस्ट कलेक्शन सेन्टर, नन्दानगर। 2. सी0 एण्ड डी0 वेस्ट कलेक्शन सेन्टर, इलाहीबाग। 3. सी0 एण्ड डी0 वेस्ट कलेक्शन सेन्टर, गुल्हारिया, 4. सी0 एण्ड डी0 वेस्ट कलेक्शन सेन्टर, लालडिग्गी

	डी0 वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु 10 वेस्ट कलेक्शन सेन्टर स्थापित किया गया है। नगर निगम द्वारा 08 अदद रिड्यूस, रियूज एवं रिसाईकिल (3 आर) सेन्टर स्थापित किया गया है।	5. सी0 एण्ड डी0 वेस्ट कलेक्शन सेन्टर, विश्व विद्यालय, चौक, 6. सी0 एण्ड डी0 वेस्ट कलेक्शन सेन्टर, बेतियाहाता। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स की छायाप्रति **संलग्नक 12** के रूप में संलग्न है। नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम–नौषढ़ के बैरिया टोला में पशु शवदाह गृह स्थापित कराया गया है, जिसकी क्षमता 1500 किलोग्राम प्रतिघण्टा की है। उक्त शवदाह गृह के स्थापना हेतु राज्य बोर्ड द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसकी छायाप्रति **संलग्नक 13** के रूप में संलग्न है।
XIII	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं जनमानस स्वास्थ्य संरक्षण हेतु लगातार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किया जा रहा है।	नगर निगम, गोरखपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं जनमानस स्वास्थ्य संरक्षण हेतु लगातार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 18.07.2025 के गोरखपुर शहर में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित समाचार के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण–2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरो की क्षेणी में नगर निगम, गोरखपुर देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में नगर निगम, गोरखपुर को फाइव स्टार रेटिंग मिली है। निगम को वाटर प्लस का दर्जा भी मिला है। उक्त कार्य हेतु मा0 मेयर एवं नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गोरखपुर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मा0 केन्द्रीय मंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसकी छायाप्रति **संलग्न 14** के रूप में संलग्न है।
XIV	पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु मा0 एन0जी0टी के आदेश के अनुपालन में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा कर्तव्य भावना से मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या दाखिल किया गया है।	मा0 एन0जी0टी के आदेश के अनुपालन में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा कुल 14 बिन्दुओं में मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या दिनांक 23.11.2024 के माध्यम से जमा किया गया है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

18/07/2025

(डॉ आर0के0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक

18/07/2025

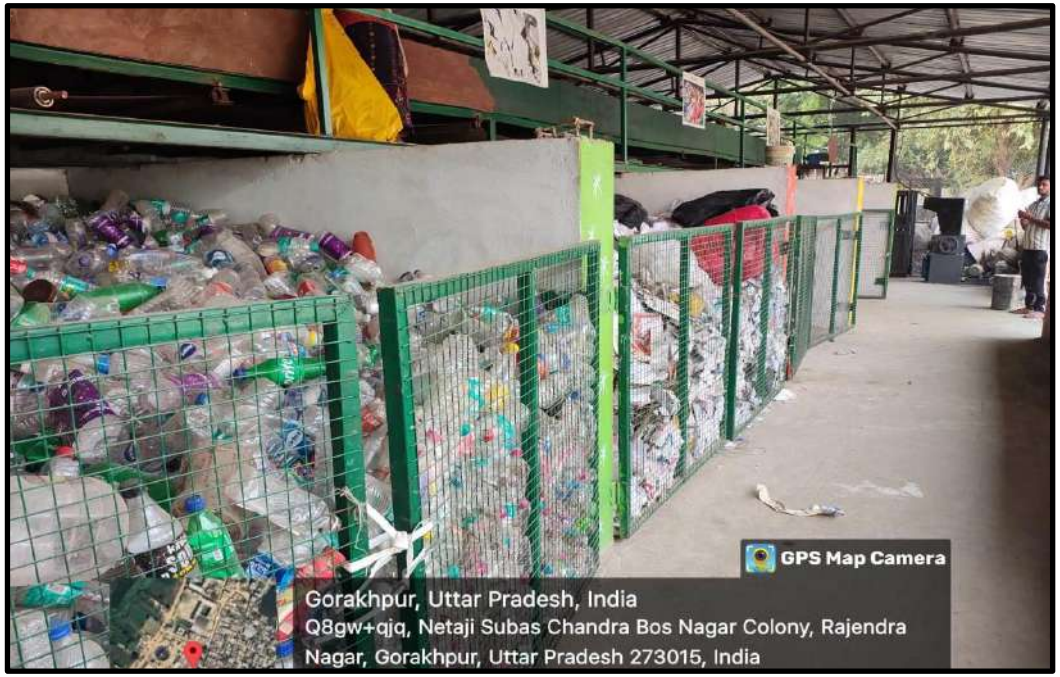
(राम मिलन वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

C.S 18/07/25

संलग्नक–01 (एम0आर0एफ0 सेन्टर)









संलग्नक–02 (पिट कम्पोस्टिंग सेन्टर)










स्वच्छ सर्वेक्षण
मेरा शहर मेरी पहचान 2024
REDUCE REUSE RECYCLE
वेस्ट टू कम्पोस्ट
गीले कचरे का करें उपयोग
स्वच्छता में दें सहयोग
नगर निगम
गोरखपुर
GPS Map Camera
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
R89x+m8p, Moharipur, Gorakhpur, Jangl Bahadur Ali, Uttar Pradesh 273007, India


GPS Map Camera
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
P9wj+f48, Paidleganj, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, India


स्पोर्ट कालेज चौराहा
नगर निगम
गोरखपुर
स्वच्छ सर्वेक्षण
मेरा शहर मेरी पहचान 2024
REDUCE REUSE RECYCLE
वेस्ट टू कम्पोस्ट
GPS Map Camera
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
Q9xg+gxj, Sports College Rd, Raptinagar Phase -4, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273004, India


स्वच्छ सर्वेक्षण
गोबर से कम्पोस्ट
मेरा शहर मेरी पहचान
2024
REDUCE REUSE RECYCLE
फूल से कम्पोस्ट
GPS Map Camera
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
Q8gw+qjq, Netaji Subas Chandra Bos Nagar Colony, Rajendra Nagar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273015, India

संलग्नक–03 (एकला बांध वृक्षारोपण)










Latitude: 26.729289
Longitude: 83.344401
Elevation: 93.16±5.2 m
Accuracy: 6.863 m
Time: 16-07-2025 14:35
Note: Ekla Bandh, Gorakhpur
Powered by NoteCam


Latitude: 26.731142
Longitude: 83.344786
Elevation: 93.16±24.2 m
Accuracy: 6.963 m
Time: 16-07-2025 14:37
Note: Ekla Bandh
Powered by NoteCam


Latitude: 26.731157
Longitude: 83.344786
Elevation: 93.16±24.2 m
Accuracy: 7.974 m
Time: 16-07-2025 14:37
Note: Ekla Bandh
Powered by NoteCam


Latitude: 26.731142
Longitude: 83.344786
Elevation: 93.16±24.2 m
Accuracy: 6.963 m
Time: 16-07-2025 14:37
Note: Ekla Bandh
Powered by NoteCam

संलग्नक–04 (पिट कम्पोस्टिंग सेन्टर)










स्वच्छ सर्वेक्षण
वेस्ट टू कम्पोस्ट
REDUCE REUSE RECYCLE
GPS Map Camera
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
R89x+m8p, Moharipur, Gorakhpur, Jangl Bahadur Ali, Uttar Pradesh 273007, India


GPS Map Camera
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
P9wj+f48, Paidleganj, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, India


स्पोर्ट कालेज चौराहा
नगर निगम
गोरखपुर
स्वच्छ सर्वेक्षण
मेरा शहर मेरी पहचान 2024
REDUCE REUSE RECYCLE
वेस्ट टू कम्पोस्ट
GPS Map Camera
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
Q9xg+gxj, Sports College Rd, Raptinagar Phase -4, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273004, India


स्वच्छ सर्वेक्षण
गोबर से कम्पोस्ट
मेरा शहर मेरी पहचान 2024
REDUCE REUSE RECYCLE
फूल से कम्पोस्ट
GPS Map Camera
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
Q8gw+qjq, Netaji Subas Chandra Bos Nagar Colony, Rajendra Nagar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273015, India

संलग्नक–05 (मेसर्स एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापार निगम लि0)









232 अनुलग्नक - 06

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :14/03/2024 To 31/12/2028

Ref No. - **Dated:- 08/05/2024**
204540/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTE/GORAKHPUR/2024

To ,

Shri SANGHARSH NEGI
M/s NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LIMITED
Gorakhpur Harit Koyala Pariyojana, Village- Suthani, Sahzanwan,
Gorakhpur,GORAKHPUR,273209
GORAKHPUR

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 25151554 dated - 04/03/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates : Latitude-26.751324, Longitude-83.1454695

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	**Raw Material Unit Name**	**Raw Material Quantity**
Municipal Solid Waste	Metric Tonnes/Day	500

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	**Product Quantity**
Torrefied Charcoal	6500

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	**Unit Name**	**Licence Product Capacity**	**Install Product Capacity**
NA	Metric Tonnes/Day	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	**Name of Source**	**Quantity (KL/D)**
Municipal Supply	Nagar Nigam Gorakhpur	200.0

3. Quantity of effluent (ln KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	**Quantity (KL/D)**
Domestic	10.0
Cooling	200.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	**Consumption(tpd/kld)**	**Use**
Others	25	Heating

5 For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/12/2028 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, I974 and Air (Prevention and control of Pollution)Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application,complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 may be initiated against the industry With out any prior information,in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

1. This consent to establish is valid only for setting up a 500 TPD MSW to Torrefied Charcoal (6500 MT/Month) Facility in Suthani, Gorakhpur having Latitude-26.751324, Longitude-83.1454695.

2. The plant shall not abstract ground water in any circumstances and the water demand (200 KLD) shall be satisfy by Municipal Supply Nagar Nigam, Gorakhpur only.

3. The plant shall not discharge any industrial effluent from the premises.

4. The Project shall comply with the provisions of Construction & Demolition Rules 2016 & SWM Rules 2016.

5. Transportation and handling of MSW shall be as per the SWM Rules, 2016.

6. Torreffaction Reactor shall be operated in accordance SWM Rules, 2016.

7. The Torrefied Charcoal Pellets Plant shall comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016.

8. Separate space for Torrefied Charcoal Pellets shall be provided by facility.

9. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wastes and the staff must be properly trained.

10. Torreffaction Reactor shall install Online Continuous Emission Monitoring System with data connectivity to CPCB server before commissioning of the plant.

11. Onsite emergency plan approved by the competent authority shall be submitted to board.

12. Project shall install at least 0.5 meter from roof level along with acoustic enclosures on DG set of capacity 1000 KVA for use of backup power.

13. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken as per the provisions of Construction & Demolition Waste Management Rules 2016.

14. Torrefied Charcoal Pellets Plant shall comply the provisions of Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. CBWTF shall operate the plant after taking CTO under the provisions of Water Act 1974 and Air Act 1981 from the Board.

15. Project shall comply with the provisions of SWM Rules 2016 and provide facility for safe disposal of generated solid waste in housing project area.

16. Torrefied Charcoal Pellets Plant shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.

17. To ensure the compliance of CTE condition from 1 to 15 a Bank Guarantee of Rupees 10,0000/- (Ten Lacs only) in the prescribed format shall be submitted to the Board within 15 days, failing which this CTE.

18. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this CTE and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance ot any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 08/06/2024 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

GHAN Digitally signed by GHAN SHYAM

GHAN SHYAM
Digitally signed by GHAN SHYAM
Date: 2024.05.08 17:20:35 +05'30'

Chief Environmental Officer, Circle-6

Dated:- 08/05/2024

Copy To -

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur for information and necessary action.

Chief Environmental Officer, Circle-6

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

संलग्नक–07 (मेसर्स एवर इंवायरो रिर्सोस मैनेजमेंट प्रा0 लि0)









UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :27/04/2023 To 31/12/2024

Ref No. - **Dated:- 27/04/2023**
179549/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTE/GORAKHPUR/2023

To ,

Shri RAJ KUMAR
M/s EVERENVIRO RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Solid Waste Site, Nagar Nigam of Gorakhpur, Suthani, Gorakhpur,GORAKHPUR,273408
GORAKHPUR

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 20166300 dated - 12/04/2023. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates : Solid Waste Site, Nagar Nigam of Gorakhpur, Suthani, Gorakhpur

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	**Raw Material Unit Name**	**Raw Material Quantity**
Source Segregated Organic Waste	Metric Tonnes/Day	200
paddy straw	Metric Tonnes/Day	10
Agro Residue	Metric Tonnes/Day	10
Biomass	Metric Tonnes/Day	5

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	**Product Quantity**
Compressed Bio Gas	300

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	**Unit Name**	**Licence Product Capacity**	**Install Product Capacity**
Fermented organic Manure	Metric Tonnes/Day	20	20
Refused Derived Fuel	Metric Tonnes/Day	35	35
Rejects	Metric Tonnes/Day	5	5

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	**Name of Source**	**Quantity (KL/D)**
Ground Water (within premises)	Ground water extraction	42.0
Municipal Supply	Municipal supply	6.0

3. Quantity of effluent (ln KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	**Quantity (KL/D)**
Domestic	6.0
Process	42.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	**Consumption(tpd/kld)**	**Use**
Diesel	0.050	For electricity generation

5 For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/12/2024 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, I974 and Air (Prevention and control of Pollution)Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application,complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 may be initiated against the industry With out any prior information,in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

1. This CTE is valid for Everenviro Resource Management Private Limited, Solid Waste Site, Nagar Nigam of Gorakhpur, Suthani, Gorakhpur for the existing production capacity of unit only. The industry can only manufacture Compressed Bio-Gas 300 MT/Day.
2. The Industry shall comply with various provisions of The Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary movement) Rules, 2016.
3. Minimum 33% of the land on which industry is to be established will be covered by the plantation of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-Belt-Guidle_160218.pdf.
4. The Industry shall ensure that no generation of Effluent being done. If effluent is generated then Unit has to install Effluent Treatment Plant (ETP) of adequate capacity for the treatment of industrial effluent generated in the production capacity. The industry should ensure the operation of the ETP in such a manner
that it confirm the standards lay down under the notification issued by MOEF&CC vide GSR 978 (E) dated 10/10/2016.
5. Under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000, the industry shall take adequate measures for control of noise from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A).
6. The Industry shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and
safeguard of environment from time to time.
7. Prior to abstraction, project shall obtain a No Objection Certificate from Central Ground Water Authority before abstraction of ground water. The Unit shall install Piezometer for measurement of ground water level and the data generated from Piezometer will be provided to the SPCB and CPCB on monthly basis.
8. The industry shall provide adequate arrangement for fighting the accidental leakages/discharge of any air pollutant/gas/liquid from the vessel, machinery etc. which are likely to cause fire hazard including environmental pollution.
9. The industry shall adhere to general standards terms and conditions of Water/Air Acts and compliance of Environment standards as per Environment (protection) Act 1986.
10. In case of violation of above mentioned conditions or any public complaint the consent shall be withdrawn in accordance with law.
11. The Industry shall establish any air pollution generating device except 125 KVA D.G set(1 Nos.) will be installed with proper Air Pollution Control System as notified in the E.(P).Rules 1986 as amended.
12. The industry shall only use LPG/HSD only for the use of DG set as fuel no other fuel is allowed in industrial process.
13. The Industry will submit the License of the concerned Department as applicable within 01 Months.
14. The Industry shall submit first compliance report with respect to conditions imposed within 30 days of issue of this permission.
15 The proponent shall obtain Consents for Operation from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (P & C of P) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (P&C of P) Act 1981 before
commencement of the activity including trial production.
16. Unit shall submit the land use certificate within 03 month from the date of issue of this certificate and will only start the installation of the industry after obtaining land use certificate otherwise this CTE will be revoked with immediate effect.
17. The composting facility shall not be located within 300 m from the nearest dwelling and 100 m from any well or water course.
18. All other wastes such as iron filings, waste oils, transformer oils, batteries &other E-Waste should be recycled using registered vendors.
19. The daily logbook record of the Liquid manure produced by the unit shall be maintained.
20. Plants use following types of scrubbers:
(a) Iron chelating based for H2S removal.
i.All Waste streams coming from plant should be suitably treated & recycled/reused. In no case, Efflunet enters water body.
(b) PSA for CO2 removal
ii. Height of exhaust gas chimney to be raised to 3m above the roof at least.
(C) Water scrubber for CO2 and H2S removal.
iii. Effluent generated which is high in acids should be neutralized by using suitable method & then disposed off after meeting the notified effluent discharge norm.

21. Solid manure may be converted to PROM (Phosphate Rich Organic Manure) organic Potash fertilizer, Organic silica fertilizer Etc.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance ot any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 27/05/2023 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

Pankaj Yadav
Digitally signed by Pankaj Yadav
Date: 2023.04.27 13:31:23 +05'30'
Regional Officer

Dated:- 27/04/2023

Copy To -

CEO 6 : UPPCB, Lucknow.

Pankaj Yadav
Digitally signed by Pankaj Yadav
Date: 2023.04.27 13:31:41 +05'30'
Regional Officer

241

संलग्नक - 09

To,

Director

Varun Beverages Ltd.

GIDA, Gorakhpur

Respected Sir,

We would like to inform you that Municipal Corporation Gorakhpur is bound to implement Solid Waste Management (Rules) 2016 In its full spirit Section 17 Of SWM 2016 rules state that See-17 Duty of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers.

(1) All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for establishment of waste management system.

(2) All such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.

(3) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.

(4) All such manufacturers, brand owners or marketing companies shall educate the masses for wrapping and disposal of their products.

We would request you to comply these provisions for safe disposal of waste generated by your unit situated in Gorakhpur.

Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Gorakhpur

Copy to:- Municipal Commissioner Gorakhpur;

Latter No-133(1) /AMC/NNG/2024-25 Date 08/10/2024

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 09

To,

Director

Gyan Dairy

GIDA, Gorakhpur

Respected Sir,

We would like to inform you that Municipal Corporation Gorakhpur is bound to Implement Solid Waste Management (Rules) 2016 In its full spirit Section 17 Of SWM 2016 rules state that See-17 Duty of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers.

(1) All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for establishment of waste management system.

(2) All such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.

(3) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.

(4) All such manufacturers, brand owners or marketing companies shall educate the masses for wrapping and disposal of their products.

We would request you to comply these provisions for safe disposal of waste generated by your unit situated in Gorakhpur.

Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Gorakhpur

Copy to:- Municipal Commissioner Gorakhpur.

Latter No-133(2)/AMC/NNG/2024-25 Date 08/10/2024

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 10

प्रेषक ,

नगर आयुक्त,
नगर निगम गोरखपुर।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0,
सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

पत्रांक :: 248/न.आ./न.नि.गो./एस.बी.एम./2021–2022 दिनाँक 2, सितम्बर, 2022

विषयः– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑपरेशन गाइडलान एस0बी0एम0–2.0 में दिये गये निर्धारित प्रारूप City Solid Waste Action Plan (CSWAP) ANNEX 2 Template and ANNEX : IEC Action Plan पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के विषयगत।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या पी.एम.यू0/6214/536/2021 दिनाँक 03 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपरेशनल गाइडलाईन एम.बी.एम.–2.0 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर बिन्दुवार City Solid Waste Action Plan (CSWAP) ANNEX 2 and ANNEX : IEC Action Plan तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

2/9/2022

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर

ANNEX 2: CITY SOLID WASTE ACTION PLAN (CSWAP)

(As referred in Chapter 2 and 6)

ULB's City Profile: (demographic and waste generation details)

1.	Name of the ULB		Gorakhpur NN		
2.	Name of the District, State/UT		Gorakhpur, Uttar Pradesh		
3.	No. of Municipal Zones in ULB		05		
4.	No. of wards in the ULB		70		
5.	Population & Households in the ULB as per 2011 Census:				
	Population (P)			Households (HH)	
	673446 + 97326 = 770772			**134689 + 19466 = 154155**	
6.	Population & Households in the ULB as per current scenario:				
	Population (P)			Households (HH)	
	965777			**193155**	
7.	Projected Population & Households in the ULB @2025:				
	Population (P)			Households (HH)	
	1032416			**206483**	
8.	**Institutional & Governance framework**				
				Yes/No	If no, action to be taken to notify & timeline
	a.	Regulatory Framework	Whether Municipal SWM Bylaws notified? (Conforming to SWM Rules 2016) (furnish details)	**Yes**	
			State SWM Strategy & Plan (available / Not available)	**Yes**	
	b.	Institutional Arrangement	Roles and Responsibilities for dealing with MSWM services	**Available**	
	c.	Governance Reforms	Implementation of e-governance in ULBs (available/ not available)	**Available**	
	d	ICT based Governance	ICT based monitoring of MSWM operations, services and complaint redressal (furnish details)	**Yes**	

लक्ष्य है कचरा-मुक्त शहर - माननीय श्री नरेंद्र मोदी

अपर नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

9.	MSWM service Level Benchmarks				
		Indicator	Bench mark	Before implementation of project(s)	After implementation of project(s)
	1.	Household level coverage of SWM services	100%	65%	100%
	2.	Efficiency of collection of municipal solid waste	100%	100%	100%
	3.	Extent of segregation of municipal solid waste	100%	40%	100%
	4.	Extent of municipal solid waste recovered	80%	78%	80%
	5.	Extent of scientific disposal of municipal solid waste	100%	0%	100%
	6.	Efficiency in redressal of customer complaints	80%	80%	80%
	7.	Extent of cost recovery in SWM services	100%	20%	80%
	8.	Efficiency in collection of SWM related user charges	90%	40%	70%
	---	Notified User Fee for MSWM services (provide details)	Yes		

CURRENT MSW Management:

1.	Current MSW total generation in TPD(A): **434.60**	Per Capita generation in gms: **450** ($Ax10^6/P_1$)	
2.	Total waste collected (TPD): **434.60**		
3.	No. of wards & % of wards practicing source segregation:		
	No. of wards	% of wards	
	28	**40%**	
4.	No. of wards & % of wards practicing 100% door to door waste collection		
	No. of wards	% of wards	
	46	**65%**	
5.	Total quantity transported in TPD to:		
	Processing Plants	SLF	Dumpsites
	265.85	**0**	**168.75**
6.	Secondary collection points/ Transfer Stations (TS) (only if TS is/are existing, otherwise not applicable		
	Waste stream	Number of TS	Capacity of TS (in TPD)
	Wet waste	**0**	**0**
	Dry waste	**0**	**0**

SNA

अपर नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

7.	On basis of waste characterization, quantity of segregated waste generated (in TPD), of given waste streams		
	MSW Waste Stream	Quantity in TPD	% of MSW
	Wet waste	239.03	55%
	Dry waste	152.11	35%
	Sanitary waste	0	0%
	Domestic Hazardous waste	21.73	5%
	Other wastes (Drain silt & inert)	21.73	5%
	C&D waste	Qty in TPD	% of MSW
	Total C&D waste generated	30.42	7% (expressed as % of A at row1 above)
8.	Total quantity of MSW currently processed (B) in TPD: 265.85		
9.	Total design capacity* available of all types of processing plants in TPD: 505 *All existing, under construction, approved and defunct plants (defunct plants that have not been written off) Note: This capacity will be equal to or greater than (B)		
10.	Operation & Maintenance and Recovery of SWM fees issues Prepare statement of previous 5 years O&M costs incurred in ULB for O&M and the collections of SWM use fees and analyses for sustainability of O&M		

Year	Annual O&M Cost (Lakh)	Annual Revenue Generation (Lakh)
2016-17	3648.66	39.09
2017-18	5037.62	44.66
2018-19	5278.12	70.76
2019-20	6267.71	75.05
2020-21	6240.29	82.63

Assessment of requirement of processing plants / facilities:

Projected waste generation @ 2025 in TPD: 464.59

A	Per capita generation for calculating waste generation			
	ULBs >10 lakh population@550 gms/capita: 550			
	ULBs 1 lakh-10 lakh (both included) population@ 450 gm/capita:			
	ULBs < 1 lakh population @ 300 gm/capita:			
	Projected waste generation streams for year 2025:			
B	Waste stream	fraction in MSW (indicative-can be changed as per actuals in ULB)	Projected waste generation in TPD	% of MSW
	Wet waste	55%	255.52	55%
	Dry waste	35%	162.61	35%
	Domestic Hazardous waste	2%	0	0 %
	Other waste (drain silt & inert)	8 %	46.46	10%
	To SLF (not more than)	20%	92.92	20 %

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Other components of MSW Management

C	**Sanitary Landfill (SLF) (Filling CELL for 5 years only)**			
	Waste sent to SLF restricted to 20% of total Municipal Solid Waste (C) = Projected Waste sent to SLF (in MT) * 5			**169574.33**
	SLF capacity for 5 years duly adding extra volume for daily cover, top cover etc. (as per Manual on MSWM) (in cum) = (C*1.1/0.85)			**199499.21**
D	**Estimated cost for proposed components as per GAP analysis**			
	Waste Management Component	Total proposed requirement (gap projected @2025) (In TPD & For MRSs in no. s & For Dumpsite Remediation in MT)	Estimated cost/ tonne (in Rs. Crore for 100 TPD & For MRSs Rs. Lakh per machine for MRSs & For Dumpsite Remediation Rs. per MT & For Others Rs. Per Capita)	Proposed estimated cost (in Rs. Crore)
	Wet waste processing	5.52	11.5	0.64
	Dry waste processing	0	18	00.00
	C&D waste processing	0	6	0
	Dumpsite remediation	0	550	0
	sanitary landfill	92.92	6.5	6.04
	Transfer station	186	4.5	8.37
	Mechanical road sweepers (MRSs)	6	55	3.30
	Others	0	605	0

Financing Planning of Fund required for addressing the GAPs (Rs. in Crore)

S.No	Waste management Item	Total Proposed Cost	ACA under SBM-U2.0	State Govt. Fund	ULB Fund/OtherFund (PPP, others)	PPP. Others (in Rs. Crore)
1	For wet waste processing	0.64	0.21	0.14	0.29	
2	For Dry waste processing	00.00	9.00	0.00	0.00	00.00
3	For C&D waste processing	0	0.00	0.00	0.00	
4	For Dumpsite Remediation	0	0.00	0.00	0.00	
5	For Sanitary Landfill	6.04	1.99	1.33	2.72	
6	For Transfer Station	8.37	2.76	1.84	3.77	
7	For Mechanical Road Sweepers	3.30	1.09	0.73	1.49	
8	Others (describe the nature ofplants, feed stock should be source segregated waste)	0	0	0	0	
	Grand Total	**18.34**	**6.05**	**4.04**	**8.26**	

Items not required/applicable in the particular ULB may be deleted

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Module 1: MSW processing GAP analysis & Action plan

M1.1 GAP Assessment for 100% Processing of MSW at ULB level			
Processing Facility proposals	Existing Plants capacity (TPD)*	Status of current capacity - Deficit / Surplus	GAP Projected @ 2025 (TPD)
Mixed waste processing facility (continue to be used for either wet or dry waste) - Date taken for assessing capacities	500	NA	(continue to be used for 50% wet waste and 50% for dry waste)
Composting plants (for WET waste)	0	Surplus	0
Bio-methanation plants (for WET waste)	0	NA	0.00
Material recovery facilities MRF - (for DRY waste)	5	NA	0.00
Standalone RDF plants (for DRY waste downstream of MRFs) not part of composting plants)	0	NA	0.00
Waste of Electricity (RDF based - only for ULBs>10 lakh)	0	Deficit	200
Others (describe the nature of plants feed stock should be source segregated waste)	0	NA	0

*(Operational /Under Construction/ in tender process, Non-functional good condition)

Explanation for calculating the GAP

Many ULBs have installed composting plants receiving mess waste, without segregation at source, but carry out segregation within the process. Such plants shall continue to be utilized for either wet or dry waste, for full design capacity with segregation at source. It will result in proposing plants for other waste stream only.

Additional process may be added down the line to process RDF if not already being done in such plants.

After the GAP analysis, actions need to be taken for preparation of DPRs, Identifying & earmarking land; documents for tenders etc.

M1.2 ULB level action plan for achieving 100% scientific MSW processing			
Processing Facility proposals	Proposed Plant Capacity (TPD)	Estimated cost (in Rs. Crore)	Plant commissioning date
Composting plants (for WET waste)	0	0	
Bio-methanation plants (for WET waste)	0	0	
Material recovery facilities MRF (for DRY waste)	0	0	
Standalone RDF Plants for (DRY waste downstream of MRFs) (not part of composting plants)	0	0	
Waste to Electricity (RDF based - only for	200	36.00	

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

ULBs>10 lakh)			
Other (describe the nature of plants - feed stock should be source segregated waste)	0	0	
Total	**200**	**36.00**	
Other proposals part of MSW			
Construction of SLF	114.87	7.47	
Construction of TS, if required (ULBs>5 lakh and haulage of fully loaded vehicles is > 15 Km.	230	10.35	
Totals	[illegible].87	53.82	

M1.3 ULB commitment timelines for certification under garbage free cities star rating

Sl.No.	GFC star rating certification	Committed Date
1.	1-star GFC rating certification	31.03.2023
2.	3-star GFC rating certification	31.3.2026 (mandatory before 31.3.2026)
3.	5-star GFC rating certification	These certifications are beyond the mandatory requirement under SBM 2.0 ULBs are encouraged to get these certifications.
4.	7-star GFC rating certification	

M1.4 State/UT- Consolidated Financial Action Plan for MSW Processing:
Financials in Rs. Crore

	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	Total (equal to SBM 2.0 SWM allocation, processing part only)
Action Plan Amount				
No. of ULBs covered*				All ULBs in the State / UT covered in APs by 2023-24
*Detailed ULB-wise, plant-wise Action Plan statement is to be furnished Action Plan approvals to be obtained by 31.3.2024 for all ULBs.				

M1.5 State/UT - Consolidated certification - cum - implementation Action Plan (only First time GFC certifications to be considered)

Certification	Before SBM 2.0	FY2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2025-26
No. of ULBs rated 1 star	No	No	Yes	All ULBs to be 1-star rated by 31.3.2023		
No. of ULBs rated 3 star*	No	No	No	No	No	Yes
No. of ULBs with 100% waste processing	No	No	No	No	No	Yes
*All ULBs to become 3 star GFC rated before 31.3.2026						

अपर नगर आयुक्त
अपर नगर आयुक्त
नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Module 2: Legacy Waste Dumpsites Remediation Action Plan

M2.1 ULB's Dumpsite Remediation Plan (applicable only if ULB has an existing dumpsite(s))

Total quantity of existing legacy waste in tonnes	0
Land occupied by the dumpsite Acres	9
Proposed method for remediation*	Bio remediation
Action Plan for recoverable material	Remediated
Indicative Uses/Utilization of Segregated Material	Remediated
Land to be recovered, Acres (extent of land from which waste is completely removed)	9 Remediated
End uses of remediated dumpsite area	Plantation
Estimated cost for remediation	N/A
Most likely date for complete remediation (not beyond 31.3.2023 for ULBs<10lakhs and 31.3.2024 for ULBs>10 lakhs)	N/A

M2.2 State/UT-Consolidated Financial Action Plan for Dumpsite Remediation: Financials in Rs. Crore

	FY 2021-22	FY 2022-23	Total (equal to SBM 2.0 allocation for dumpsite remediation for the State /UT
Action Plan amount			
No. of ULBs covered*			All ULBs in the State/UT
Action Plan approvals to be obtained by 31.3.2022 for all ULBs<10 lakh and by 31.3.2023 for all ULBs >10 lakh *Detailed ULB-wise, dumpsite-wise Action Plan statement is to be furnished			

M2.3 State/UT - Consolidated dumpsite remediation implementation action plan

Remediation	Before SBM 2.0	By 31.7.2022	By 31.3.2023	By 31.3.2024	Total
No. of ULBs completing remediation	Yes	Yes	Yes	Yes	All ULBs in the State / UT to complete remediation by 31.3.2024

अपर नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Module 3: C&D Waste Processing Action Plan (only for 154 non-complying (NCAP cities) and 5-lakh size ULBs)

M3.1 ULBs Gap Assessment for Processing of Construction and Demolition Waste (Applicable for ULBs>5 lakh population and /or 154 Non-attainment cities)

Estimated C&D waste generated @50gm/ capita of total municipal solid waste in TPD	**51.62**
Add 25% extra for bulk C&D waste generators, depositing with ULB	**12.91**
Add 20% over and above	**10.32**
Total C&D waste currently generated in TPD	**74.85**
Existing capacity of C&D waste processing plant available in TPD	**100**
Proposed capacity in TPD for 2025	**0**

M3.2 State/UT - Consolidated Financial Action Plan for C&D Waste Processing: Financials in Rs. Crore

C&D waste processing	FY 2021-22	Total (equal to SBM 2.0 allocation for C&D waste plants)
Action Plan Amount		Approvals to be obtained by 31.3.2022 for all the ULBs concerned in one go, thus prioritizing control of air pollution
Detailed statement of ULB-wise C&D waste processing plant proposals are to be furnished		

M3.3 State/UT - consolidated C&D waste processing plants implementation Action Plan

Setting up C&D waste processing plants	Before/outside SBM 2.0	By 31.7.2022	By 31.3.2023	Total
No. of ULBs	Yes	Yes	Yes	All ULBs>5 lakh + NCAP ULBs in the State/UT to complete the plants by 31.3.2023

अपर नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त
नगर निगम गोरखपुर

Module 4: Mechanical Road Sweepers Action Plan (only for 154 non complying (NCAP) and 5 lakh size ULBs)

M4.1 Mechanical Road Sweepers (Applicable only for ULBs> 5 lakh population and/or 154 Non-attainment cities) - Assessment for a ULB.

Length of road to be swept daily (only those roads which are 4-lane or more lanes)	80 km
Detailed calculation of mechanical sweeping required in Line-KMS	20km/day - 4 lanes =80 km/day
Proposed No. of machines required to sweep the length	7
No. of Machines currently operating / existing	1
Current requirement of machines (No.s)	6

M4.2 State/UT 0 Consolidated Financial Action Plan for Mechanical Road Sweepers: Financials in Rs. - Crore

	FY 2021-22	Total (equal to SBM 2.0 allocation for Mechanical Road Sweepers)
Action Plan Amount		Approvals to be obtained by 31.3.2022 for all the ULBs concerned in one go, thus prioritizing control of air pollution
Detailed Statement of ULB wise Mechanical Road Sweepers proposals are to be furnished		

M4.3 State Government / UT Administration - Consolidated Mechanical Road Sweepers Implementation Action Plan

Equipping ULBs with Mech. Road Sweepers	Before/Outside SBM2.0	By 31.7.2022	By 31.3.2023	Total
No. of ULBs	Yes	Yes	Yes	All ULBs>5 lakh + NCAP ULBs in the State/UT to complete procurement of MRSs by 31.3.2023

9 | SMA

अपर नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

ANNEX 7: IEC ACTION PLAN

(As referred in Chapter 8)

1. City Profile

1	Name of the ULB : **Gorakhpur Municipal Corporation**	
2	Name of the District, State/ UT: **Gorakhpur**	
3	No. of Municipal Zones in City: **5**	
4	No. of wards in the ULB: **70**	
5	Population & Households in the ULB as per 2011 Census:	
	Population: 673446 + 97326 = **770772**	Households: 134689 + 19466 = **154155**
6	Population & Households in the ULB as per current scenario:	
	Population: **965777**	Households: **193155**
7	Projected Population & Households in the ULB @2025	
	Population: **1032416**	Households: **206483**

1. Proposed IEC and Behavior Change interventions by the ULB

Proposed IEC initiatives					
S.No	**Key themes/messages of the Mission amplified through the initiatives**	**Details of the activities undertaken (including communication materials developed and communication platforms used)**	**Target audience**	**Expected outcomes/ desired behavior change**	**Timeline**
IPC					
1	Solid Waste Management • Source segregation will create a Garbage Free	Door-to-door awareness campaigns/ home visits/ group meetings, demo sites / kiosks at public places	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Children, community	Change in behavioural practices of citizen and active participation to achieve the vision of	Monthly

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त

	nation! • Har Din Ke Liye Teen Bin. • Be a Swachhata Champion, segregate your waste at home. • Say No to Plastic Bags, Yes to Reusable Bags. • Segregate your waste into 3 bins – green (wet waste), blue (dry waste), and black (domestic hazardous waste) and make your city Garbage Free. • Home composting is easy- start composting today! • Clean Air, Clean Water, Clean Land. • Eliminate single use plastic! Every NO counts. • Make your city clean, green, and garbage free. • Adopt 3R- Reduce, Reuse and Recycle your waste and make your city Garbage Free. • Do not litter, keep your neighbourhood clean!			Garbage free Cities at individual and society level	
		Incentive mechanism / award programs for citizens to sustain Swachh behaviour (e.g. Maximum plastic waste collected and deposited)meetings)	Frontline sanitation workers/ SafaiMitras	Moral and motivation of the workers will boost. Waste /Rag Pickers will be mainstreamed	Monthly/Annually
		Preparation of toolkit, flipchart etc. to facilitate interaction with community members	Educational institutions; Children	Awareness & behaviour change	Quarterly
		Tie-ups with service providers for awareness generation	Frontline workers of health/ ICDS/education department	Awareness about Swachh Survekshan and their role in making city clean	Quarterly
		Tie-ups with NGOs/ CBOs to drive behaviour change among communities	Citizens, Households	Awareness about Swachh Survekshan and their role in making city clean and behaviour change	Quarterly
		On ground activation program on important celebratory days of the year	Hotels/ Market Associations/	Awareness & behaviour change	Annually
Mid Media					
2	Sustainable Sanitation • Use Public Toilets, keep toilets clean! • Do not urinate in public, use the nearby toilets. • Use Google to find the nearest SBM Toilet. • Toilets at your fingertips! Search for the nearest SBM Toilet in your city.	Dissemination of Audio spots on community radio driven by ward members	Community	Awareness & behaviour change	Monthly
		Wall paintings/ graffiti art/ roadshows, street theatre, tableau, felicitation events and award ceremonies, exhibitions, competitions, on Swachhata themes	Frontline sanitation workers/ SafaiMitras		Quarterly

नगर आयुक्त

	• Share feedback on the public toilet in your city through My Toilet App, • Help city authorities improve sanitation facilities.	Preparation, printing and dissemination of manuals/ compendiums, coffee table books, newsletters, etc. documenting best practices that can facilitate knowledge sharing	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Children, community		Half Yearly
3	Used Water and Faecal Sludge Management (FSM) • Save your water from Malasur- Build the right kind of septic tank today! • Desludge your septic tank every three years through licensed operator only. • Call 14420 and desludge your septic tank. • SafaiMitra- Hamare Mitra!	Press conferences with media	Media	Awareness about Swachh Survekshan among different stakeholder/community role in making city clean and behaviour change	Anually
		Exhibitions/ public melas on SBM-U related themes	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Community	Change in behavioural practices of citizen and active participation to achieve the vision of Garbage free Cities at individual and society level	Half Yearly
		Printing and distribution of merchandise such as face masks, jute bags, umbrellas, caps, and wristbands with important messaging (only in specific events/ meetings, exhibitions, etc.)	Community	Change in behavioural practices of citizen and active participation to achieve the vision of Garbage free Cities at individual and society level	Quarterly
Digital Media					
4	Safety and Dignity of Sanitation Workers • Hazardous cleaning of sewers and septic tanks is a legal offence. • Be responsible and report hazardous cleaning of sewers and septic tanks.	Swachh Talks – Monthly thematic webinar series	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Children	Enhanced learning and adopting to new modes of communication	Monthly
		Development and dissemination of podcasts/ mobisodes/ bulk SMS/ WhatsApp/ local apps for engaging	Community	Number of posts, articles, messages disseminated by the brand ambassadors and influencers	Regular Basis

आयुक्त
गोरखपुर

	• Call 14420 for desludging your septic tanks every 3 years. • Save life of SafaiMitras • Call your city administration for cleaning of septic tanks through authorized deslugers	local champions etc.		through social, digital, on ground events etc.	
		Quizzes on focus areas of sanitation and waste management	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Children	Enhanced learning and adopting to new modes of communication	Quarterly
		Virtual Sanitation Museum	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Children	Enhanced learning and adopting to new modes of communication	Half Yearly
Mass Media					
5	Open Defecation Free • No Open Urination • Keep your city Swachh and Swasth • No Open Defecation. • Maintain your toilets, be a responsible citizen.	Dissemination of Audio Spots on Private FM channels	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Children	Increased levels of knowledge and awareness regarding SBM_U 2.0 components with special emphasize on citizen engagement	Monthly
		Video Spots on local cable TV	Community		Monthly
	Swachhata App • Help your neighbourhoods remain clean, download the Swachhata App today. • Resolve to Report Garbage dumps to city authorities. • Get your grievances addressed, use the Swachhata App. • Digital Swachhata at your fingertips • Realtime grievance resolution with Swachhata App. Download today.	Print and outdoor advertisements in local media	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Children	Increased levels of knowledge and awareness regarding sanitation, garbage free city with special emphasize on citizen engagement	Quarterly
		Development of print, audio and video collaterals	Sanitary Workers, NGO's/CBO's and RWA, SHGs, Children/Community		Half Yearly
Proposed Initiatives for citizen engagement					
	Number of Swacchata leaders and Swacchagrahis identified for formal nomination		280		

SHA

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

	Number of Citizen Sanitation Committees proposed to be set up	140

2. **Financial overview**

S. No	Description of the activity	Tentative expenditure (in Lakh)	ACA under SBM-U 2.0	State Govt. Funds	ULB Funds	Other Funds(PPP, others)
1	IPC & Mid Media	80.92	48.55	32.36		
2	Digital Media	8.67	5.20	3.46		
3	Mass Media	8.67	5.20	3.46		
4	Outdoor Media	17.34	10.40	6.94		
Total tentative expenditure(in Cr)		115.616	69.36	46.24		

SNA

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नगर निगम, गोरखपुर

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गोरखपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत महानगर के समस्त 80 वार्डो के सम्मानित नागरिकों के बहुमूल्य प्रयास से नगर निगम गोरखपुर की प्रत्येक वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में गोरखपुर नगर निगम बेहतर रैंकिंग होती रही है। इस वर्ष भी नगर निगम, गोरखपुर "स्वच्छ सर्वेक्षण-2024" में प्रतिभाग कर रहा है। महानगर के सम्मानित जनता से निवेदन है कि अपने घरो/प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सूखा कूड़ा (Dry Waste) को नीले डस्टबीन में, गीला कूड़ा (Wet Waste) को हरा डस्टबीन में, घरेलू हानिकारक (Domestic Hazardous Waste) को, काला डस्टबीन में एवं डोमेस्टिक सैनेटरी (Domestic Sanitary Waste) को पीला डस्टबीन में अलग-अलग रखे। एकत्रित गीला एवं सूखा कूड़ा को रोड/सड़क/मार्ग/खाली प्लाट/इधर-उधर में न फेंके। नगर निगम गोरखपुर द्वारा प्रत्येक घरो से दिन में एक बार कूड़ा कलेक्शन करने हेतु कर्मचारी लगाये गये है, अपने घरो के कूड़े को नगर निगम की वाहन पहुचने पर उसमें डाले, यदि कही भी खूले में कचरा फेकते पाये जाते है या फिर कचरे का सूखे एवं गीले में पृथक्करण करके नही दिया जाता है तो ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसमें कम से कम 500 रू0 का चलान किया जा सकता है। नगर निगम गोरखपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में अपना योगदान देकर अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करे।

नोडल अधिकारी, एस0बी0एम0
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

अनुलग्नक - 11

नगर निगम, गोरखपुर

सर्वसाधारण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित होटलों, मैरेजहालों एवं आर0डब्लू0ए0, बी0डब्लू0जी0 तथा हास्पिटलों के संचालकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के इन्वायरमेंटल कम्पनसेशन अधिनियम धारा 15 एवं 17 के अन्तर्गत 50/100 किग्रा से अधिक कूड़ा उत्पादकताओं को सूचित किया जाता है कि अपने उत्पादित गीले कचरे का निस्तारण अपने परिसर में ही करना सुनिश्चित करें तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण नियम-2016 तथा उ0प्र0 सरकार के शासनादेश एवं नगर निगम, गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2017 के अन्तर्गत हास्पिटलों एवं नर्सिंग होमों से उत्पादित मेडिकल वेस्ट का सुरक्षित निपटान किया जाना सुनिश्चित करें और साथ इसका प्रमाण अपने प्रतिष्ठान पर रखे ताकि निरीक्षण के समय प्रमाणों की जांच की जा सके, अन्यथा की दशा में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के इन्वायरमेंटल कम्पनसेशन अधिनियम धारा 15 एवं 17 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

नोडल अधिकारी, एस0बी0एम0
नगर निगम, गोरखपुर

-नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

संलग्नक–12 (सी0 एण्ड डी0 सेन्टर)









261

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :30/10/2024 To 31/12/2027

Category : GREEN **Application Id : 28491598**

Ref No. - 223173/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTE/GORAKHPUR/2024 **Dated:- 30/10/2024**

To ,

Shri SUDHIR CHELAWAT
M/s PM PROJECTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
KHASRA NO. 1144, RAKBA 0.84 NOUSAD BARIYA TOLLA , GORAKHPUR
,GORAKHPUR,273016
GORAKHPUR

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 28491598 dated - 04/10/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	**Raw Material Unit Name**	**Raw Material Quantity**
Dead Animals	Metric Tonnes/Day	12

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	**Product Quantity**
Ash from Disposal of Dead Animal- 18.25	18.25

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	**Unit Name**	**Licence Product Capacity**	**Install Product Capacity**
Ash from Disposal of Dead Animals	Metric Tonnes/Day	18.25	25

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	**Name of Source**	**Quantity (KL/D)**
Ground Water (within premises)	Bore Well	5.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	**Quantity (KL/D)**
Others(Washing)	5.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	**Consumption(tpd/kld)**	**Use**

5 For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/12/2027 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, I974 and Air (Prevention and control of Pollution)Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application,complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 may be initiated against the industry With out any prior information,in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

1. This CTE is valid for M/S PM PROJECTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED, KHASRA NO. 1144, RAKBA 0.84 NOUSAD BARIYA TOLLA, GORAKHPUR for Animal Waste Crematorium of Dead Animal Plant capacity- 1000-1500 Kg/Hour.
2. Industry shall Developed Proper Green Belt in the premises as per the provision of the Govt. Order issued for plantation by the Govt. of the U.P. Gazat notification.
3. The industry shall provide/installed Septic Tank and Soak Pit for the Treatment of the Domestic Effluent Generated from the Premises.
4. Industry shall be not allow to generate/disposed of any polluting industrial effluent from industrial premises.
5. No any adverse effect shall be occurred by installation and operation of the unit.
6. No any fuel shall be used in any Manufacturing or any subsidiary process accept Diesel oil for D.G. Set only.
7. Industry submit land use paper with in two months.
8. Industry shall obtained C.T.O. (air and water) before operation.
9. Industry shall installed rain water Harvesting system to conserve ground water.
10. Industry shall comply the provision of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 as amended 1978 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981.
11. Industry shall be ensure to proper disposal of waste/solid waste generated from unit in the premises.
12. This C.T.E. shall be revoked or cancelled in case of any valid complain received to this office against the industry.
13. Separate C.T.E. shall be obtain from U.P.P.C.B. in case of capacity enhancement, expansion or any changes in this C.T.E. Issued.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance ot any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 30/11/2024 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2024.10.30 11:49:13 +05'30'
Regional Officer

Dated:- 30/10/2024

Copy To -

CEO 6 : UPPCB, Lucknow.

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2024.10.30 11:49:34 +05'30'
Regional Officer

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

संलग्नक – A

स्वच्छ सर्वेक्षण : गोरक्षनगरी को देश में चौथा स्थान

तीन से 10 लाख की आबादी वाले निगम की श्रेणी में मिला है पुरस्कार, गारबेज फ्री सिटी में फाइव स्टार रेटिंग

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गोरखपुर नगर निगम को इसी श्रेणी में पहला स्थान मिला है।

कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में नगर निगम को फाइव स्टार रेटिंग मिली है। निगम को वाटर प्लस का भी दर्जा मिला है। साथ ही स्वच्छता मित्र सुरक्षित शहर में भी देश में तीसरा रैंक मिला है। उधर मुरादाबाद को देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बृहस्पतिवार को घोषित किए गए। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने गोरखपुर नगर निगम के मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया।

नगर निगम गोरखपुर ने स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तीन से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 12,500 में से 11,278 अंक (90.22 प्रतिशत) अर्जित किए हैं। नगर निगम ने वर्ष 2023 में नवां स्थान प्राप्त किया था। एक वर्ष में नगर निगम ने पांच रैंक की छलांग लगाई है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में गोरखपुर ने तीन बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2023 में गारबेज फ्री सिटी में निगम को थ्री स्टार रेटिंग मिली थी। जबकि, इस बार फाइव स्टार रेटिंग मिली है। नगर निगम को वाटर प्लस मिला है जो अपशिष्ट जल के सुरक्षित निस्तारण और पुनः उपयोग में राष्ट्रीय मानकों के पालन को दर्शाता है। इसके अलावा गोरखपुर ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर मूल्यांकन में देश भर में तृतीय स्थान हासिल किया है।



नई दिल्ली में मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव को अवार्ड प्रदान करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। संवाद

निगम की रणनीति और जनभागीदारी की जीत

मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के अग्रणी शहरों में स्थान बनाकर निगम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह नगर निगम की प्रभावी रणनीति, समर्पित टीमवर्क और जनभागीदारी से ही संभव हो पाया है। इस उपलब्धि पर उन्होंने शहरवासियों, पार्षदों और निगम टीम को बधाई दी। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि कचरे के समुचित निस्तारण के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना तेजी से हो रही है, ताकि भविष्य में और बेहतर रैंकिंग हासिल की जा सके।

मेयर, नगर आयुक्त ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ग्रहण किया पुरस्कार

नगर निगम में पार्षदों-अधिकारियों ने देखा लाइव सम्मान

गोरखपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट देखने के लिए नगर निगम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभागार में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह सहित कई पार्षद और अधिकारियों ने कार्यक्रम को लाइव देखा। निगम को देश में चौथी रैंक प्राप्त होने पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। साथ ही मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। ब्यूरो



खुशी मनाते पार्षद एवं नगर निगम के अधिकारी। संवाद

कचरा प्रबंधन और जन भागीदारी ने दिलाया खिताब

ANNEXURE NO.-R3/2

वेब साइट: www.uppcb.com
ई–मेल :- roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक: –365/ओजी–590/2025 दिनांक: 15/07/2025

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद, आगरा।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाह, आगरा।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर सीकरी, आगरा।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अछनेरा, आगरा।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शमसाबाद, आगरा।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, एत्मादपुर, आगरा।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहाबाद, आगरा।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, दयालबाग, आगरा।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वामी बाग, आगरा।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, जगनेर, आगरा।
12. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, खेरागढ़, आगरा।
13. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, किरावली, आगरा।
14. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, पिनाहट, आगरा।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक सं0–एच 29673/WMD/M.F.-57/सा–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

"76.Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

कृ0प0उ0

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places."

उपरोक्त पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि नगर निगम/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को उचित स्थलों पर होर्डिंग्स/बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किये जाने हेतु तत्सम्बन्धित को निर्देशित एवं अनुपालन कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4/6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

दैनिक हिन्दुस्तान

दिनाँक - 16-07-2025

वेब साइट: www.uppcb.com
ई-मेल: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक–356/ओजी–590/2025

दिनांक–15.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या–613/2022 में एम0एम0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में अनाधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों पंचायत एवं राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डम्प करने पर उपरोक्त आदेश की तारीख 26.07.2024 से पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। ऐसी प्रत्येक घटना के लिए उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0–5,000/– तथा अग्रेतर उल्लंघन पर रू0–10,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि किसी बल्क वेस्ट जनरेटर, रियायतग्राही, अर्बन लोकल बाड़ी या इसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा उक्त स्थलों पर बल्क वेस्ट फेंका/डम्प किया जाता है, तो उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0–25,000/– तथा अग्रेतर उल्लंघन करने पर रू0–50,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किया जायेगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न करने की स्थिति में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूला जायेगा।

अतः जन सामान्य/बल्क वेस्ट जनरेटर से अपील की जाती है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के अनुपालन में सॉलिड वेस्ट/बल्क वेस्ट को सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों पंचायत एवं राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर निस्तारण न किया जाये। अन्यथा मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ई-मेल द्वारा

संदर्भ संख्या: .....WMD/80-57/2025 दिनांक 21/5/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में ए0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में ए0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

सी–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश को पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को cco6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक – 731/OA No–613/2022/25 दिनांक: 14-07-25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025, राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक: एच29673/डब्लू.एम.डी./एम.ए.–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्देश दिये गये हैं कि–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

उक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025, राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 26.07.2024 को पारित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु चारों जनपदों (अलीगढ़, हाथरस, कासगंज एवं एटा) में स्थित स्थानीय निकायों को कार्यालय के पत्र दिनांक 01.07.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं, संलग्नक–1। जन–मानस में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 11.07.2025 को प्रेस विज्ञप्ति निकाली गयी है, संलग्नक–2 एवं शहर में बैनर/ होर्डिंग भी लगाये गये हैं, संलग्नक–3। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु नेशनल न्यूज चैनल डी0डी0 नेशनल द्वारा समाचार भी प्रसारित कराया गया है।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किये गये व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु की गयी कार्यवाही (स्थानीय निकायों को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, समाचार पत्रों की कटिंग, शहर में लगाये गये बैनर/हार्डिंग के फोटो आदि) का विवरण संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (डब्लू.एम.डी.), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक – 674/O.A-613/2025 दिनांक 01.07.2025

महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, अलीगढ़।
2. जिला पंचायतराज अधिकारी, अलीगढ़।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अतरौली/खैर, जनपद अलीगढ़।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, इगलास/जट्टारी/पिलखना/छर्रा/कोड़ियागंज/हरदुआगंज/बेसवां/विजयगढ़/जलाली/गभाना/बरौली/चण्डौस/मडराक/जवां सिकन्दरपुर/ पिसावां, जनपद अलीगढ़।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक:एच29673/डब्लू.एम.डी./एम.ए.–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में सड़कों, नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर नगरों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26.07.2024 को मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -58- authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/ UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

---------2/-

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -59- hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अनुपालन किया जाना है तथा समस्त रेस्पान्डेन्ट्स द्वारा अनुपालन आख्या दिनांक 09.07.2025 तक दाखिल की जानी है (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)।

अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलनक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
2. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जनपद अलीगढ को इस अनुरोध से प्रेषित कि जिला पर्यावरण समिति की अगामी बैठक में मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 को टेकअप करने का कष्ट करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद अलीगढ़ को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक – 672/OA-613/2025 दिनांक 01.07.2025

महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, हाथरस।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाथरस/सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सासनी/सादाबाद/मेण्डू/मुरसान/सहपऊ/पुरदिलनगर/हसायन, जनपद हाथरस।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांकःएच29673/डब्लू.एम.डी./एम.ए.–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर नगरों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26.07.2024 को मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -58- authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/ UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -59- hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

.....2/-

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अनुपालन किया जाना है तथा समस्त रेस्पान्डेन्ट्स द्वारा अनुपालन आख्या दिनांक 09.07.2025 तक दाखिल की जानी है (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)।

अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। संलनक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
2. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
3. प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग, जनपद हाथरस को इस अनुरोध से प्रेषित कि जिला पर्यावरण समिति की अगामी बैठक में मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 को टेकअप करने का कष्ट करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद हाथरस को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक – 611 /ओ0ए0 सं0–613/22/2025 दिनांक 01.07.2025

महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, कासगंज।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कासगंज/गंजडुंडवारा/सोरो, जनपद कासगंज।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पटियाली/सहावर/सिढपुरा/विलराम/मोहनपुर/सिकन्दरपुर/तालग्राम/तिवारीपुर/भरगेन/अमांपुर, जनपद कासगंज।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक:एच29673/डब्लू.एम.डी./एम.ए.–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में सड़कों, नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर नगरों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26.07.2024 को मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -58- authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/ UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -59- hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

.....2/-

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अनुपालन किया जाना है तथा समस्त रेस्पान्डेन्ट्स द्वारा अनुपालन आख्या दिनांक 09.07.2025 तक दाखिल की जानी है (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)।

अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। संलनक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
2. जिलाधिकारी महोदया, कासगंज।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जनपद कासगंज को इस अनुरोध से प्रेषित कि जिला पर्यावरण समिति की अगामी बैठक में मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 को टेकअप करने का कष्ट करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद कासगंज को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक – 670/ओ0ए0 सं0–613/22/2025 दिनांक 01.07.2025

महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, एटा
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जलेसर/एटा/मारहरा/अलीगंज, जनपद एटा।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, आवागढ़/सकीट/निधौलीकलां/जैथरा/राजा का रामपुर, जनपद एटा।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांकःएच29673/डब्लू.एम.डी./एम.ए.–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में सड़कों, नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर नगरों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26.07.2024 को मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -58- authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/ UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -59- hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

.....2/-

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अनुपालन किया जाना है तथा समस्त रेस्पान्डेन्ट्स द्वारा अनुपालन आख्या दिनांक 09.07.2025 तक दाखिल की जानी है (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)।

अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलनक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
2. जिलाधिकारी महोदय, एटा।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जनपद एटा को इस अनुरोध से प्रेषित कि जिला पर्यावरण समिति की अगामी बैठक में मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 को टेकअप करने का कष्ट करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद एटा को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला | अलीगढ़ | शुक्रवार, 11 जुलाई 2025 | 5

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-11, ज्ञान सरोवर कालोनी, अलीगढ़।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या - 613 / 2022 में एम०ए० संख्या - 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में अनाधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने / डम्प करने पर उपरोक्त आदेश को तारीख 26.07.2024 से पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। ऐसी प्रत्येक घटना के लिए उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0 5000 /- तथा अग्रेत्तर उल्लंघन पर रू0 10,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि किसी वल्क वेस्ट जनरेटर, रियायतग्राही, अर्बन लोकल बाडी या इसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा उक्त स्थलों पर वल्क वेस्ट फेंका / डम्प किया जाता है, तो उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0 25,000 /- तथा अग्रेत्तर उल्लंघन करने पर रू0 50,000 / - की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सम्बन्धित नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किया जायेगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न करने की स्थिति में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूला जायेगा।

अतः जन सामान्य / वल्क वेस्ट जनरेटर से अपील की जाती है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुपालन में सालिड वेस्ट / वल्क वेस्ट को सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर निस्तारण न किया जाये। अन्यथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

पत्रांक : 719/OA No. 613/2025, दिनांक 10.07.2025

क्षेत्रीय अधिकारी

अलीगढ़, 11 जुलाई, 2025 दैनिक जागरण 11

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

जे–1, ज्ञान सरोवर कालोनी, अलीगढ़

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में अनाधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने /डम्प करने पर उपरोक्त आदेश की तारीख 26.07.2024 से पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। ऐसी प्रत्येक घटना के लिए उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0 5000/– तथा अग्रेत्तर उल्लंघन पर रू0 10,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि किसी बल्क वेस्ट जनरेटर, रियायतग्राही, अर्बन लोकल बाडी या इसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा उक्त स्थलों पर बल्क वेस्ट फेंका/डम्प किया जाता है, तो उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0 25,000/– तथा अग्रेत्तर उल्लंघन करने पर रू0 50,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किया जायेगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न करने की स्थिति में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूला जायेगा।

अत: जन सामान्य/बल्क वेस्ट जनरेटर से अपील की जाती है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुपालन में सालिड वेस्ट/बल्क वेस्ट को सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर निस्तारण न किया जाये। अन्यथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक : 719/OA No–613/2025 दिनांक : 10.07.2025

हिन्दुस्तान

अलीगढ़, शुक्रवार, 11 जुलाई 2025 14

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जे-1, ज्ञान सरोवर कालोनी, अलीगढ़।

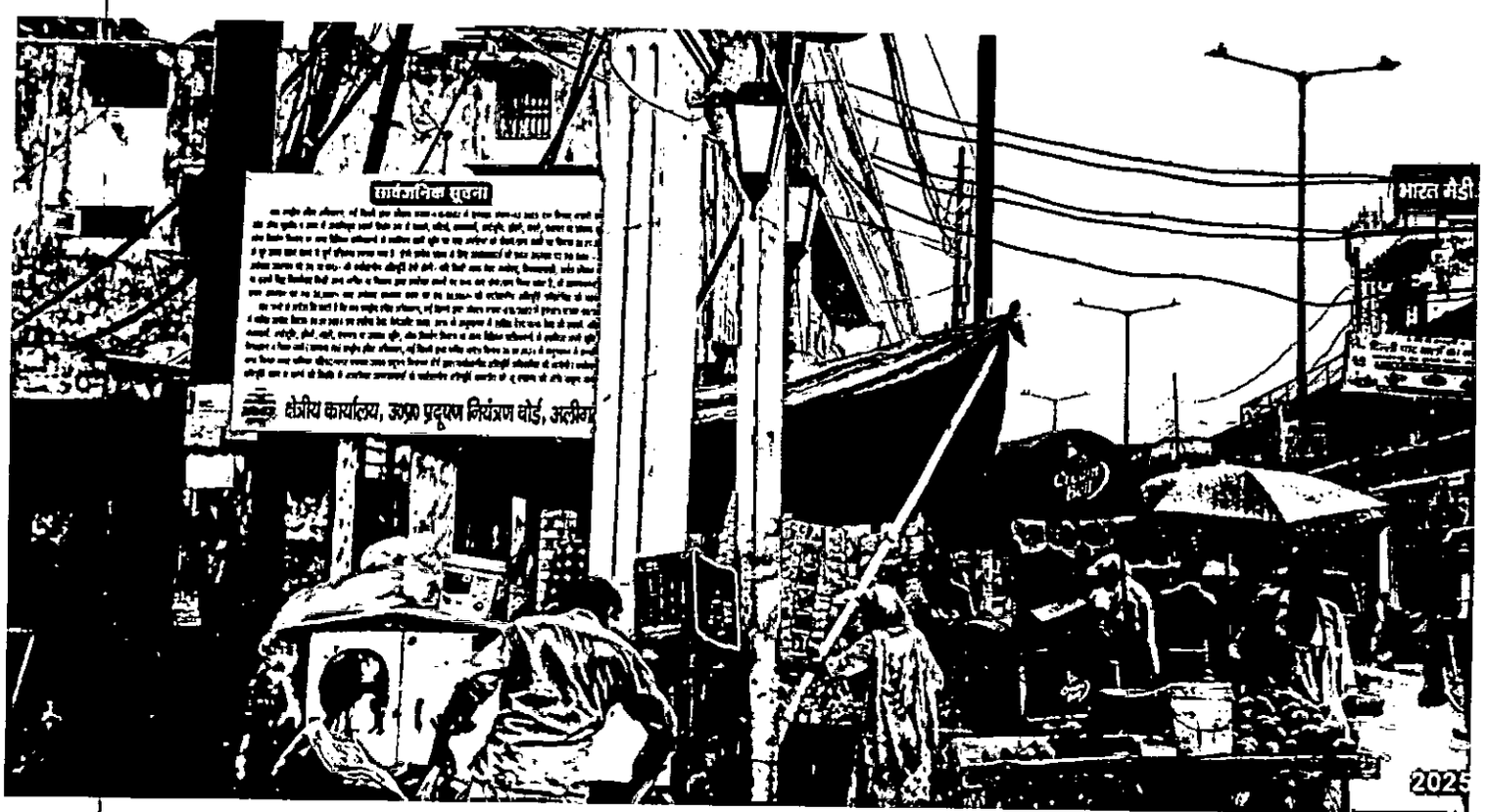
पत्रांक: 719/0A No- 613/2025 दिनांक: 10.07.2025

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-613/2022 में एम०ए० संख्या-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में अनाधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने / डम्प करने पर उपरोक्त आदेश की तारीख 26.07.2024 से पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। ऐसी प्रत्येक घटना के लिए उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0 5000/- तथा अग्रेत्तर उल्लंघन पर रू0 10,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि किसी बल्क वेस्ट जनरेटर, रियायतग्राही, अर्बन लोकल बाडी या इसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा उक्त स्थलों पर बल्क वेस्ट फेंका / डम्प किया जाता है, तो उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0 25,000/- तथा अग्रेत्तर उल्लंघन करने पर रू0 50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सम्बन्धित नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किया जायेगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न करने की स्थिति में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूला जायेगा।

अतः जन सामान्य / बल्क वेस्ट जनरेटर से अपील की जाती है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुपालन में सालिड वेस्ट / बल्क वेस्ट को सडकों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर निस्तारण न किया जाये। अन्यथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 26.07.2024 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी


सार्वजनिक सूचना
क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
भारत मैडी
2025


2025/7/12 16:28

दूरभाषः/Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज– 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 G00404/क्षे MOT ON no-613/2022/2025 दिनांक 16/07/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0–57/सा0–42/2025,. दिनांक 30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों यथा–प्रयागराज, फतेहपुर एवं कौशाम्बी में स्थित सभी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) को मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या जी00297/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 613/2022/2025, दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 195/2025–26, दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से समस्त जोनल अधिकारी, नगर निगम, प्रयागराज, समस्त जोनल सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम, प्रयागराज, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम, प्रयागराज एवं समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम, प्रयागराज को उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित/अधिकृत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

sunil pal@gmail.com

कार्यालय : नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज

सं0डी0 : 195 / / 2025-26 दिनांक : 15 जुलाई, 2025

कार्यादेश

1. समस्त जोनल अधिकारी, नगर निगम, प्रयागराज।
2. समस्त जोनल सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम, प्रयागराज।
3. मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम, प्रयागराज।
4. समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम, प्रयागराज।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया पत्रावली के दायीं ओर संलग्न क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झूँसी, प्रयागराज के पत्र संख्या G00297/NGTOA.NO.613/2022/2025, दिनांक 01/07/2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 संख्या- 57/2025 राम साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य, दिनांक 26.06.2024 एवं 09.05.2025 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction....."

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आपको निर्देशित/अधिकृत किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति या संस्थायें यदि सार्वजनिक स्थलों, सड़क किनारे, नदियों, नालों, तालाबों आदि में ठोस अपशिष्ट फेंकते हुए पाए जाते है, तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(साई तेजा)
नगर आयुक्त

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय महापौर महोदय।
2. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनर्थ प्रेषित।
3. नगर स्वास्थ्य अधिकारी

नगर आयुक्त

दूरभाष: / Ph. : 0532-2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज- 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 600297 / NGT ON0·613 /2022 / 2025 दिनांक 01/07/2025

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, प्रयागराज
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सिरसा, प्रयागराज
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लाल गोपालगंज, प्रयागराज
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, फूलपुर, प्रयागराज
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, शंकरगढ़, प्रयागराज
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कोरांव, प्रयागराज
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हण्डिया, प्रयागराज
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भारतगंज, प्रयागराज
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मऊआईमा, प्रयागराज
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अझूआ, कौशाम्बी
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चायल, कौशाम्बी
12. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चरवा, कौशाम्बी
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दारा नगर (कड़ाधाम), कौशाम्बी
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, करारी, कौशाम्बी
15. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मंझनपुर, कौशाम्बी
16. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पूरब पश्चिम शरिरा, कौशाम्बी
17. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सराय अकिल, कौशाम्बी
18. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सिराथू, कौशाम्बी
19. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर
20. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिन्दकी, फतेहपुर
21. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, किशुनपुर, फतेहपुर
22. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बहुआ, फतेहपुर
23. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हथगांव, फतेहपुर
24. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जहानाबाद, फतेहपुर
25. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, खागा, फतेहपुर
26. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, खखरेरू, फतेहपुर
27. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, करिकान धाता, फतेहपुर

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0-57/सा0-42/2025, दिनांक 30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य दिनांक- 26.07.2024 एवं दिनांक-09.05.2025 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date ofthis order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first

क्रमशः 2/-पर...

instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction...."

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् कार्यवाही कराने का कष्ट करें:–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्तव वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिससे सूचनायें संकलित करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर जिलाधिकारी (नोडल लोकल बॉडिज), प्रयागराज/कौशाम्बी/फतेहपुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

sunil pa.al com

अमर उजाला | प्रयागराज | बृहस्पतिवार, 17 जुलाई 2025 | 9

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज-221506, फोन-0532-2569727

प्रेस विज्ञप्ति

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के अन्तर्गत आच्छादित (प्रयागराज, कौशाम्बी एवं फतेहपुर) के समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् , नगर पंचायत को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए.नं0 613/2022 में एम.ए. सं0 57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ट को किसी भी दशा में अनाधिकृत स्थान जैसे-रोड साइड, नदियां, जलमार्ग आदृभूमि, झील, नाला, पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर न फेंका जाये। यदि आप द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और आप द्वारा ठोस अपशिष्ट को अनाधिकृत स्थान पर फेंके जाने पर प्रथम बार 5000/- एवं आगे पुनरावृत्ति होने पर क्रमशः 10000/-, 25000/-, 50000/- रू0- आपके निकाय पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी, सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

संदर्भ सं0 G00416/प्रेस विज्ञप्ति/2025 दिनांक 16.07.2025 क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला | कौशाम्बी-आसपास | वृहस्पतिवार, 17 जुलाई 2025 | 7

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3,
झूँसी, प्रयागराज-221506, फोन-0532-2569727

प्रेस विज्ञप्ति

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के अन्तर्गत आच्छादित (प्रयागराज, कौशाम्बी एवं फतेहपुर) के समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् , नगर पंचायत को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए.नं0 613/2022 में एम.ए. सं0 57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ट को किसी भी दशा में अनाधिकृत स्थान जैसे-रोड साइड, नदियां, जलमार्ग आदृभूमि, झील, नाला, पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर न फेंका जाये। यदि आप द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और आप द्वारा ठोस अपशिष्ट को अनाधिकृत स्थान पर फेंके जाने पर प्रथम बार 5000/- एवं आगे पुनरावृत्ति होने पर क्रमशः 10000/-, 25000/-, 50000/- रू0- आपके निकाय पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी, सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

संदर्भ सं0 G00416/प्रेस विज्ञप्ति/2025 दिनांक 16.07.2025 क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref- 225/ओ०ए०नं०-613/2022/2025-26 दिनांक/Date 15-7-2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच.30080/सी–6/सा0–709/ ओए0 नं–613/2022/2025, दिनांक 10.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय एन0जी0टी0, में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या/विवरण निम्नवत् है।

1. माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण" के संस्करण दिनांक–15.07.2025 में प्रकाशित कराया गया। समाचार पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न है।(संलग्नक–1)
2. माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में अनुपालानात्कमक कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़ के अर्न्तगत स्थित समस्त स्थानीय निकायों को पत्र प्रेषित किया गया। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।(संलग्नक–2)

सूचना/अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

15.7.25

for (आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर मऊ रोड, आजमगढ़ – 276128, www.uppcb.com. E-mail-roazamgarh@uppcb.in Ph. No.- 05462-247517
मुख्यालय : टी.सी. 12वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 # दूरभाष 2720828,2720681,2720691,2720831
फैक्स : 0522–2720764 # ई–मेल : info@uppcb.in # वेबसाइट : www.uppcb.in

हिन्दुस्तान

वाराणसी
मंगलवार
15 जुलाई 2025

क्षेत्रीय कार्यालय

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयरामपुर, मऊ रोड, आजमगढ़

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-613/2022 में एम०ए० सं०-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के क्रम में जिला आजमगढ़ में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जैल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने / डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को उल्लंघनकर्ताओ पर जुर्माना लगाने जाने, वसूलने एवं उस धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति:-

अपशिष्ट को फेकने / डम्प करने पर:-

- रु० 5,000.00
- रु० 10,000.00 (अपराध की पुनरावृत्ति पर)

बल्क वेस्ट को फेकने / डम्प करने पर:-

- रु० 25,000.00
- रु० 50,000.00 (अपराध की पुनरावृत्ति पर)

क्षेत्रीय अधिकारी

Ref.No. 223/O.A. No-613/2022/2025-26 Date : 14.07.2025

अमर उजाला

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयरामपुर, मऊ रोड, आजमगढ़

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-613/2022 में एम0ए0 सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के क्रम में जिला आजमगढ़ में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उस धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति:-

अपशिष्ट को फेकने / डम्प करने पर:-

- रू0 5,000.00
- रू0 10,000.00 (अपराध की पुनरावृत्ति पर)

वल्क वेस्ट को फेकने / डम्प करने पर:-

- रू0 25,000.00
- रू0 50,000.00 (अपराध की पुनरावृत्ति पर)

क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक सं0: 223/O.A. No.-613/2022/2025-26

दिनांक 14/07/2025

दैनिक जागरण 11
वाराणसी, 15 जुलाई, 2025

क्षेत्रीय कार्यालय
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयरामपुर, मऊ रोड, आजमगढ़

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–613 / 2022 में एम0ए0 सं0–57 / 2025 राम मिलन साहनी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के क्रम में जिला आजमगढ़ में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारें, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने / डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को उल्लंघनकर्ताओ पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उस धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति:–

अपशिष्ट को फेकने / डम्प करने पर:–

- रु0 5,000.00
- रु0 10,000.00 (अपराध की पुनरावृत्ति पर)

वल्क वेस्ट को फेकने / डम्प करने पर:–

- रु0 25,000.00
- रु0 50,000.00 (अपराध की पुनरावृत्ति पर)

Ref.No-223/O.A.No-613/2022/2025-26 date 14.07.2025

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref. 224/ओ०ए०नं०-613/2022/2025-26 दिनांक/Date 15-7-2025

सेवा में,

सूची संलग्न स्थानीय निकाय जनपद–आजमगढ़/मऊ/बलिया (कुल–28)
(समस्त नगर पालिका परिषद/समस्त नगर पंचायत)

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्लीमें योजित ओ०ए० संख्या–613/2022 में एम०ए० संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच.29673/डब्ल्यू०एम०डी०/एम०ए० 57/सा०–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–613/2022 में एम०ए० संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या– 613/2022 में एम०ए० संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत् हैं:–

"76. *Accordingly, we specifically direct that there shall be completeprohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized placesparticularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from thedate of this order and for each such incident of default, violator shallbe liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case offirst instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance oflittering/dumping of solid waste not falling in the category of bulkwaste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- incase of any further instance of littering/dumping of bulk waste by anybulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or bodyresponsible for the same. The concerned Commissioner of MunicipalCorporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council orNagar Panchayat shall designate appropriate number of officersthereof for imposing environmental compensation on the violators. Inaddition to such designated Officers of MunicipalCorporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the RegionalOfficer, UPPCB shall also be entitled to impose environmentalcompensation from the violators. Environmental compensation soimposed/realized shall be deposited with the concerned MunicipalCorporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case ofnon-payment the environmental compensation as mentioned aboveshall be recovered as arrears of land revenue by the CompetentAuthority in accordance with law. Environmental compensation sorealized shall be utilized by the concerned MunicipalCorporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for propermanagement and processing of Solid Waste within its respectivejurisdiction.*

77. *The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and theMember Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity ofthis direction through electronic and print media and also through 'O. hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/NagarPanchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.*

78. *The present application is disposed of accordingly with thedirections as mentioned above.*

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर मऊ रोड, आजमगढ़ – 276128, www.uppcb.com. E-mail-roazamgarh@uppcb.in Ph. No.- 05462-247517
मुख्यालय : टी.सी. 12वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 # दूरभाष 2720828,2720681,2720691,2720831
फैक्स : 0522–2720764 # ई–मेल : info@uppcb.in # वेबसाइट : www.uppcb.in

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्वभूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है, तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं:–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद में नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाये।

भवदीय

for (आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

जनपद–आजमगढ़	
क्र0सं0	नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
1.	नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।
2.	नगर पंचायत कटघर, लालगंज, आजमगढ़।
3.	नगर पालिका परिषद, मुबारकपुर, आजमगढ़।
4.	नगर पंचायत, जियनपुर, आजमगढ़।
5.	नगर पंचायत, फूलपुर, आजमगढ़।
6.	नगर पंचायत, निजामाबाद, आजमगढ़।
7.	नगर पंचायत, महराजगंज, आजमगढ़।
8.	नगर पंचायत, अजमतगढ़, आजमगढ़।
9.	नगर पंचायत, अतरौलिया, आजमगढ़।
10.	नगर पंचायत, सरायमीर, आजमगढ़।
11.	नगर पंचायत, बिलरियागंज, आजमगढ़।
12.	नगर पंचायत, मेंहनगर, आजमगढ़।
जनपद–मऊ	
1.	नगर पालिका परिषद, मऊनाथभंजन, मऊ।
2.	नगर पंचायत, मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ।
3.	नगर पंचायत, दोहरीघाट, मऊ।
4.	नगर पंचायत, घोसीगंज, मऊ।
5.	नगर पंचायत, अदरी, मऊ।
6.	नगर पंचायत, अमिला, मऊ।
7.	नगर पंचायत, घोसी, मऊ।
जनपद–बलिया	
1.	नगर पालिका परिषद, रसड़ा, बलिया।
2.	नगर पालिका परिषद, बलिया।
3.	नगर पंचायत, बेल्थरा रोड, बलिया।
4.	नगर पंचायत, रेवती, बलिया।
5.	नगर पंचायत, सिकन्दरपुर, बलिया।
6.	नगर पंचायत, बांसडीह, बलिया।
7.	नगर पंचायत, चितबड़ागाँव, बलिया।
8.	नगर पंचायत, मनियर, बलिया।
9.	नगर पंचायत, सहतवार, बलिया।

Phone & Fax: 0581-2535299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः 267 / पुन विज्ञप्ति /2025 दिनांक 02/7/25

सेवा में,

सम्पादक महोदय,
हिन्दुस्तान
बरेली।

विषयः– प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रेस नोट अपने सामाचार पत्र दिनांक 03.07.2025 के बरेली संस्करण में (साइज 05सेन्टीमीटर×06 सेन्टीमीटर अथवा जो भी न्यूनतम हो) डी0ए0वी0पी0 की दरों पर प्रकाशित कराते हुये भुगतान हेतु बीजक इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

Phone & Fax: 0581-2535299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122

–प्रेस विज्ञप्ति–

एततद्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0एस0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है– *".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date ofthis order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction..".*

अतः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा उक्त पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली के क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगर निगम/गर पालिका परिषद/नगर पंचायत किसी भी दशा में Municipal Solide Waste की डाम्पिंग अवैज्ञानिक तरीके से न किया जाये, Municipal Solide Waste का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से सुनिश्चित किया जाना प्राविधानित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

LATTER S.S

Scanned with OKEN Scanner

Phone & Fax: 0581-2585299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः 312 /NGT OA No.: 613/2022/2025 दिनांक 14/7/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0एस0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 29673/ डब्लू0एम0डी0/ एम0ए0–57/ सा0 42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0एस0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 267/प्रेस विज्ञप्ति/2025 दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र में जन समान्य हेतु दिनांक 03.07.2025 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी।

अतः दिनांक 03.07.2025 को प्रकाशित करायी गयी प्रेस विज्ञप्ति की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

देश में तैनात भारतीयों के पीएफ खाते में आएंगे सामाजिक सुरक्षा लाभ

द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में सामाजिक सुरक्षा होगी शामिल



केंटीय वित्त एवं रोजगार मंत्री श्री, मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत जिन भी देशों के साथ एफ.टी.ए या द्विपक्षीय समझौते करेगा (बी.टी.ए) कर रहा है, उन देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को भी शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। एग्रीमेंट या बिलेटरल इंवेस्टमेंट ट्रीटी पर भारतीय अधिकारी भी इन देशों में तैनातियत कर्मचारियों के लिए जाएंगे, जिससे यह मामला और तेजी से आगे बढ़ सके। ऐसे में इन मुलाकातों के दौरान ही भारतीय कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी बात होगी।

अभी तक नहीं मिलता पूरा लाभ

भारत का जिन देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं है, उन देशों द्वारा भारतीय कंपनियों की सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक निश्चित कटौती हर महीने काटी जाती है। इस कटौती की तुलना में उन्हें दोहरे लाभ नहीं मिलता है। जब कर्मचारी वीजा खत्म होने के बाद अपने स्वदेश लौटते हैं तो उस कटौती राशि एम्प्लॉयी एवं दी नहीं जाती है। इसलिए समझौते भारत में ही कार्यरतियों को सामाजिक सुरक्षा मिलने और एम्प्लॉयी को बेहतर में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कटौती जमा करने की होगी।

केंद्रीय वित्त एवं रोजगार मंत्री श्री, मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत सरकार दुनिया भर के कुल 15 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता करने की दिशा में काम कर रही है। जहां पर भारतीय कंपनियों की बीजपूरी है और भारत से बड़ी संख्या में कर्मचारी वहां पर तैनात हैं। ऐसे देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा को लेकर समझौता करने की कोशिश की जा रही है। इसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, आयरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिचेंस्टीन और स्वीडन शामिल हैं।

देशों में भारत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह भी संकेत दिया गया है

Phone & Fax: 0581-2585299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः 296 /NGT OA No.: 613/2022 /2025 दिनांक 05/7/25

सेवा में,

सूची संलग्न स्थानीय निकाय जनपद–बरेली, पीलीभीत, बदायूं एवं शाहजहांपुर (कुल–59)
(नगर निगम, बरेली, शाहजहांपुर/समस्त नगर पालिका परिषद/समस्त नगर पंचायत)

विषय–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0एस0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 29673/ डब्लू0एम0डी0/ एम0ए0–57/ सा0 42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0एस0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0एस0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date ofthis order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Seceratary, UPPCB are dierted to ensure adequate publicity of this direcion through electronic and print media and also through hording, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Munisipal Corporation/ Munisipal Commissioner/Nagar Panchyat shall also make due publicity through holdings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the direcion as mentioned above.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी उपरोक्त आदेश सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलो, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकन/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित

है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध मे भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है तथा ओ0एस0 613/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुये है।

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चत करें।
2. इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्लू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

जनपद–बरेली

क0सं0	स्थानीय निकाय का नाम व पता
1.	मै9 नगर निगम, बरेली
2.	मै0 नगर पंचायत सिरौली, बरेली
3.	मै0 नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी, बरेली
4.	मै0 नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी, बरेली
5.	मै0 नगर पंचायत मीरगंज, बरेली
6.	मै0 नगर पंचायत शाही, बरेली
7.	मै0 नगर पंचायत धौराटांडा, बरेली
8.	मै0 नगर पंचायत ठिरिया निजावत खॉ, बरेली
9.	मै0 नगर पंचायत रिठौरा, बरेली
10.	मै0 नगर पंचायत शेरगढ, बरेली
11.	मै0 नगर पंचायत देवरनियॉ, बरेली
12.	मै0 नगर पंचायत विसारतगंज, बरेली
13.	मै0 नगर पंचायत रिछा, बरेली
14.	मै0 नगर पंचायत शीशगढ, बरेली
15.	मै0 नगर पंचायत सेंथल, बरेली
16.	मै0 नगर पालिका परिषद, ऑवला बरेली
17.	मै0 नगर पालिका परिषद, बहेडी बरेली
18.	मै0 नगर पालिका परिषद, फरीदपुर बरेली
19.	मै0 नगर पालिका परिषद, नवाबगंज बरेली
20.	मै0 नगर पंचायत, फरीदपुर (बहेडी) बरेली

जनपद–पीलीभीत।

क0सं0	स्थानीय निकाय का नाम व पता
1.	मै0 नगर पालिका परिषद, पीलीभीत
2.	मै0 नगर पालिका परिषद, पूरनपुर, पीलीभीत
3.	मै0 नगर पालिका परिषद, बीसलपुर पीलीभीत
4.	मै0 नगर पंचायत, गुलडिया भिण्डारा मझोला, पीलीभीत
5.	मै0 नगर पंचायत, बरखेडा पीलीभीत
6.	मै0 नगर पंचायत, बिलसण्डा, पीलीभीत
7.	मै0 नगर पंचायत, जहानाबाद पीलीभीत
8.	मै0 नगर पंचायत, न्यूरिया हुसैनपुर पीलीभीत
9.	मै0 नगर पंचायत, कलीनगर पीलीभीत

जनपद–शाहजहांपुर।

क0सं0	स्थानीय निकाय का नाम व पता
1.	मै0 नगर पंचायत, अल्लागंज, शाहजहॉपुर
2.	मै0 नगर पंचायत कॉठ, शाहजहॉपुर
3.	मै0 नगर पंचायत खुदागंज शाहजहॉपुर
4.	मै0 नगर पंचायत पुवायॉ, शाहजहॉपुर
5.	मै0 नगर पंचायत मीरानपुर कटरा, शाहजहॉपुर
6.	मै0 नगर पंचायत खुटार, शाहजहॉपुर
7.	मै0 नगर पालिका परिषद जलालाबाद, शाहजहॉपुर
8.	मै0 नगर पालिका परिषद तिलहर, शाहजहॉपुर
9.	मै0 नगर निगम, शाहजहॉपुर
10.	मै0 छावनी परिषद, कैण्ट, शाहजहांपुर।

जनपद–बदायूं।

क्र0सं0	स्थानीय निकाय का नाम व पता
1.	मै0 नगर पंचायत, उसैत, बदायूं।
2.	मै0 नगर पंचायत गुलड़िया, बदायूं।
3.	मै0 नगर पंचायत रूदायन, बदायूं।
4.	मै0 नगर पंचायत फैजगंज, बदायूं।
5.	मै0 नगर पंचायत शेखूपुर, बदायूं।
6.	मै0 नगर पंचायत वजीरगंज, बदायूं।
7.	मै0 नगर पंचायत, अलापुर, बदायूं।
8.	मै0 नगर पंचायत, उसावा, बदायूं।
9.	मै0 नगर पंचायत, इस्लामनगर, बदायूं।
10.	मै0 नगर पंचायत, कछला, बदायूं।
11.	मै0 नगर पंचायत, कुंवर गांव, बदायूं।
12.	मै0 नगर पंचायत, मुड़िया, बदायूं।
13.	मै0 नगर पंचायत, सैदपुर, बदायूं।
14.	मै0 नगर पालिका परिषद, बदायूं।
15.	मै0 नगर पालिका परिषद, बिल्सी, बदायूं।
16.	मै0 नगर पालिका परिषद, ककराला, बदायूं।
17.	मै0 नगर पालिका परिषद, बिसौली, बदायूं।
18.	मै0 नगर पालिका परिषद, उझानी, बदायूं।
19.	मै0 नगर पालिका परिषद, दातागंज, बदायूं।
20.	मै0 नगर पालिका परिषद, सहसवान बदायूं।

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा
34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं0–2,
चिल्ला रोड, बॉदा (उ0प्र0) पिन–210001

संदर्भ संख्या–203/एन0जी0टी0/613/2022/25 दिनांक : 07.07.2025

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सदस्य सचिव महोदय के पत्रांक सं0– 29673/डब्ल्यू0 एम0डी0/एमआर–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2024 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या चाही गयी है। जिसके अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा के अन्तर्गत आने वाले नगर पालिकाओं/नगर पंचायत आदि को पत्र सं0– 276/एम0एस0डब्ल्यू0/सा0–6/25 दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से उक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है तदोपरान्त नगर पालिका से प्राप्त कृत कार्यवाही एवं अनुपालन के साक्ष्य सहित आख्या संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

07/07/25
(डॉ0 माधवी कमलवंशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

D:\UPPCB Banda RO Office New\ALL Latters\All Inspection Report.docx

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध मे आख्या।

सदस्य सचिव महोदय के पत्रांक सं0– 29673/डब्ल्यू0 एम0डी0/एमआर–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध मे आख्या चाही गयी है, जिसके अनुकम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

1	मा0 अधिकरण के आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।	नगर पालिकाओं/नगर पंचायत आदि को पत्र सं0– 276/एम0एस0डब्ल्यू0/सा0–6/25 दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से उक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। **(साक्ष्य संलग्न)**
2	इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।	साक्ष्य संलग्न है।
3	मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।	–

उक्त आख्या आपके सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(सलमान)
अवर अभियन्ता

(सुशील कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदया,

by email WMP-1 and Cav-2

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

date 18/07/25 ई-मेल द्वारा

संदर्भ संख्या 29673 /WMD/M.C.-57/(O.A.)/2025 दिनांक 22/7/2025

सेवा में,

सभस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720626, 2720631
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V
Lucknow
Phone
Fax
e-mail uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

JE I & LA
for necessary
action
22/7/25

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा
34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं0–2,
चिल्ला रोड, बॉदा (उ0प्र0) पिन–210001

संदर्भ संख्या– 276/उप्र0 प्र0 नि0बो0/बा0-6125 दिनांक : 02.07.2025

सेवा में,
अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, ...
जनपद– बाँदा/बबीरपुर/मटेरा चित्रकूट

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 **Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक सं0–1078/एनजीटी/ओ0ए0–613/2022/24 दिनांक 09.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors. दिनांक 26.07.2024 में पारित आदेशों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

.....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -58- authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also

through O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -59- hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उ0प्र0 राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डमप करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है, तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु निम्न निर्देश प्राप्त हुए है:–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जनपद से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये, नगरीय ठोस अपशिष्ट को शहर के किसी अन्य नाले, नदी एवं सड़क के किनारे न फेंका जाये तथा दिनांक 09.05.2025 तक की गई कार्यवाही/अनुपालन की आख्या इस कार्यालय को 05.07.2025 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

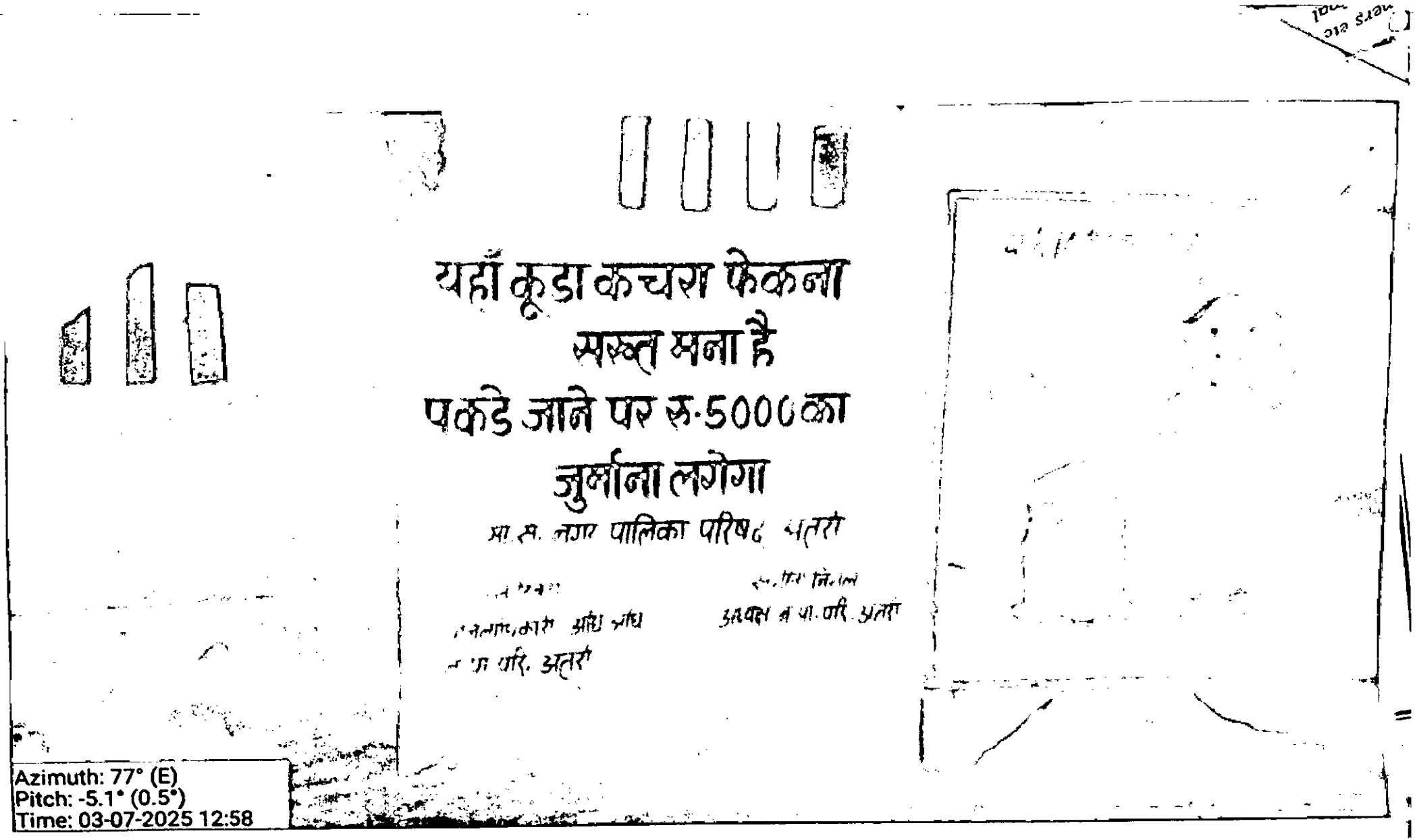
(डॉ0 माधवी कमलवंशी) 02/07/25
क्षेत्रीय अधिकारी

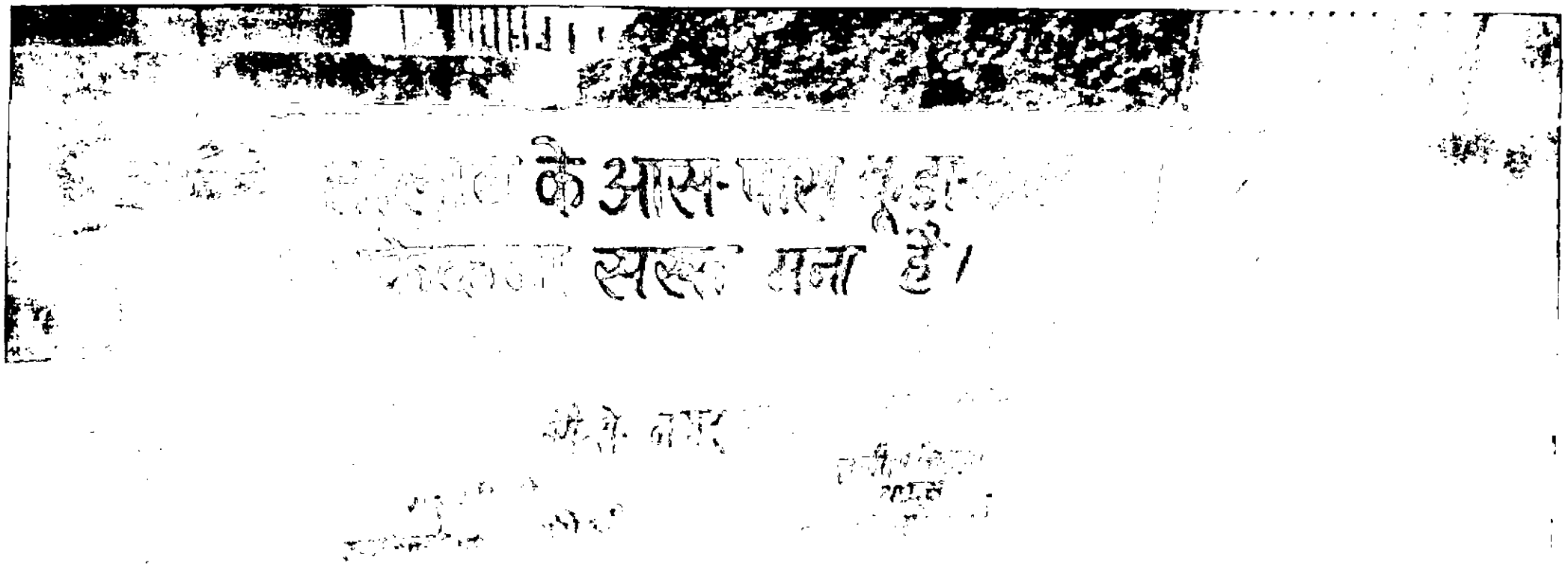
प्रतिलिपि 1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य अधिकारी स्थानीय निकाय बांदा/हमीरपुर महोबा/चित्रकूट

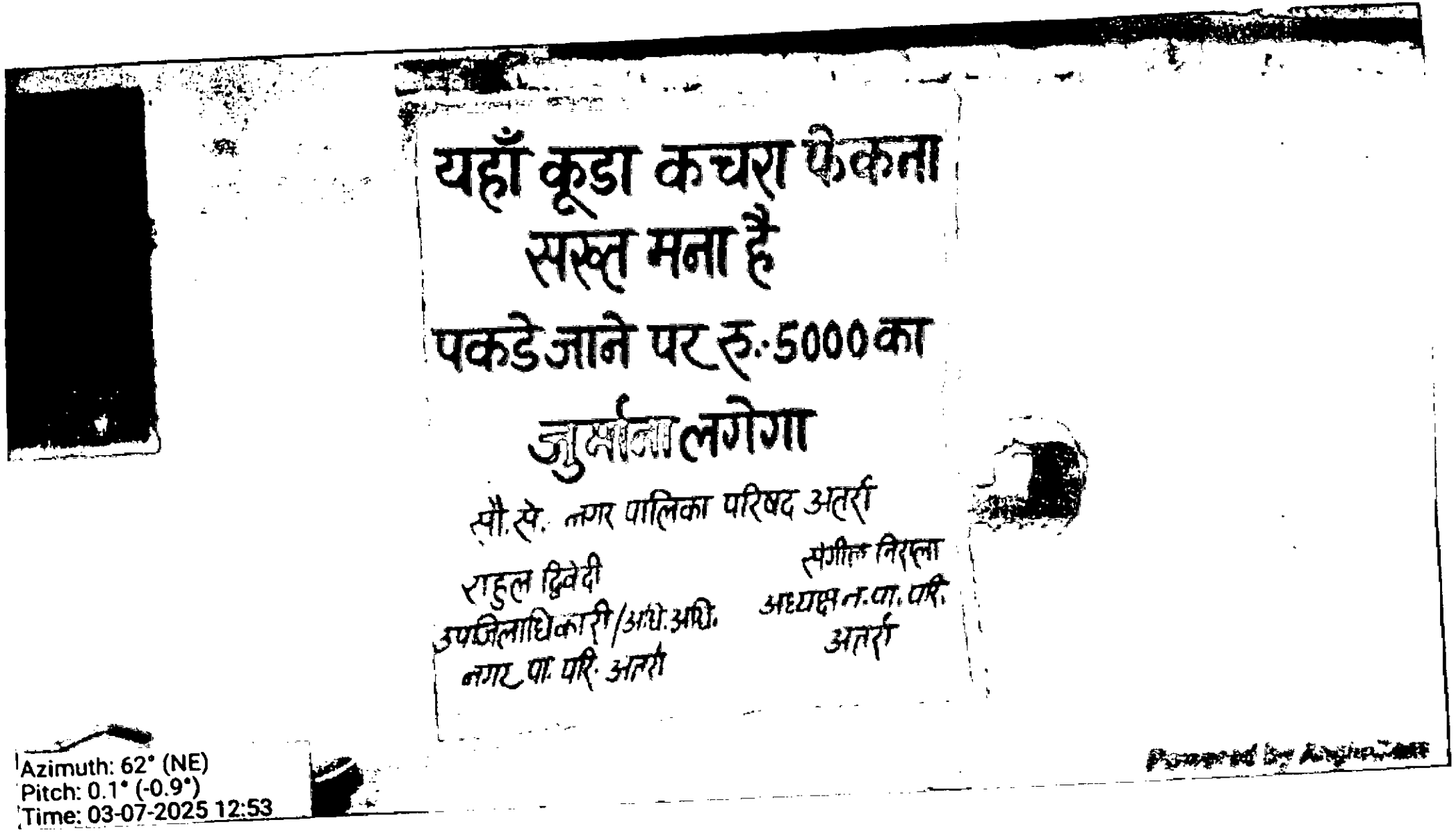
क्षेत्रीय अधिकारी

D:\JE Salman\Nagar Palika Parishad 10.03.2025\NPP Notice.docx


यहाँ कूड़ा कचरा फेकना
सख्त मना है
पकड़े जाने पर रु.5000 का
जुर्माना लगेगा
Azimuth: 77° (E)
Pitch: -5.1° (0.5°)
Time: 03-07-2025 12:58



Azimuth: 330° (NW)
Pitch: -18.5° (2.7°)
Time: 03-07-2025 13:07


यहाँ कूडा कचरा फेकना
सख्त मना है
पकडे जाने पर रु.5000 का
जुर्माना लगेगा
सौ.से. नगर पालिका परिषद अतर्रा
राहुल द्विवेदी
उपजिलाधिकारी/अधि.अधि.
नगर पा. परि. अतर्रा
सगीत निराला
अध्यक्ष न.पा. परि.
अतर्रा
Azimuth: 62° (NE)
Pitch: 0.1° (-0.9°)
Time: 03-07-2025 12:53

RECEIPT NO. 421204

FORM NO. 5
RECEIPT

BOOK NO. B

Municipality _____

Demand Register no. Banda

Received from _____

Rupees (in words) रतीराम साहू किराना स्टोर

on account of _____ of

premises no. _____ Mohalla गुलरनाका

For the period दो सौ पचास रुपये मात्र/-

in full/part payment of demand bill no. _____ dated _____

Rs. 250=00

Dated 20-03-2025

Executive Officer/Secretary

Tax Collector,
Clerk-in-charge of Demand and Collection Register.

Cashier

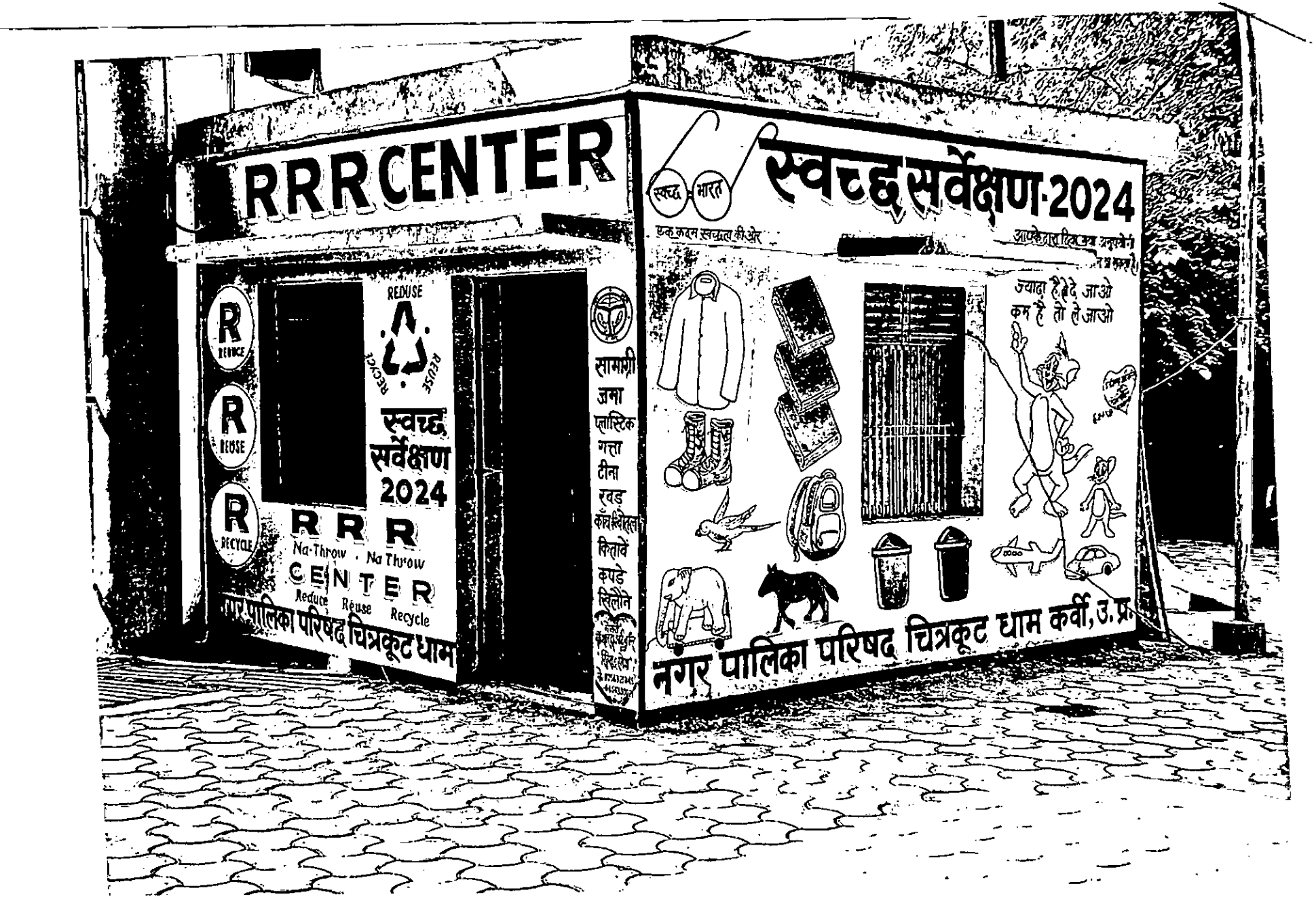
Accountant.

Tax Superintendent.

PSUP-01 Nagar Palika–07.02.2022–10,000 Books (D.T.P./Offset).

Scanned with OKEN Scanner


GPS Map Camera
Chitrakoot, Uttar Pradesh, India
6w65+x69, Chitrakoot, Uttar Pradesh 210205, India
Lat 25.212138° Long 80.907964°
13/06/2025 04:34 PM GMT +05:30


RRR CENTER
REDUSE
RECYCL
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024
R R R
Na-Throw Na Throw
CENTER
Reduce Reuse Recycle
नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम
सामग्री जमा
प्लास्टिक
गत्ता
टीना
रबड
किलावें
कपड़े
खिलौने
स्वच्छ भारत
स्वच्छ सर्वेक्षण-2024
ज्यादा है तो दे जाओ
कम है तो ले जाओ
नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी, उ.प्र.


ICSSR
स्वच्छ चित्रकूट, सुन्दर चित्रकूट
प्लास्टिक मुक्त चित्रकूट
सम्भावित चित्रकूट यूनेस्को जियोपार्क

by email dpo banda
date 05/07

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बांदा

पत्रांक 778 /एस0बी0एम0/न0पा0परि0बांदा/2025-26 दिनांक 05-07- ,2025

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-613/2022 में एम0ए0 सं0-57/2025 Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के परिपालन में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड बांदा द्वारा जारी पत्र सं0 276/एम0एम0डब्लू/सा0-6/25 दिनांक 02.07.2025 के क्रम में मा0 अधिकरण के आदेश के पैरा 73 में दिये गये निर्देशो का अनुपालन में नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण के तहत शहर के किसी अन्य नाले, नदी एवं सड़क के किनारे न फेका जाए सुनिश्चित करने हेतु श्री देवेन्द्र कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक व श्री हेमन्त प्रसाद, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक को नामित किया जाता है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड का पत्र उपरोक्त की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त द्वय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अपने-अपने आवंटित वार्डो में ठोस अपशिष्ट के समुचित निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बांदा

पृ0सं0 (1-5) /तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
02. मा0 अध्यक्ष महोदया, न0पा0परि0बांदा को सूचनार्थ।
03. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय बांदा को सूचनार्थ।
04. द्वय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, न0पा0परि0बांदा को अनुपालनार्थ।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बांदा

Scanned with OKEN Scanner

निविदा आह्वानन सूचना

क्रमांक	उपखण्ड	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (रू० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी0एस0टी0 एवं स्टेशनरी चार्ज सहित) रू० में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	विभाग में पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महोबा	उपखण्ड महोबा विकास खण्डों के ग्राम- । । के आन्तर क्रमांक-G-1 से G-10 तक की आन्तरिक सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण/मजबूतीकरण के कार्य	15.71	2.34	4000.00	06 माह	ए उच्चतम वर्ग

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा

UP-215952 दिनांक 15.07.2025 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण मण्डल, महोबा
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश
पता- खरेलपुर कलिंजर महोबा पिन-210427
Email: ken-betwanahrmandalmahoba@gmail.com

पत्रांक- 1294 /KBNLC/CM/TENDER/2025-26 Date:- 07.07.2025

ई-निविदा सूचना संख्याः- 01/SE/2025-26

मै राजेन्द्र कुमार तिवारी अधिशासी अभियन्ता केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण मण्डल, महोबा निम्नवत एवं उक्त मण्डल विभाग उत्तर प्रदेश में पंजीकृत उन, ठेकेदारों / सक्षम फर्म https://etender.up.nic.in पर ऑन लाईन ई-टेण्डरिंग के माध्यम से मेसर्स ठेकेदार / फर्मों/कम्पनियों कार्य एवं निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता निम्न कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत कर सकता है।

- इच्छुक के अनुभव कार्य का नाम

क्रम सं0	उपखण्ड	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0) जी.एस.टी. सहित	धरोहर धनराशि (रू० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित (रू०में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी/वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बदा	केन बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-2, बदा के अन्तर्गत एवं अन्यत्र के लिये निविदा	140.00	15.00	7354.00	09 माह	ए

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय : 3एफ, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल गेट नं.-2, इन्दिरा नगर, बिल्ला रोड, बाँदा
Phone- 05192-297470, e-mail: robanda@uppcb.in

Ref. No. 311/प्रे.वि./2025 Date: 17.07.2025

-: अपील :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. सं0- 613/2022 में एम.ए. सं0-57/2025 राम पिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु दिनांक 26.07.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/-in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.....

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत व राजस्व भूमि, पी.डब्ल्यू.डी. अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट / कूड़ा फेकना अथवा डालना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।,

- व्यक्ति द्वारा प्रथमबार उल्लंघन किये जाने पर रू0-5,000/- एवं पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0-10,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।
- थोक मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक द्वारा प्रथमबार उल्लंघन किये जाने पर रू0-25,000/- एवं पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0-50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण से अनुरोध है कि ठोस अपशिष्ट / कूड़ा का निस्तारण स्थानीय निकाय के माध्यम् से करना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा

दिल्ली जल बोर्ड : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

निट संख्या 27 (पद संख्या 1, 2, 3) (2025-26) ई.ई. (D)-041

5. ई निविदा के संबंध में निविदा दाखिल की अंतिम तिथि एवं समय 25/07/2025 को अपराह्न 12:00 बजे तक।
6. ई निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय 25/07/2025 को अपराह्न 12:30 बजे।
7. टेण्डर प्रक्रिया में पूर्ण या कोई भी आंशिक पद मान्य नहीं होगा।
8. निविदा अभिलाषक वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगा एवं कोई फार्मेट पृथक नहीं होगा।
9. निविदा आमंत्रणकर्ता को अर्हता दी. स्पष्टीकरण-3 के अनुसार प्रतिशत / त्रुटि कम ज्यादा करने का अधिकार है, जो किसी भी कारणवश कम से कम/अधिक नहीं किया जायेगा। सभी सफलता निविदादाताओं को सूचना दी जाती है कि वह निर्धारित समय से ई निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें, जो कुछ दिन डाक्यूमेन्ट को डाउनलोड करें।

सभी सफलता निविदादाताओं को सूचना दी जाती है कि बिड-सबमिट करने से पूर्व बिड डाक्यूमेन्ट को पढ़ लेवें।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-अतरैया।
श्री राजपाल उ0प्र0 की ओर से।

UP-236000 दिनांक 16.07.2025 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है

कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, बांदा

पत्र संख्या-डीएचएमओ/अनुबंधीकरण/2025-26/343 दिनांक-10.07.25

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-स-01/सा-अनु-2-2020-177/2015 आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 दिसम्बर 2020 के निर्देश क्रम एवं अधिकारों के अधीन रहते हुये संविदा 01 वर्ष वेतनमान तेरहवां (13WC) जनपद हेतु कुल 01 योग चिकित्सक (पुरुष) अशासकीय की नियुक्ति/संविदीकरण एक पूर्ण चयन प्रक्रियात्मक के आधार पर शासनादेशानुसार गठित कमेटी के द्वारा लखनऊ के कार्यक्रम से सम्पादित किया जाना है। पुरुष अशासकीय योग चिकित्सक जो की इस कृत्यक्रम में वर्ष भाले 02 योग सत्र आयोजित करने होंगे। यह नियुक्ति 01 वर्ष के उसके बाद अवधि के लिये है, यह योजना आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता
1	योग चिकित्सक (पुरुष) अशासकीय	01	(ए)-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से बी0 एच0 एम0 एस0 डिग्री एवं योग (पैरामेडिकल) डिप्लोमा की योग्यता है जरूरी अथवा (बी)-पैरामेडिकल डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स/पैरामेडिकल की डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स/एवं योग डिग्री धारक डिग्री धारक (ए और बी) अनुसार हो अथवा (सी)-पैरामेडिकल डिग्री/डिप्लोमा एवं स्नातक अशासकीय/निजी संस्थान से एवं अनुभव हो अथवा (डी)-योग चिकित्सक संघों, नई दिल्ली द्वारा योग चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। अनुभव हो वर्ष

1- दिये गये योग्यता के अन्य विवरण पर कुछ भी लिखना रिक्त न छोड़ा जाये।

2- वर्ष का अनुभव स्नातक की डिग्री/डिप्लोमा मिलने के उपरांत कार्य करने के आधार पर मान्य होगा।

3-आयु के संबंध जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिये शासनादेश के अनुसार अधिकतम छूट देय होगा।

4- योग चिकित्सक (पुरुष) अशासकीय को 8 30000=00 (आठ हजार) एक मुश्त मासिक मानदेय देय होगा।

5- आवेदन दिनांक- 08/08/2025 को सायंकाल 05 बजे तक योग चिकित्सक/संविदा कार्य के आवेदन दिये जाने वाले कार्यालय, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, बांदा में पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

6- चयनकर्ता हेतु कार्य से मुक्त हो जायेंगे। चयनकर्ता के रूप मुक्त रहने हेतु आवेदन होगा।

अनुकंपा नियुक्ति विरासत नहीं है

डूंगरपुर मामले में आजम की याचिका पर

यहां बड़े पैमाने पर धन शोधन किया गया है। इस प्रक्रिया में मिले पैसे को छांगुर और उसके सहयोगियों ने धर्मांतरण में लगाया है। नेपाल से हवाला के माध्यम से पैसे मंगाने की भी जानकारी हाथ लगी है। छांगुर के सहयोगियों पर हो सख्त कार्रवाई : विहिप

छांगुर के सहयोगियों पर हो सख्त कार्रवाई : विहिप

बलरामपुर। विश्व हिंदू परिषद ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष राम कृष्ण सिंह ने कहा कि छांगुर व उसके तमाम सहयोगियों ने हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाया है। छांगुर के सभी सहयोगियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की है। संवाद

रात करीब आठ बजे उतरौला से लौट गई। 12 टीमों ने छांगुर से जुड़े लोगों और उनकी संपत्तियों की भी जांच की। 10 ऐसे लोगों से पूछताछ की, जो किसी न किसी तरह से छांगुर से जुड़े थे। ईडी ने बैनामे और किए गए। सूत्रों के अनुसार ईडी ने पूछा कि छांगुर से रुपये कैसे मिलते थे। रुपये कौन देता था। ईडी ने कुछ अभिलेख भी हासिल किए। पूरी छानबीन करीब 13 घंटे तक चली। ईडी की टीम के लौटने के बनाई थी। लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी कि ईडी भी जांच के लिए आ सकती है।

कार्यालय-कृषि उत्पादन मण्डी समिति फतेहपुर

पत्रांक-कृ.उ.म.-2025-26-126 दिनांक-16-07-2025

दुकान आवंटन हेतु विज्ञप्ति

कृषि उत्पादन मण्डी समिति फतेहपुर के अन्तर्गत व्यापार करने वाले समस्त थोक व्यापारी/आढ़ती लाइसेन्सधारी व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि कृषक मण्डी स्थल फतेहपुर में रिक्त दुकान "ब" श्रेणी के 03 तथा एवं "स" श्रेणी की 02 जन रिक्त है। दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक-13.08.2025 को पूर्वाह्न 11 बजे ऑफ-लाइन मण्डी स्थल फतेहपुर में निर्धारित है। इच्छुक लाइसेन्सधारी व्यापारी मण्डी समिति फतेहपुर से रू0-295.00 (18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित) नगद अथवा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त कर एवं पूर्ण रूप से भरकर दिनांक-08.08.2025 तक कार्यालय दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें। दुकान आवंटन हेतु पंजीकरण के शुल्क के रूप में "ब" श्रेणी हेतु रू0-35000.00 (रू० पैंतीस हजार) एवं "स" श्रेणी हेतु रू0-20000.00 (रू० बीस हजार) वह की धनराशि नगद जमाकर अथवा बैंक ड्राफ्ट पं०पी०एम०सी० फतेहपुर (A.P.M.C FATEHPUR) के नाम से बनवाकर आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के व्यापारी फार्म के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। दुकानों का आवंटनवार निम्नवत है :-

क्र०	मण्डी का दुकान की श्रेणी/संख्या	कुल रिक्त दुकानें की संख्या	नूतनम डोली / प्रीमियम की धनराशि (दुकान निर्माण लागत का 50 प्रतिशत)	वार्षिक यूजर चार्ज (18% GST सहित)	उपरक्षणवार दुकानों का विवरण अनु० जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	फतेहपुर "ब"	03	3.06	10,815.00	05,11	-	08
	"स"	02	7.00	7080.00	21,25	-	-

जमा किये गये आवेदन पत्रों की जांचोपरान्त पात्र आवेदकों की अन्तिम पात्रता सूची आपत्तियां आमन्त्रित किये जाने हेतु समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी। आपत्ति निस्तारित उपरान्त अन्तिम सूची प्रकाशित की जायेगी। नोट-अन्य जानकारी हेतु कृषि उत्पादन मण्डी समिति फतेहपुर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

(सतीश राम)
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति फतेहपुर

(अर्चना अग्निहोत्री)
सभापति / उपजिलाधिकारी (सदर)
कृषि उत्पादन मण्डी समिति फतेहपुर

Mahakumbh 2025

Department of Urban Development
Government of Uttar Pradesh
through
PRAYAGRAJ MELA AUTHORITY
Triveni Bhawan, Triveni Bandh, Daraganj, Prayagraj
+91 532 2500775 / +91 532 2504011 - mahakumbh25@gmail.com

The Prayagraj Mela Authority Invites below mentioned bids :-

1. Supply, Installation & Commissioning of Floating Trash Skimmer and waste removal machine with weed cutting arrangement (Aquatic Weed Removal Machine) including O & M Services for a period of Two (02) years in Prayagraj City for Prayagraj Mela Authority, Prayagraj.

The Request for Proposal Documents shall be made available on the Uttar Pradesh E-Procurement website https://etender.up.nic.in from Sr. No. 1 - 18th July 2025 onwards. Interested parties may download/upload their proposal and details regarding the tender shall be made available on Uttar Pradesh E-Procurement website https://etender.up.nic.in.

Meladhikari,
Kumbh Mela, Prayagraj

पत्र संख्या 1488/पंकुम- म मु -2025 (2025-26)
दिनांक 17 जुलाई, 2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: 346, निकट रात तुलसी पब्लिक स्कूल, गेट नं0-2, इन्दिरा नगर, दिल्ली रोड, बांदा
दूरभाष नं0-05192-297470 e-mail-robanda@uppcb.in
Ref No 312/बां०/2025 Date 17/07/2025

-: अपील :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0- 613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु दिनांक 26.07.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/-in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction....."

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत य राजस्व भूमि, पी०डब्ल्यू०डी० अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट / कूड़ा फेकना अथवा डालना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

- व्यक्ति द्वारा प्रथमबार उल्लंघन किये जाने पर रू0-5,000/- एवं पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0-10,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।
- भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक द्वारा प्रथमबार उल्लंघन किये जाने पर रू0-25,000/- एवं पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0-50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण से अनुरोध है कि ठोस अपशिष्ट / कूड़ा का निस्तारण स्थानीय निकाय के माध्यम् से करना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बांदा

उत्तर मध्य रेलवे

निविदा सूचना 01 / 25-26 दिनांक : 18.07.2025

कार्य का नाम: SCADA SIMULATOR LAB

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क : रू0 3540	धरोहर धनराशि : रू0 33,979
ई-निविदा की अन्तिम तिथि : 06.08.2025,15:00 बजे	

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। अद्यतन समस्त सूचनायें वेबसाईट पर ही प्रदर्शित की जायेगी।

उत्तर मध्य रेलवे

No. EL-C-PRYJ-203-23-24/Public Notification दिनांक : 17.07.2025

सार्वजनिक अधिसूचना

उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी मंडल के बांदा से खुरहण्ड दूसरी लाइन के अन्तर्गत नये टि गये स्टेशन में 25 के. वी. ए. सी 50 हर्टज्स ओवर हैड ट्रैक्शन तथार इस तारीख को न धार्ज कर दिया जायेगा। इस तारीख को/से ओवरहेडलाइन को हर समय खतरनाक त तरह ट्रीट किया जायेगा और कोई भी अनअथोराइज आदमी इस लाइन तक पहुँचने म कोशिश नहीं करेगा और न ही कार्य करने की कोशिश करेगा।

स्टेशन	किलोमीटर/लोकेशन/पैनेल	
	से	तक
उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी मंडल के बांदा से खुरहण्ड दूसरी लाइन (कि.मी. 1320.002 से कि.मी. 1339.180) में 25 kV, 50 Hz AC विद्युतीकरण का कार्य।	1. दूसरी लाईन (बांदा से खुरहण्ड) (Loc-1319-23 CH-1320.002)	1. दूसरी लाईन (बांदा से खुरहण्ड (Loc-1339.5 CH-1339.180

चार्ज करने की तिथि : 15.08.2025 or After

खैरार-मानिकपुर खंड, स्थान-प्रयागराज 1256/25 (MG)

North Central Railway CPRONCR www.ncrlucknowrailways.gov.in

कार्यालय आदर्श नगर पंचायत खागा-फतेहपुर

संख्या:- 170/ न०पं०खागा/ वर्ष 2025-26 दिनांक [illegible] 2025

पुनः सार्वजनिक नीलामी / बोली आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर पंचायत खागा द्वारा कार्यालय नगर पंचायत परिसर में निर्मित निष्प्रयोज्य कर्मचारी आवासों के मलबा (इंट, लोहा, लकड़ी आदि) की नीलामी बोली हेतु कार्यालय पत्रांक- 61/ न०पं०खागा/वर्ष 2025-26 दिनांक 19.05.2025 व पत्रांक-94/न०पं० खागा / वर्ष 2025-26 दिनांक 03.06.2025 को विज्ञापन निकाला गया था किन्तु 02 बार विज्ञापन प्रकाशन के बाद भी किसी भी बोलीदाता द्वारा प्रतिभाग नही किया गया। इस कारण पुनः दिनांक 23.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय नगर पंचायत खागा मे नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। नीलामी प्रक्रिया मे प्रतिभाग करने वाले इच्छुक व्यक्ति कार्यालय नगर पंचायत खागा मे दिनांक 18.07.2025 से दिनांक 23.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक रू0 500.00 नीलामी बोली जमानत धनराशि नगद जमा कराकर पंजीकरण कराते हुये नीलामी प्रक्रिया मे भाग ले सकते है। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(देवहूती पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत खागा फतेहपुर

(गीता सिंह)
अध्यक्ष
नगर पंचायत खागा फतेहपुर

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD,BASTI

संदर्भ संख्या : 237/सा0-28/MGT/2025 दिनांक : 07.07.2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः–माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित के आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0एफ–57/सा0–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन हेतु जन जागरूकता के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु निर्देश दिये गये है।

तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती द्वारा उक्त के अनुपालनार्थ दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 06.07.2025 प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी एवं बैनर बनावा के लगाया है, जिनके फोटोग्राफ संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत समस्त स्थानीय निकायो को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पत्रांक 234/सा0–11/न0ठो0अ0/2025 दिनांक 04.07.2025 प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(प्रखर कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ब्लाक रोड, बन्दापुरम, खलवन, बस्ती

संदर्भ संख्या:- 235/सा.-63/विज्ञा./2025 दिनांक 05/07/2025

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याचित ओ०ए० न० 613/2022 में एम०ए० सं० 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत स्थानों विशेष कर सड़क के किनारे, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पट्टाग्रत या राज्य भूमि, पी०डब्ल्यू०डी० व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट (नगरीय कचड़ा) को एकत्रित करने अथवा ढेर लगाने पर इस आदेश की तारीख से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा कचरा (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को इधर-उधर फेंका/ढेर लगाया जाता है तो उक्त व्यक्ति पर प्रथम उल्लंघन पर रू० 5000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू० 10000 का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है। इसी प्रकार बल्क ठोस अपशिष्ट जनरेटर यथा होटल्स, रेस्टोरेन्ट, बैक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, इस्टीट्यूट्स आदि पर प्रथम उल्लंघन पर रू० 25000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू० 50000/- का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है।

उपरोक्त जुर्माना स्थानीय निकाय अथवा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा जाँचोपरांत अधिरोपित किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माना उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार भू-राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का स्वयं का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती

ब्लाक रोड, बड़वन, बस्ती

आवश्यक सूचना

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0 613/2022 में एम०ए० सं० 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा पूर्व उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत स्थानों विशेष कर सड़क के किनारे, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राज्य भूमि, पी०डब्ल्यू०डी० व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट (नगरीय कचड़ा) को एकत्रित करने अथवा ढेर लगाने पर इस आदेश की तारीख से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा कचरा (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को इधर-उधर फेंका/ढेर लगाया जाता है तो उक्त व्यक्ति पर प्रथम उल्लंघन पर रू० 5000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0 10000 का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है। इसी प्रकार बल्क ठोस अपशिष्ट जनरेटर यथा होटल्स, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हाल, मैरिज हाल, गेस्ट हाउस, इंस्टीट्यूट्स आदि पर प्रथम उल्लंघन पर रू0 25000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0 50000/- का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है।

उपरोक्त जुर्माना स्थानीय निकाय अथवा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा जाँचोपरांत अधिरोपित किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माना उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार भू-राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का स्वयं का होगा।"

पत्रांक: 235/सा०-63/विज्ञा०/2025 दिनांक 05.07.2025

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लॉक रोड़, बडेबन, बस्ती

आवश्यक सूचना

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.07.2024 द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत स्थानों विशेष कर सड़क के किनारे, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राज्य भूमि, पी0डब्ल्यू0डी0 व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट (नगरीय कचरा) को एकत्रित करने अथवा ढेर लगाने पर इस आदेश की तारीख से पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कूडा कचरा (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को इधर-उधर फेका/ढेर लगाया जाता है तो उक्त व्यक्ति पर प्रथम उल्लंघन पर रु0 5000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रु0 10000/- का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है। इसी प्रकार बल्क ठोस अपशिष्ट जनरेटर यथा होटल्स, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, इंस्टीट्यूट्स आदि पर प्रथम उल्लंघन पर रु0 25000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रु0 50000/- का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है।

उपरोक्त जुर्माना स्थानीय निकाय अथवा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा जॉचोपरांत अधिरोपित किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माना उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार भू-राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का स्वंय का होगा।"

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 234/सा0-11/न0बो0अ0/2025 दिनांक : 04/07/2025

Regd.

सेवा में,

1. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद, बस्ती/जनपद–बस्ती।
2. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पंचायत,गनेशपुर/बनकटी/रूधौली/बभनान/मुण्डेरवां/गायघाट/हर्रैया/कप्तानगंज/नगर बाजार/जनपद–बस्ती।
3. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद/जनपद–संतकबीरनगर।
4. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पंचायत, बघनागर उर्फ बखिरा/धरमसिंहवां/हरिहरपुर/मगहर/बेलहर कला/हैंसर बाजार(घनघटा)/मेंहदावल/जनपद–संतकबीरनगर।
5. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद, बांसी/तेतरी बाजार/जनपद–सिद्धार्थनगर।
6. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पंचायत, बढ़नी चाफा/बढ़नी बाजार/भारत भरी/बिस्कोहर/डुमरियागंज/इटवां/कपिलवस्तु/शोहरतगढ़/उसका बाजार/जनपद–सिद्धार्थनगर।
7. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद, उतरौला/बलरामपुर/जनपद–बलरामपुर।
8. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पंचायत, तुलसीपुर/पचपेड़वां/जनपद–बलरामपुर।

विषय– <u>मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 जो मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित

आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन से सम्बन्धित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD) or other various authorities in the entire State of Uttar

Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first Instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Mimicipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate mumber of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nogar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अग्रेतर अवगत हो कि उक्त सन्दर्भित ओ0ए0 में सुनवाई हेतु अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या–76 एवं 77 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे संकलित अनुपालन आख्या ससमय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय

(प्रखर कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6),उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. प्रभारी, डब्ल्यू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष व फैक्स : (01342) 260434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 477/प्रेस विज्ञप्ति-2025 दिनांक : 14-07-2025

सेवा में,

पर्यावरण अभियंता, प्रभारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच29673/ डब्ल्यू0एम0डी0/ एम0ए0 57/सा0–42/2025, दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या/विवरण निम्नवत् है :–

1–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र **"अमर उजाला एवं दैनिक जागरण"** के संस्करण दिनांक–10.07.2025 में प्रकाशित कराया गया। समाचार पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–01)**।

2–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में अनुपालनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर के अन्तर्गत जनपद–बिजनौर एवं अमरोहा स्थित समस्त 27 स्थानीय निकायों को पत्र प्रेषित किये गये हैं। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–02)**।

सूचना/अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

14/07/25
(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (डब्लू0एल0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष व फैक्स : (01342) 260434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 476/प्रेक्स/दिनांकित-2025 दिनांक : 14-07-2025

सेवा में,

सूची संलग्न
(कुल 09 स्थानीय निकाय)
जनपद–अमरोहा।

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025, दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अंश निम्नवत् है :–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date ofthis order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction..".

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलो, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लघंनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुये हैं :–

क्रमशः.....2.....

(2)

1–माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2–इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के कम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

14/07/25

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (डब्लू0एल0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

09 नगर निकायों की सूची जनपद–अमरोहा

नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
1–नगर पालिका परिषद, अमरोहा। 2–नगर पालिका परिषद, हसनपुर। 3–नगर पालिका परिषद, धनौरा। 4–नगर पालिका परिषद, बछरायूँ। 5– नगर पालिका परिषद, गजरौला।	1–नगर पंचायत, जोया। 2–नगर पंचायत, नौगॉवा सादात। 3–नगर पंचायत, उझारी। 4–नगर पंचायत, सैद नगली।

दूरभाष व फैक्स : (01342) 260434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 475/प्रेस विज्ञप्ति-2025

दिनांक : 14-07-2025

सेवा में,

सूची संलग्न
(कुल 18 स्थानीय निकाय)
जनपद–बिजनौर।

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025, दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अंश निम्नवत् है :–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date ofthis order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction..".

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलो, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लघंनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुये हैं :–

क्रमशः.....2.....

(2)

1–माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2–इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के कम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

14/07/25

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (डब्लू0एल0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

18 नगर निकायों की सूची जनपद–बिजनौर

जनपद बिजनौर

नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
1–नगर पालिका परिषद, बिजनौर।	1–नगर पंचायत, झालू।
2–नगर पालिका परिषद, हल्दौर।	2–नगर पंचायत, मण्डावर।
3–नगर पालिका परिषद, धामपुर।	3–नगर पंचायत, बढ़ापुर।
4–नगर पालिका परिषद, नहटौर।	4–नगर पंचायत, सहसपुर।
5–नगर पालिका परिषद, शेरकोट।	5–नगर पंचायत, सहानपुर।
6–नगर पालिका परिषद, स्योहारा।	6–नगर पंचायत, जलालाबाद।
7–नगर पालिका परिषद, अफजलगढ़।	
8–नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद।	
9–नगर पालिका परिषद, नगीना।	
10–नगर पालिका परिषद, चाँदपुर।	
11–नगर पालिका परिषद, नूरपुर।	
12–नगर पालिका परिषद, किरतपुर।	

दूरभाष व फैक्स : (01342) 260434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 458/प्रेस विज्ञप्ति-2025 दिनांक : 10-07-2025

सेवा में,

पर्यावरण अभियंता, प्रभारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच30080/सी–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–613/2022)/2025, दिनांक–10.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रश्नगत ओ0ए0 नं0–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इस कार्यालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक–10.07.2025 के संस्करण में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है। उक्त प्रेस विज्ञप्ति इस पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

10/07/25
(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (डब्लू0एल0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी, प्रथम (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

amarujala.com

मेरठ | बृहस्पतिवार, 10 जुलाई 2025

7

बिजनौर

क्षेत्रीय कार्यालय,

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

महर्षि दयानन्द नगर, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर - 246701 (उ0प्र0)

प्रेस विज्ञप्ति

एतद्द्वारा मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0 613/2022 में एम0एस0 सं0-57 / 2025, राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है- "..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands; lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date ofthis order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/ dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering / dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment, the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction..".

अतः मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत द्वारा किसी भी दशा में Municipal Solide Waste की डम्पिंग अवैज्ञानिक तरीके से न किया जाये, Municipal Solide Waste का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से सुनिश्चित किया जाना प्रविधानित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

बिजनौर जागरण मेरठ, 10 जुलाई 2025 दैनिक जागरण 7

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गंगापुरी दयानन्द नगर, आदमपुर-चक्कर रोड,
बिजनौर – 246701 (उ.प्र.)

संख्या:- 454/प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 09.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

एततद्वारा मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0 613/2022(टी एम0एस0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है– "para 78. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering / dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs.5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering / dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering / dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, JLB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed / realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation / Municipal Council / Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation SO realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction."

अतः मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा किसी भी दशा में Municipal Solide Waste को डम्पिंग अवैज्ञानिक तरीके से न किया जाये, Municipal Solide Waste का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

– क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732-[illegible]
फैक्स : 05732-233019
ई-मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

संदर्भ : 284/06-63/25 दिनांक : 07/07/25

पंजीकृत

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
बुलन्दशहर, अनूपशहर, शिकारपुर, नरौरा, खुर्जा, स्याना, डिबाई, सिकन्दराबाद, गुलावठी, खॉनपुर, औरंगाबाद, बीबी नगर, बुगरासी, ककोड़, छतारी, पहासू, ज़हॉगीराबाद, जनपद–बुलन्दशहर।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं0–एच29673/डब्ल्यूएमडी/एम.ए.–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश पारित किये गये है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date ofthis order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not failing in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity ofthis direction through electronic andprint media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed off accordingly with the directions as mentioned above."

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनोर, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलो, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं तथा ओ0ए0 सं0–613/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुए है:–

1–मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेश के पैरा सं0–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2–इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के कम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (डब्ल्यूएमडी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4/वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

एफ-5, यमुनापुरम, (एम0एम0आर0 माल के पीछे), बुलन्दशहर

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-613/2022 में एम0ए0 नं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः-

76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides rivers, waterways, wetlands, lakes nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date ofthis order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77 The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity ofthis direction through electronic andprint media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 नं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनां0 26.07.2024 को पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
बुलन्दशहर

सुबह 6 से शाम 6 45 बजे।

के संचालित वक्फ

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
[illegible]

दिनांक 11/07/2025

अपील

[illegible] की सूचित किया जाता है कि माo एनo जीo ट्रि० दि० से ए० का० सं० 613 / 2022 में एमoएo सं० 57 / 2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 को सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs.25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat / UPPCB. In case of non- payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners, etc. for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc. at appropriate places.

[illegible] की सूचना के लिए माo एनoजीo ट्रि० दिल्ली के सिविल अपील सं० 613 / 2022 में एमoएo सं० 57 / 2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में दिनांक 26.07.2024 को पारित आदेश को अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बुलन्दशहर

13/7/25

जनपद बुलन्दशहर क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की सूची।

क0सं0	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
1	नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।
2	नगर पालिका परिषद, अनूपशहर।
3	नगर पालिका परिषद, शिकारपुर।
4	नगर पालिका परिषद, खुर्जा।
5	नगर पालिका परिषद, स्याना।
6	नगर पालिका परिषद, डिबाई।
7	नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद।
8	नगर पालिका परिषद, गुलावठी।
9	नगर पालिका परिषद, जहाँगीराबाद।
10	नगर पंचायत, नरौरा।
11	नगर पंचायत, खाँनपुर।
12	नगर पंचायत, औरंगाबाद।
13	नगर पंचायत, बीबी नगर।
14	नगर पंचायत, बुगरासी।
15	नगर पंचायत, ककोड।
16	नगर पंचायत, छतारी।
17	नगर पंचायत, पहासू।

तार : पर्यावरण
Gram : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवंफैक्स : 05278–245411
Tele & Fax : 05278–245411
Email Id - roayodhya@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

संदर्भसंख्या : 391/UPPCB-613/2022/2025 दिनांक : 14/7/2025
Ref. No. : Dated :

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0–613/2022 में एम०ए० सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या –एच30080/सी–6/ सा0–709 /ओ०ए० नं0–613/2022/2025 दिनांक 10.07.2025 एवं पत्र संख्या– एच29673/ डब्ल्यू0एम0डी0 /एम0ए0–57/सा0 42 /2025 दिनांक 30.06.2025 जो मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0- 613/2022 में एम०ए० सं०–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन से सम्बन्धित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(आर० वी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित–

1. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

विषयः—मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०—613/2022 में एम०ए० सं०—57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या—एच29673/डब्ल्यू०एम०डी०/एम०ए०—57/सा० 42/2025 दिनांक 30.06.2025 एवं पत्र संख्या—एच30080/सी—6/ सा०—709 /ओ०ए० नं०—613/2022/2025 दिनांक 10.07.2025 जो मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०—613/2022 में एम०ए० सं०—57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है—

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Mimicipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nogar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 के उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या— 76 एवं 77 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है—

1. मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 के उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या— 76 एवं 77 में दिये गये निर्देशो की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के क्षेत्राधीन आच्छादित जनपदों— अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोण्डा, बहराइच व श्रावस्ती में स्थित सभी स्थानीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) को इस कार्यालय के पत्र संख्या 348/ओ०ए० सं०— 613/2022/एन०जी०टी०/2025 दिनांक 03.07.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा निर्देशित किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त के सम्बन्ध में अभी तक किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है।
2. मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 के उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 77 में दिये गये निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेश के प्रचार—प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में दिनांक 11.07.2025 को

विज्ञप्ति/आवश्यक सूचना प्रकाशित करायी गयी है। उपरोक्त वर्णित दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग/कतरन की **छायाप्रति संलग्न** है।

3. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 के उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या– 76 एवं 77 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेश के प्रचार–प्रसार हेतु जनपद– अयोध्या में विभिन्न स्थानों जैसे– गुप्तार घाट, नया घाट, निकट– सरयू ब्रिज नया घाट एवं सहादतगंज, रामपथ आदि पर बैनर आदि लगाने का कार्य किया गया। **फोटोग्राफ संलग्न** है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(अभिषेक कुमार)	(संतोष कुमार)	(ओम प्रकाश)
अवर अभियन्ता	सहा0पर्या0अभियन्ता	सहा0पर्या0अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

तार : पर्यावरण
Gram : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवंफैक्स 05278–245411
Tele & Fax : 05278–245411
Email Id - rosyodhya@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

संदर्भसंख्या :
Ref. No. : 348 /ओ0ए0 सं0– 613/2022/एन0जी0टी0/2025

दिनांक :
Dated : 23/07/2025

पंजीकृत
अतिमहत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

01. नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम, अयोध्या।
02. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् रुदौली, अयोध्या।
03. अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद्, अयोध्या।
04. अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत् भदरसा/बीकापुर/गोशाईगंज/खिरौनी(सुचित्तागंज)
/कुमारगंज/मां कामाख्या, अयोध्या।
05. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् अकबरपुर/जलालपुर/टाण्डा, अम्बेडकर नगर।
06. अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा/इल्तिफातगंज/जहांगीरगंज
/राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर।
07. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् करनैलगंज/गोण्डा/नवाबगंज, गोण्डा।
08. अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत वेलसर/धानेपुर/कटरा
/खरगूपुर/मनकापुर/परसपुर/तरबगंज, गोण्डा।
09. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् बहराइच/नानपारा, बहराइच।
10. अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत जरवल/कैसरगंज/गिलौरा
/पयागपुर/रिसिया/रूपईडीहा, बहराइच।
11. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् भिनगा, श्रावस्ती।
12. अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत इकौना, श्रावस्ती।

विषय.–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच0296/73/उ0प्र0एम0डी0/एम0ए0–57/सी0 42/2025 दिनांक 30.06.2025 जो मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन से सम्बन्धित है, का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar

Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first Instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Mimicipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nogar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अग्रेतर अवगत हो कि उक्त संदर्भित ओ०ए० में सुनवाई हेतु अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा० अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या– 76 एवं 77 में दिये गये निर्देशो की अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे संकलित अनुपालन आख्या ससमय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

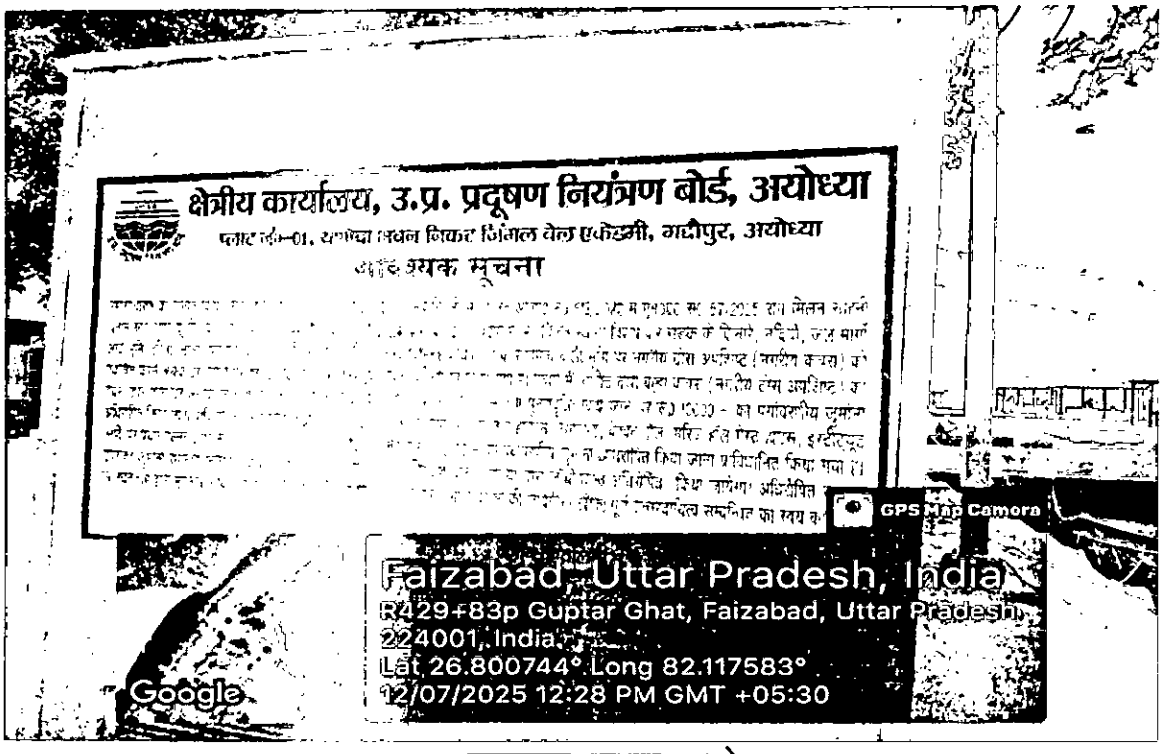
भवदीय

(आर०के० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

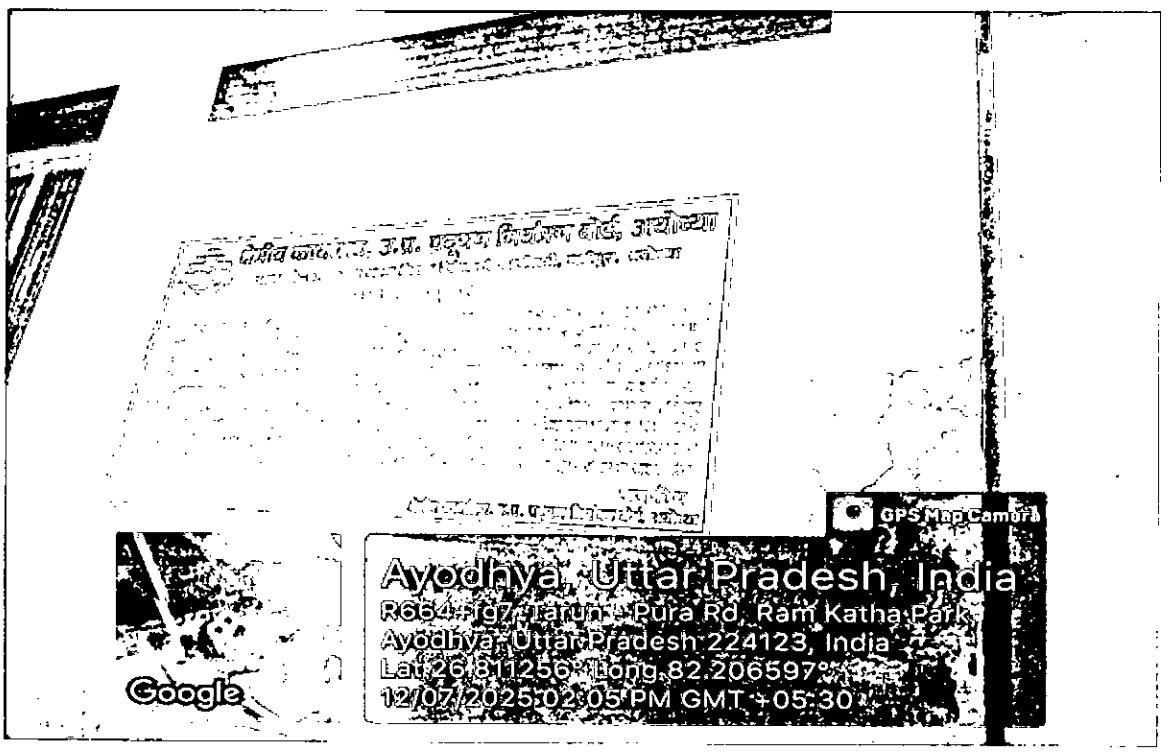
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

01. मुख्य पर्यावरणअधिकारी (वृत्त–G)उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
02. प्रभारी, डब्ल्यू०एम०डी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

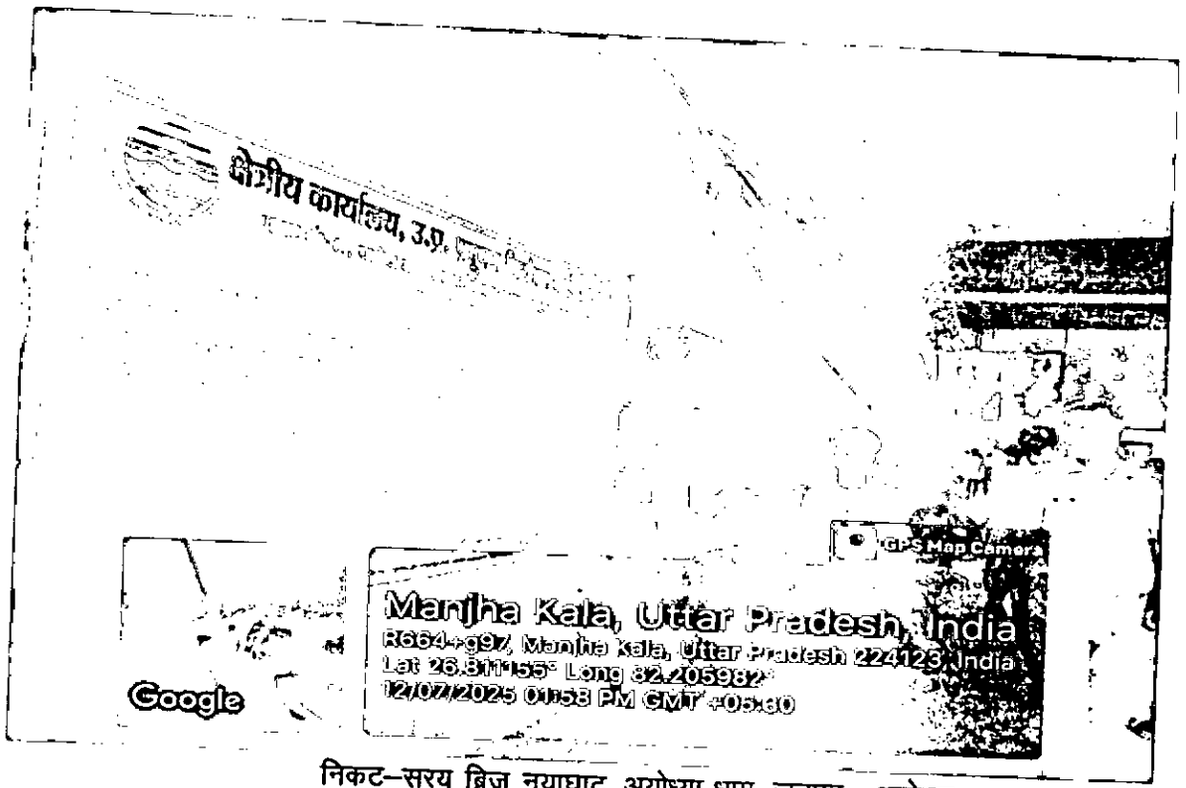
क्षेत्रीय अधिकारी



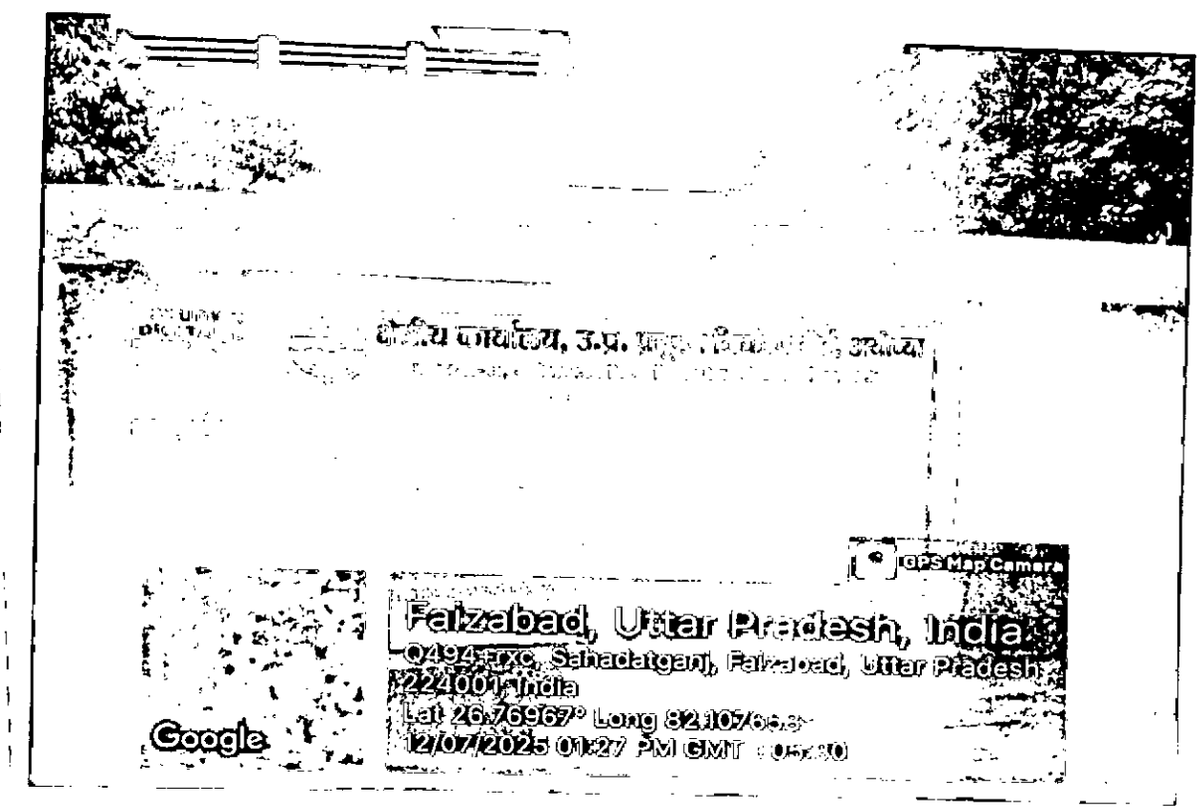
गुप्तारघाट, जनपद– अयोध्या



नयाघाट, अयोध्या धाम, जनपद– अयोध्या



निकट–सरयू ब्रिज नयाघाट, अयोध्या धाम, जनपद– अयोध्या



सहादतगंज, रामपथ, जनपद– अयोध्या

हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्लाट नं-01, यशोदा भवन निकट जिंगल बेल एकेडमी, गद्दोपुर, अयोध्या

सन्दर्भ सं० 375/ प्रेस विज्ञप्ति /2025 दिनांक : 10/7/2025

आवश्यक सूचना

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0 613/2022 में एम०ए० सं०-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.07.2024 द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत स्थानों विशेष कर सड़क के किनारे, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राज्य भूमि, पी०डब्ल्यू०डी० व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर नगरीय ठोस अपशिष्ट (नगरीय कचरा) को एकत्रित करने अथवा ढेर लगाने पर इस आदेश की तारीख से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा कचरा (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को इधर-उधर फेका/ढेर लगाया जाता है तो उक्त व्यक्ति पर प्रथम उल्लंघन पर रू0 5000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0 10000 का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है। इसी प्रकार बल्क ठोस अपशिष्ट जनरेटर तथा होटल्स, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, इंस्टीट्यूट्स आदि पर प्रथम उल्लंघन पर रू0 25000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू० 50000/- का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है।

उपरोक्त जुर्माना स्थानीय निकाय अथवा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा जॉचोपरांत अधिरोपित किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माना उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार भू-राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का स्वंय का होगा।"

क्षेत्रीय अधिकारी

दैनिक जागरण दैनिक समाचार पत्र

क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लाट नं0- 01, यशोदा भवन निकट जिंगल बेल एकेडमी, गद्दोपुर, अयोध्या

Ref.No.: 373/ प्रेस विज्ञप्ति/2025 दिनांक:10/07/2025

आवश्यक सूचना

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 613/2022 में एम०ए० सं०-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत स्थानों विशेष कर सड़क के किनारे, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राज्य भूमि, पी०डब्ल्यू०डी० व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर नगरीय ठोस अपशिष्ट (नगरीय कचरा) को एकत्रित करने अथवा ढेर लगाने पर इस आदेश की तारीख से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा कचरा (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को इधर-उधर फेका/ढेर लगाया जाता है तो उक्त व्यक्ति पर प्रथम उल्लंघन पर रू० 5000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू० 10000 का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है। इसी प्रकार बल्क ठोस अपशिष्ट जनरेटर तथा होटल्स, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, इंस्टीट्यूट्स आदि पर प्रथम उल्लंघन पर रू० 25000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू० 50000/- का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है।

उपरोक्त जुर्माना स्थानीय निकाय अथवा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा जॉचोपरांत अधिरोपित किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माना उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार भू-राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का स्वंय का होगा।"

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

प्लाट नं0--01, यशोदा भवन निकट जिंगल बेल एकेडमी, गद्दोपुर, अयोध्या

Ref No.372 / प्रेस विज्ञप्ति / 2025 दिनांक: 10.07.2025

आवश्यक सूचना

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक: 26.07.2024 द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत स्थानों विशेष कर सड़क के किनारे नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राज्य भूमि, पी0डब्ल्यू0डी0 व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर नगरीय ठोस अपशिष्ट (नगरीय कचरा) को एकत्रित करने अथवा ढेर लगाने पर इस आदेश की तारीख से पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा कचरा (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को इधर-उधर फेका/ढेर लगाया जाता है तो उक्त व्यक्ति पर प्रथम उल्लंघन पर रू0 5000/-तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0 10000/- का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है। इसी प्रकार बल्क ठोस अपशिष्ट जनरेटर तथा होटल्स, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, इंस्टीट्यूट्स आदि पर प्रथम उल्लंघन पर रू0 25000/- तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर रू0 50000/- का पर्यावरणीय जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है।

उपरोक्त जुर्माना स्थानीय निकाय अथवा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या द्वारा जॉचोपरान्त अधिरोपित किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माना उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार भू-राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का स्वयं का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

E-mail:- rofirozabad@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board
भवन सं0–3/5 बी, सेक्टर–3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

संदर्भ संख्या: 388 / सा0– 106 /2025 दिनांक–10 /07/2025

सेवा मे,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 26.07.2025 एवं दिनांक– 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्र संख्या– एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक– 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 26.07.2025 एवं दिनांक– 09.05.2025 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या/ विवरण निम्नवत् हैः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 26.07.2025 एवं दिनांक– 09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला एवं दैनिक जागरण" के संस्करण दिनांक– 09.07.2025 में प्रकाशित कराया गया। समाचार पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 26.07.2025 एवं दिनांक– 09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में अनुपालनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद अन्तर्गत स्थित समस्त स्थानीय निकाय को पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–2)

सूचना/अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

E-mail:- rofirozabad@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board
भवन सं0–3/5 बी, सेक्टर–3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

संदर्भ संख्या: 387 / सा0– 106/2025 दिनांक– 10/07/2025

सेवा मे,

सूची संलग्न स्थानीय निकाय जनपद–फिरोजाबाद/मैनपुरी/इटावा (कुल– 23)
(नगर निगम, फिरोजाबाद/समस्त नगर पालिका परिषद/समस्त नगर पंचायत),

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 26.07.2025 एवं दिनांक– 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्र संख्या– एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक– 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 26.07.2025 एवं दिनांक– 09.05.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या– 613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 26.07.2025 एवं दिनांक– 09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत् हैं:–

"....*76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.*

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through O. hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above.

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकन/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं तथा ओ0ए0 संख्या– 613/2022 में पारित

क्रमशः–2––

(2)

आदेश दिनांक– 09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं:–

1. माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, जनपद– फिरोजाबाद/मैनपुरी/इटावा।

क्षेत्रीय अधिकारी

जनपद–फिरोजाबाद।	
क्र0सं0	नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
1	नगर निगम, फिरोजाबाद।
2	नगर पालिका परिषद, टूण्डला, फिरोजाबाद।
3	नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
4	नगर पालिका परिषद, सिरसागंज, फिरोजाबाद।
5	नगर पंचायत, जसराना, फिरोजाबाद।
6	नगर पंचायत, फरिहा, फिरोजाबाद।
7	नगर पंचायत, मक्खनपुर, फिरोजाबाद।
जनपद–इटावा।	
1	नगर पालिका परिषद, इटावा।
2	नगर पालिका परिषद, जसवंतनगर, इटावा।
3	नगर पालिका परिषद, भर्थना, इटावा।
4	नगर पंचायत, इकदिल, इटावा।
5	नगर पंचायत, बकेवर, इटावा।
6	नगर पंचायत, लखना, इटावा।
जनपद–मैनपुरी।	
1	नगर पालिका परिषद, मैनपुरी।
2	नगर पंचायत, घिरौर, मैनपुरी।
3	नगर पंचायत, भौगांव, मैनपुरी।
4	नगर पंचायत, बेवर, मैनपुरी।
5	नगर पंचायत, किशनी, मैनपुरी।
6	नगर पंचायत, कुसमरा, मैनपुरी।
7	नगर पंचायत, कुरावली, मैनपुरी।
8	नगर पंचायत, ज्योति खुड़िया, मैनपुरी।
9	नगर पंचायत, करहल, मैनपुरी।
10	नगर पंचायत, [illegible], बरनाहल।

प्रकाशन

अमर उजाला, दिनाँक 9/07/2025

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भवन सं.-3/5 बी, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद

पत्रांक संख्या- 364/सा0-4/5/2025 दिनांक- 07/07/2025

प्रेस विज्ञप्ति

महत्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के अन्तर्गत आच्छादित समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 संख्या- 57/2025 रामिमलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत, जनित ठोस अपशिष्ठ को किसी भी दशा में अनाधिकृत स्थान जैसे रोड साइड, नदियां, जलमार्ग, आर्द्रभूमि, झील, नाला, पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर न फेंका जाये। यदि आप द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और आप द्वारा ठोस अपशिष्ठ को अनाधिकृत स्थान पर फेंक जाने पर प्रथमबार 5000/- एवं क्रमशः 10000/- 25000/- 50000/- रू0/- आपके निकाय पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व आपके स्वयं का होगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रकाशन

दैनिक जागरण, दिनाँक 09/07/20

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भवन सं0.3/5 बी, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

महत्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के अन्तर्गत आच्छादित समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 613/2022 में एम.ए. संख्या- 57/2025 रामिमलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ट को किसी भी दशा में अनाधिकृत स्थान जैसे रोड साइड, नदियां, जलमार्ग, आर्द्रभूमि, झील, नाला, पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर न फेंका जाये। यदि आप द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और आप द्वारा ठोस अपशिष्ट को अनाधिकृत स्थान पर फेंक जाने पर प्रथम बार 5000/- एवं क्रमशः 10000/- 25000/- 50000/- रू0/- आपके निकाय पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बो
भवन सं०-3/6 बी, सेक्टर-3, सुभाष नगर, फिरोजाबाद

संदर्भ संख्या : 364/सा०-151/2025 दिनांक : 07.07.202

प्रेस विज्ञप्ति
महत्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के अन्तर्गत अच्छादित समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० संख्या- 57/2025 राममिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ठ को किसी भी दशा में अनाधिकृत स्थान जैसे रोड साइड, नदियाँ, जलमार्ग आदृभूमि, झील, नाला, पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर न फैंका जाये। यदि आप द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और आप द्वारा ठोस अपशिष्ठ को अनाधिकृत स्थान पर फैंके जाने पर प्रथमबार 5000/- एवं क्रमशः 10000/-, 25000/-, 50000/-रू0 / आपके निकाय पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व आपके स्वयं का होगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भवन सं0 3/5 बी, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

महत्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के अन्तर्गत अच्छादित समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.-613/2022 में एम.ए. संख्या-57/2025 राममिलन साहनी बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ट को किसी भी दशा में अनाधिकृत स्थान जैसे रोड साइड, नदियां, जलमार्ग आदृभूमि, झील, नाला, पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर न फेंका जाये। यदि आप द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और आप द्वारा ठोस अपशिष्ट को अनाधिकृत स्थान पर फेंके जाने पर प्रथम बार 5000/- एवं क्रमशः 10000/-, 25000/-, 50000/-रू0/- आपके निकाय पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)

क्षेत्रीय अधिकारी

357

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–11, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः जी–650/11–155ए(रा0आ0)/2021, दिनांक : 15/10/2024.

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन पत्र सं0–1364/एक–2–2024 दिनांक 27.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र सं0–मु0स0–06(1)/81–7–2024 दिनांक 20.09.2024 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा सम्पूर्ण उ0प्र0 राज्य में अनधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियाँ, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के संबंध में भी निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 को पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुपालन हेतु संगत नियमों के आलोक में यथोचित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

15/10/24

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–2, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

I/745801/2024

/2023-07-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के संबंध में भी निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 तथा सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उक्त निर्देश का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करने तथा सभी संबंधितों द्वारा उचित अनुपालन के लिए होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से भी इसका प्रचार करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त संबंधित नगर निगम/नगर पालिका समिति/नगर पंचायत द्वारा भी उचित स्थानों पर होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से इसका समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशानुसार रिपोर्ट चार माह के भीतर मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

3- अतः इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-200/पी.एस.एम.एस./एस.ओ./2024, दिनांक 05.08.2024 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किया जाय। मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार समयान्तर्गत रिपोर्ट भी दाखिल करायी जाय तथा दाखिल की गयी रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक-यथोक्त। (ई-मेल से प्रेषित)

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 18-09-2024 16:28:50

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र दिनांक 05.08.2024 की छायाप्रति संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

359 MD 1

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 12973 /WMD/MA-57/सं0-42025 दिनांक 22/8/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C. -12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1 मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2 इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः– 318/L-208/25 दिनांकः– 15-07-2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 नं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–30080/सी–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–613/2022/2025 दिनांक 10.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–29673/डब्ल्यू.एम.डी./एम.ए.–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 नं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में नगरीय ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) को रोड़/नदी/नालों/तालाबों/वेटलैण्ड, सरकारी भूमि पर एवं किनारे न फेंकने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है एवं उक्त आदेश की अवहेलना किये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है, जो प्रिन्ट मीडिया/होर्डिंग्स/बैनर इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 नं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में प्रेषित कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैः–

1. सेक्टर–32 में नोएडा प्राधिकरण के हार्टिकल्चर वेस्ट भण्डारण व अन्य वेस्ट भण्डारण साईट दिनांक 05.03.2025 से दिनांक 08.03.2025 को हुई आग की घटना के संदर्भ में नोएडा प्राधिकरण के विरूद्ध रू0 2,00,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र 1299/सा0पत्र0–122/2025 दिनांक 29.03.2025 द्वारा आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–27259/सी–1/सा0–2179/पर्या0क्षति0–का0ब0नो0/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा महाप्रबन्धक, नोएडा प्राधिकरण (हार्टिकल्चर वेस्ट भण्डारण व अन्य वेस्ट भण्डारण साईट), नोएडा के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, प्रति संलग्न।
2. नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक वेस्ट व अन्य वेस्ट के भण्डारण किये जाने के परिपेक्ष्य में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, नोएडा को मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 नं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 735/एल–176/2024 दिनांक 13.11.2024 द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है, प्रति संलग्न।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि।

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला
नई दिल्ली शनिवार 5 जुलाई 2025

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

महत्वपूर्ण जन-सूचना/अपील

दिनांक- 05.07.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs- 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा

Scanned with OKEN Scanner

6 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2025

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

दिनांक– 05.07.2025

महत्वपूर्ण जन–सूचना/अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs- 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा

Scanned with OKEN Scanner

हिन्दुस्तान | नई दिल्ली | शनिवार | 5 जुलाई 2025 | 15

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

दिनांक– 05.07.2025

महत्वपूर्ण जन–सूचना/अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs- 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators, Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नोएडा/ग्रेटर नोएडा

Scanned with OKEN Scanner

BENNETT, COLEMAN & CO. LTD. | Estd. MDCCCLXXVIII | VOL. 78 NO. 183 | NEW DELHI | SATURDAY, JULY 5, 2025 | PAGES 16 |

THE TIMES OF INDIA

INCLUSIVE OF NOIDA TIMES (IN NOIDA/GREATER NOIDA) OR DELHI TIMES (IN GHAZIABAD) | *APPLICABLE ONLY ON MONTHLY PURCHASE | INDIA'S LARGEST ENGLISH NEWSPAPER

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI / NOIDA / GHAZIABAD
SATURDAY, JULY 5, 2025

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा / ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

दिनांक– 03.07.2025

महत्वपूर्ण जन–सूचना / ज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दायर वाद/प्रार्थना पत्र एम0ए0 संख्या 57/2025 सान्निध्य सहारनपुर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, reservoirs, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such instance of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc. for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc. at appropriate places ....."

अतः जन–मानस को अवगत है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दायर वाद/प्रार्थना पत्र एम0ए0 संख्या 57/2025 सान्निध्य सहारनपुर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नोएडा / ग्रेटर नोएडा

CM K

Scanned with OKEN Scanner

Received Diwi
by Post
28/4/25

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

H27259

पंजीकृत

पत्रॉक : /सी–1/सा0–2179/पर्या0क्षति0–का0ब0नो0/2025 दिनॉक : 23-4-25

महाप्रबन्धक,
नोएडा प्राधिकरण,
(हार्टिकल्चर वेस्ट भण्डारण व अन्य वेस्ट भण्डारण साईट),
नोएडा।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–32, नोएडा में मै0 वेब सिटी के निकट खाली भूखण्ड पर नोएडा प्राधिकरण से जनित हार्टिकल्चर अपशिष्ट का भण्डारण किया जाता है जिस पर दिनांक–05.03.2025 को साईट पर आग लगने की घटना से वायु गुणता पर पड़े प्रभाव के आंकलन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा विश्लेषण हेतु प्राधिकृत बाह्य प्रयोगशाला से घटना स्थल के समीप शक्ति सदन गेस्ट हाऊस, सेक्टर–38, नोएडा एवं वेब मेगासिटी सेन्टर प्रा0लि0, सेक्टर–32, नोएडा का दिनांक–05.03.2025 से दिनांक–03.03.2025 तक वायुगुणता का विश्लेषण कराया गया। विश्लेषणोपरान्त यह स्पष्ट पाया गया कि सेक्टर–32, नोएडा में आगजनी की घटना से क्षेत्र की वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है व निकटवर्ती क्षेत्र की वायुगुणता नोएडा क्षेत्र में स्थापित अन्य रियल टाईम स्टेशन की तुलना खराब है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 राममिलन साहनी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक–26.07.2024 को इस प्रकार की घटनाओं में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध मे निम्न आदेश परित किये गये है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/ dumping of Solid waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, wetlands, lakes nalas, panchayat or revenue lands by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste no falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste no falling in the category of bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Office of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officer for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officer of Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental Compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Panchayat/ UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental Compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Panchayat for the proper management and processings of Solid Waste within its respective jurisdiction..."

...2

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
ई–मेल : info@uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
E-mail : info@uppcb.com

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक–29.03.2025 के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण, सेक्टर–32 से जनित हार्टिकल्चर अपशिष्ट के भण्डारण एवं आगजनी की घटना के दृष्टिगत नोएडा प्राधिकरण के विरूद्ध दिनांक–05.03.2025 से दिनांक–08.03.2025 तक कुल 04 दिनों हेतु रूपया–50,000/– प्रतिदिन की दर से (EC=No. of days 04X50,000=2,00,000) कुल रूपया–2,00,000/– (रूपया दो लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या एवम् संस्तुति एवम् उक्त पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

"यह कि क्यों न नोएडा प्राधिकरण, सेक्टर–32 से जनित हार्टिकल्चर अपशिष्ट के भण्डारण एवं आगजनी की घटना के दृष्टिगत नोएडा प्राधिकरण के विरूद्ध रूपया–50,000/–प्रतिदिन की दर से (EC=No. of days 04X 50,000=2,00,000) कुल रूपया–2,00,000/–(रूपया दो लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?"

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(ए0के0 आनन्द)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त–1

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त–1

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः–735/एल–176/24 दिनांकः–13-1-2024

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा।

विषयः–नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर नगरी ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक वेस्ट व अन्य वेस्ट के भण्डारण किये जाने के परिपेक्ष्य में सम्बन्धित के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 613/2022 में दिनांक 26.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के विभिन्न स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक वेस्ट व अन्य वेस्ट भण्डारण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका संख्या 1541/2023 तेज सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 दायर की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या 1541/2023 तेज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 का क्रियान्वयन न होने के कारण याची द्वारा मा0 न्यायालय में सिविल अवमानना याचिका संख्या 8844/2023 तेज सिंह बनाम डा0 लोकेश एम0 एवं अन्य दायर की गयी थी। उक्त में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2023 का अनुपालन सुनिश्चित न होने के फलस्वरूप याची द्वारा अवमानना जनहित याचिका संख्या 3635/2024 तेज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2024 को आदेश पारित किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उल्लिखित स्थलों का निरीक्षण दिनांक 05.09.2023, दिनांक 06.09.2023 को कर आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 736/सा0पत्रा0–07/2023 दिनांक 15.09.2023 विशेष कार्यकारी/नोडल पर्यावरण, नोएडा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय में दायर कन्टेम्पट याचिका (सिविल) संख्या 8444/2023 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में उपरोक्त स्थलों का पुनः निरीक्षण दिनांक 28.12.2023 को किया गया था एवं आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 1286/एल–176/2024 दिनांक 01.01.2024 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नोएडा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। याचिका में उल्लिखित समस्त ग्राम प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है।

उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र संख्या 499/एल–176/2024 दिनांक 26.09.2024 के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा व ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को पत्र प्रेषित किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय, महाप्रबन्धक (जन स्वास्थ्य), के पत्र संख्या नोएडा/म0प्र0(जन स्वा0)/2024/500 दिनांक 30.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त स्थलों से कूड़ा हटाकर सफाई करा दी गयी है। तत्क्रम में उक्त स्थलों का पुनः निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट/अन्य वेस्ट भण्डारित पाया गया तथा स्थिति पूर्ववत् पायी गयी। विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 613/2022 में दिनांक 26.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित के विरूद्ध पूर्व निरीक्षण के क्रम में रू0 25,000/– एवं वर्तमान निरीक्षण के क्रम में रू0 50,000/– अर्थात कुल रू0 75,000/– प्रत्येक पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

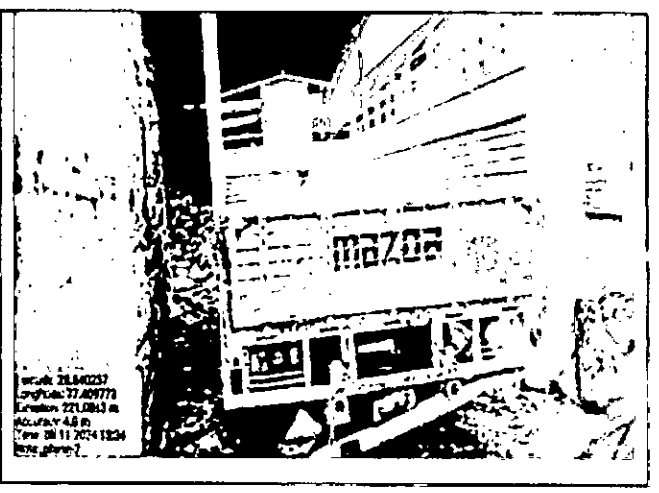
(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

<u>नोएडा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर यूजड प्लॉस्टिक, कागज एवं कपड़े की कतरन एवं अन्य वेस्ट को खुलेआम फेंकने एवं स्टोर करने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः–</u>

उपरोक्त विषयक आपके आदेश के क्रम में तेज सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी–सदरपुर, सेक्टर–45, नोएडा द्वारा प्राप्त शिकायत के क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा चिन्हित स्थलों एवं अन्य स्थलों का पुनः निरीक्षण दिनांक 08.11.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थलों पर वेस्ट भण्डारित होता पाया गया। आख्या निम्नवत् है–

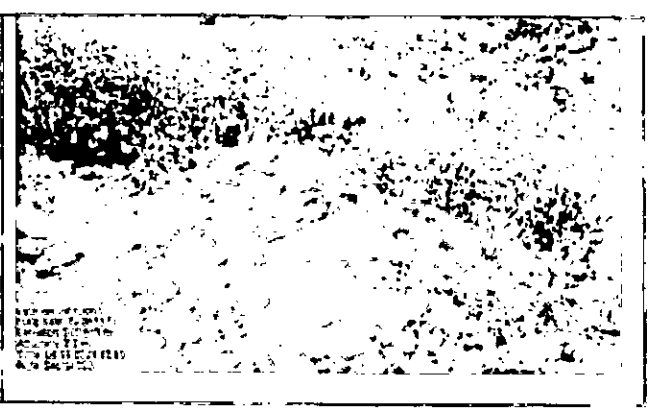
ग्राम–नगली, फेस–2, नोएडा में पुरानी कोर्ट के निकटः–
शिवानी इन्टरप्राईजेज, बाबा मार्केट फेस–2, नोएडा एवं इकोग्रीन फेस–2, नोएडा के परिसर में गस्ता वेस्ट भण्डारित पाया गया निरीक्षण के समय उक्त स्थलों पर कार्यरत लैबर द्वारा दुकान स्वामी का नाम बताने से इंकार करते हुये, उक्त स्थल पर गत्ते का भण्डारण करते हुये मात्र गस्ता का क्रय–विक्रय किया जाना अवगत कराया गया। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–





ग्राम–हाजीपुर, सेक्टर–105, पेट्रोल पम्प के निकट खाली प्लॉट मेंः– उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय नगरीय ठोस अपशिष्ट व सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का भण्डारित पाया गया। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–



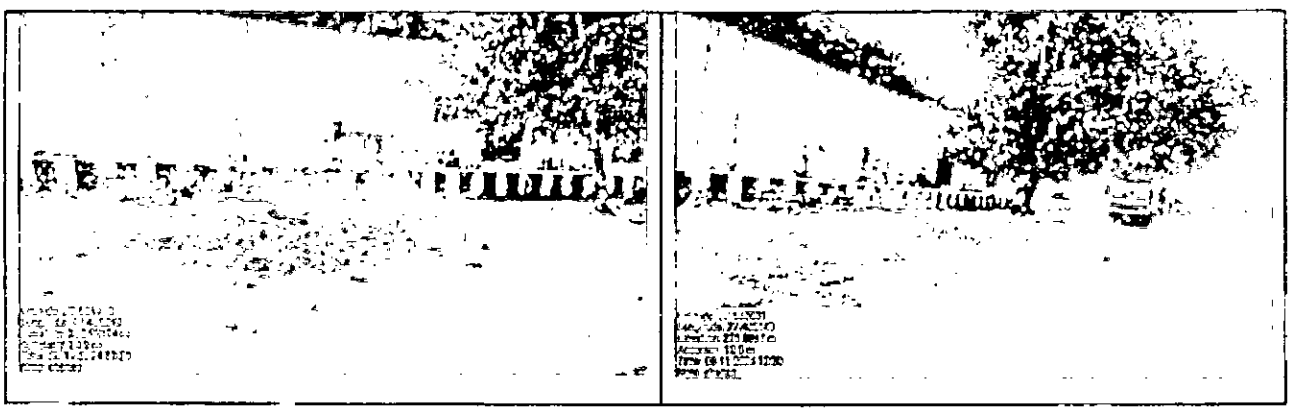


सैमसंग इलेक्ट्रोनिक कम्पनी के पीछे सेक्टर–80, नोएडाः– उक्त स्थल पर सॉलिड वेस्ट जैसे– कपड़ों की कटरन, प्लॉस्टिक वेस्ट, गस्ता वेस्ट आदि काफी मात्रा में भण्डारित किया जाता पाया गया। उक्त स्थल पर

कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं होने के कारण स्थल सम्बन्धी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–



ग्राम नगला में चौक के व शहनवाज आयुर्वेदिक कम्पनी के पासः– नगरीय वेस्ट एकत्रित पाया गया। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–



बिरला कम्पनी फेस–2 के पीछे हिण्डन पुस्ता से लगा हुआः– कपड़ों की कटरन, प्लॉस्टिक वेस्ट, गस्ता वेस्ट, मेटल वेस्ट आदि काफी मात्रा में भण्डारित किया जाता पाया गया। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर कार्यरत लैबर द्वारा अवगत कराया गया कि कबाड़ का भण्डारण एवं पृथक्करण कर क्रय–विक्रय का कार्य किया जाता हैं। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–



हिण्डन पुस्ता के पास सिंचाई विभाग की जमीन में सुप्रीम कम्पनी नोएडा के पास पुस्ते की ओरः– कपड़ों की कटरन, प्लॉस्टिक वेस्ट, मेटल वेस्ट, गस्ता वेस्ट आदि काफी मात्रा में भण्डारित किया जाता पाया गया। उक्त स्थलों पर कार्यरत लैबर द्वारा अवगत कराया गया कि हिण्डन पुस्ता पर लगभग 10 कबाड़ की दुकानें स्थापित एवं संचालित है तथा कबाड़ का भण्डारण एवं पृथक्करण कर क्रय–विक्रय का कार्य किया जाता हैं। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–





ग्राम सुल्तानपुर, सेक्टर–128, नोएडा ग्राम की आबादी के पश्चिमी की तरफ पुस्ते की ओर जाने वाले रास्ते पर, ग्राम–वाजिदपुर, सेक्टर–130 नोएडा एक्सप्रेसवें से ग्राम की आबादी की तरफ, ग्राम–रायपुर सेक्टर–126, नोएडाः– निरीक्षण के समय ग्राम सुल्तानपुर, सेक्टर–128, नोएडा ग्राम की आबादी के पश्चिमी की तरफ पुस्ते की ओर जाने वाले रास्ते पर, ग्राम–वाजिदपुर, सेक्टर–130 नोएडा एक्सप्रेसवें से ग्राम की आबादी की तरफ किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट, प्लास्टिक एवं कपडें की कटरन, प्लॉस्टिक वेस्ट इत्यादि भण्डारित होता हुआ नहीं पाया गया। उक्त के अतिरिक्त सेक्टर–126 एवं 127 के बीच पुस्ता की तरफ कबाड व अन्य वेस्ट भण्डारित पाया गया। उक्त स्थलों पर कार्यरत लैबर द्वारा अवगत कराया गया कि हिण्डन पुस्ता पर लगभग 20 कबाड़ की दुकानें स्थापित एवं संचालित है तथा कबाड़ का भण्डारण एवं पृथक्करण कर क्रय–विक्रय का कार्य किया जाता हैं। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–





ग्राम–गेझा ,सेक्टर–82, नोएडा पेरीफेरल रोड के मुख्य मार्ग पर :– निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–



ग्राम–ममूरा नोएडा स्थित बिजली घर के पश्चिम की तरफ एवं हनुमान मंदिर के पास:– निरीक्षण के समय स्थल पर लगभग 10 से 15 कबाड की दुकानें स्थापित एवं संचालित हैं, जिनके द्वारा प्लॉस्टिक वेस्ट, मेटल वेस्ट, गस्ता वेस्ट इत्यादि का भण्डारण किया जाता है। उपस्थित लोगो द्वारा अवगत कराया गया कि कबाड़ का भण्डारण एवं पृथक्करण कर क्रय–विक्रय का कार्य किया जाता हैं। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–



निरीक्षण के दौरान उक्त सभी स्थलों पर प्लास्टिक कटिंग, वाशिंग, प्लास्टिक दाना बनाना, ईवेस्ट डिस्मेंटलिंग जैसी औद्योगिक गतिविधियाँ नहीं पायी गयी। उक्त स्थल नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है।

उक्त स्थल पर वेस्ट भण्डारण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका संख्या 1541/2023 तेज सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 दायर की गयी थी, जिसमें दिनांक 20.07.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उल्लिखित स्थलों का निरीक्षण दिनांक 05.09.2023, दिनांक 06.09.2023 को कर आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 736/सा0पत्रा0–07/2023 दिनांक 15.09.2023 विशेष कार्यकारी/नोडल पर्यावरण, नोएडा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय में दायर कन्टेम्पट याचिका (सिविल) संख्या 8444/2023 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में उपरोक्त स्थलों का पुनः निरीक्षण दिनांक 28.12.2023 को किया गया था एवं आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 1286/एल–176/2024 दिनांक 01.01.2024 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नोएडा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी।

वर्तमान निरीक्षण में स्थिति पूर्ववतः पायी गयी। तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 613/2022 में दिनांक 26.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित के विरूद्ध पूर्व निरीक्षण के क्रम में रू0 25,000/– एवं वर्तमान निरीक्षण के क्रम में रू0 50,000/– अर्थात कुल रू0 75,000/– प्रत्येक पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या नोएडा प्राधिकरण को प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

11.11.2024
(पी0पी0 सिंह)
सहा0पर्या0अभि0

11/11/24
(किशन सिंह)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या : 453/NOT-86/2025 दिनांक : 14/07/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच30080/सी–6/सा0–709/ ओ0ए0 नं0–613/2022/2025 दिनांक 10.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/ एम0ए0–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशो के अनुपालन में नगरीय ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) को रोड/नदी/नालो /तालाबो/वेटलैण्ड, सरकारी भूमि पर एवं किनारे न फेंकने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है एवं उक्त आदेश की अवहेलना किये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्राविधानित किया गया है, को प्रिन्ट मीडिया, होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है–

1. मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति सम्बन्धित प्राधिकरण/नगर निकाय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है।
2. मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के पैरा 76 में दिये गये निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जनपद गौतमबुद्धनगर के दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण (Hindi) एवं टाइम्स ऑफ इंडिया (English) में दिनांक 05.07.2025 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित कराया गया, जिसकी प्रति संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के पैरा 76 में उल्लिखित नगरीय ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) को रोड/नदी/नालो/तालाबो/वेटलैण्ड, सरकारी भूमि पर एवं किनारे न फेंकने की अपील एवं अनुपालन न किये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से अवगत कराये जाने हेतु बैनर शहर में सार्वजनिक स्थानो, आवासिया कालोनियों एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों में लगवाये गये है, जिसके फोटोग्राफ्स संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

अनुलग्नक-1

अमर उजाला
नई दिल्ली | सातवार | 5 जुलाई 2025 | 3

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

दिनांक– 05.07.2025

महत्वपूर्ण जन–सूचना/अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा

6 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2025

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

दिनांक– 05.07.2025

महत्वपूर्ण जन–सूचना/अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs- 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental conipensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators, Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, शनिवार, 5 जुलाई 2025 15

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

दिनांक– 05.07.2025

महत्वपूर्ण जन–सूचना/अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs- 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators, Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा

BENNETT, COLEMAN & CO. LTD. | Estd. MDCCCXXXVIII | VOL. 76 NO. 159 | NEW DELHI | SATURDAY, JULY 5, 2025 PAGES 56 | NOIDA/GHAZIABAD | INVITATION PRICE ₹7.00 OR ₹10.50 WITH NAVBHARAT TIMES

THE TIMES OF INDIA

INCLUSIVE OF NOIDA TIMES (IN NOIDA/GREATER NOIDA) OR DELHI TIMES (IN GHAZIABAD) | *APPLICABLE ONLY ON MONTHLY PURCHASE INDIA'S LARGEST ENGLISH NEWSPAPER | To subscribe call 1800 1200 004 or visit subscribe.timesofindia.com

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI / NOIDA / GHAZIABAD
SATURDAY, JULY 5, 2025

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

दिनांक– 05.07.2025

महत्वपूर्ण जन–सूचना/अपील

इसे सामान्य को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन चाहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

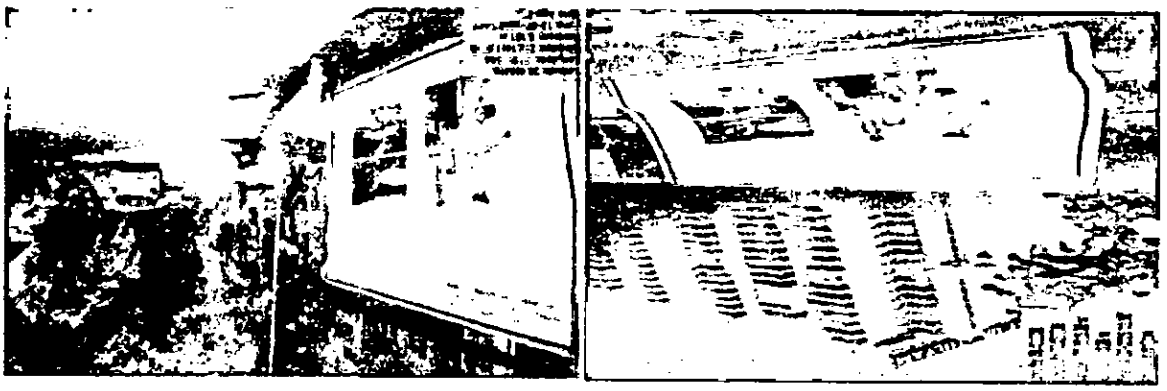
".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs- 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

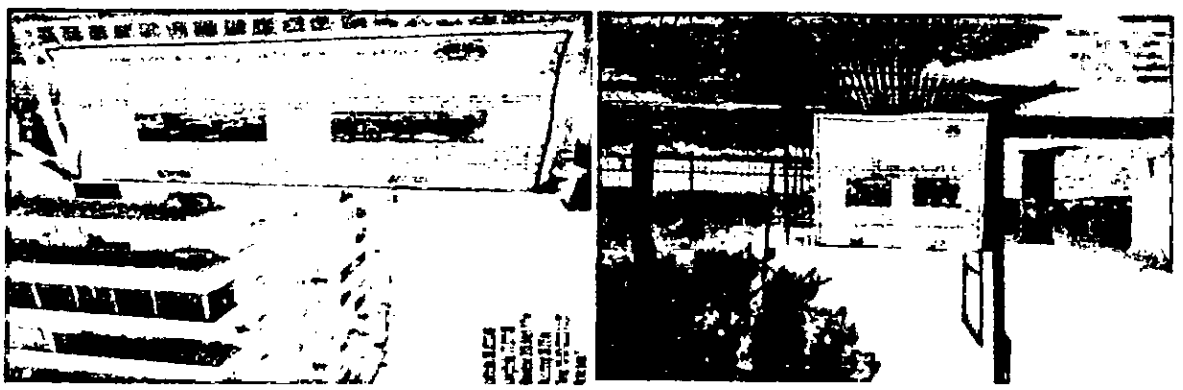
77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

उक्त जन–सामान्य के अनुपालन है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन चाहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन करवाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें;

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा

GM K











BENNETT, COLEMAN & CO. LTD. | Estd. MDCCCLXXVIII | VOL. 76 NO. 139 | NEW DELHI | SATURDAY, JULY 5, 2025

THE TIMES OF INDIA

INCLUSIVE OF NOIDA TIMES (IN NOIDA/GREATER NOIDA) OR DELHI TIMES (IN GHAZIABAD) | *APPLICABLE ONLY ON MONTHLY PURCHASE

INDIA'S LARGEST ENGLISH NEWSPAPER

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI / NOIDA / GHAZIABAD
SATURDAY, JULY 5, 2025

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा / ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

दिनांक– 04.07.2025

महत्वपूर्ण जन–सूचना / अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के संज्ञान आदेश दिनांक 04.07.2025 में ओ0ए0 संख्या 57 / 2025 सान मितल साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

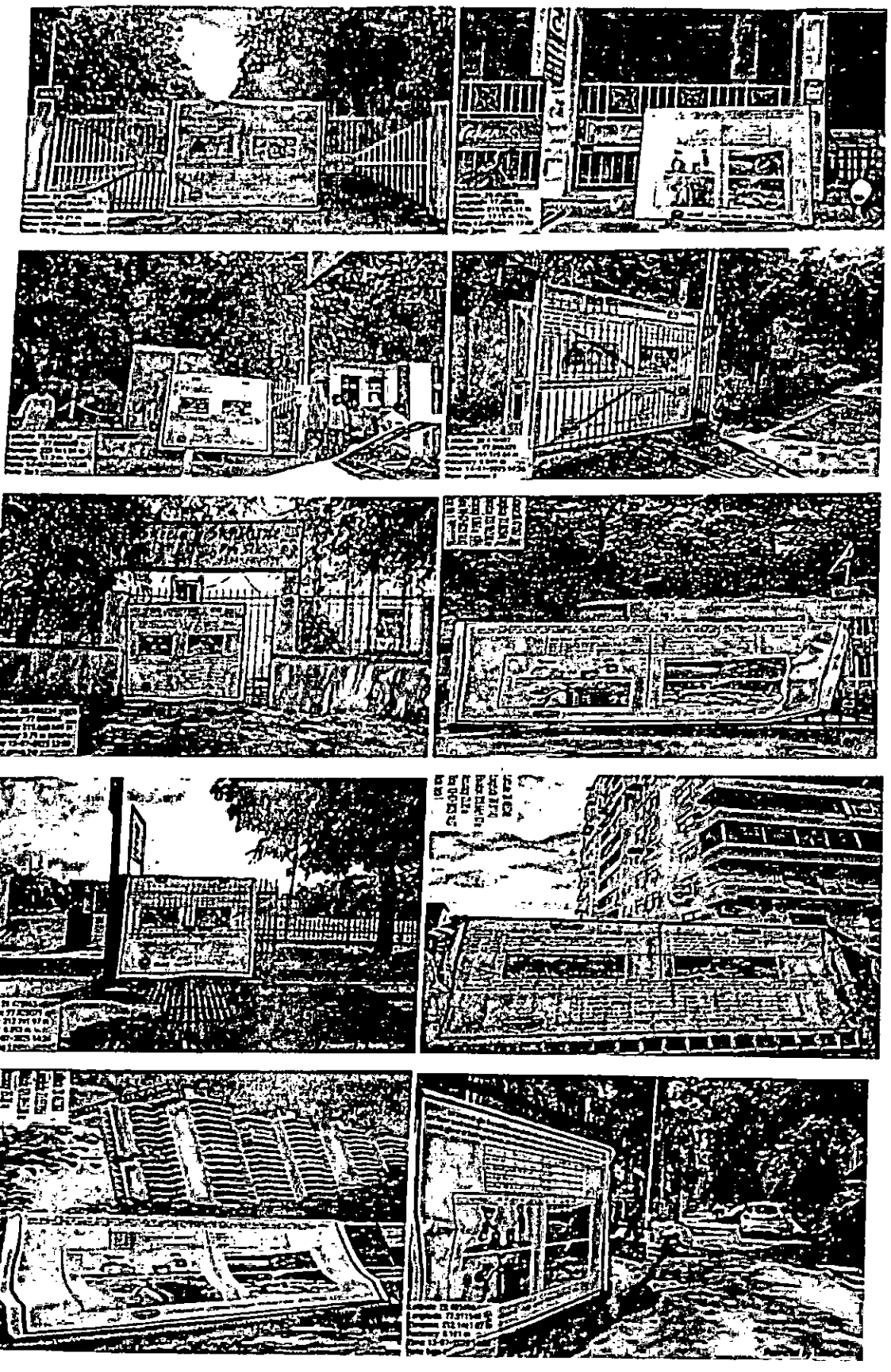
".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, watercourse, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, commissioner, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc. for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc. at appropriate places ... ."

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 04.07.2025 में ओ0ए0 संख्या 57 / 2025 सान मितल साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा / ग्रेटर नोएडा

सलंग्नक-02



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या : 412/NGT-06/25 दिनांक : 2/7/25

सेवा में,

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक,
   उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
   सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
2. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
   दादरी/दनकौर/जेवर/रबूपूरा/बिलासपुर/जहाँगीरपुर
   गौतमबुद्धनगर।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशो के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 (प्रति संलग्न) के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places."

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश से अवगत होना चाहे, जिसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। उक्त के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें, जिससे उक्त सूचनायें मा0 एन0जी0टी0 को ससमय उपलब्ध कराई जा सके। उक्त आदेश के अनुपालन में आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल किया जाना है एवं उक्त प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 30.07.2025 नियत है।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या : 418 /NGT-06/25 दिनांक : 27/7/25

सेवा में,

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
   ग्रेटर नोएडा।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
   ग्रेटर नोएडा।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशो के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 (प्रति संलग्न) के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places."

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश से अवगत होना चाहे, जिसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करनें का कष्ट करें, जिससे उक्त सूचनायें मा0 एन0जी0टी0 को ससमय उपलब्ध कराई जा सके। उक्त आदेश के अनुपालन में आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल किया जाना है एवं उक्त प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 30.07.2025 नियत है।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

जनपद–गौतमबुद्धनगर	
क्र0सं0	औद्योगिक विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
1.	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2.	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3.	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4.	नगर पालिका परिषद, दादरी गौतमबुद्धनगर।
5.	नगर पंचायत, दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
6.	नगर पंचायत, जेवर, गौतमबुद्धनगर।
7.	नगर पंचायत, रबूपूरा गौतमबुद्धनगर।
8	नगर पंचायत, बिलासपुर, गौतमबुद्धनगर।
9	नगर पंचायत, जहाँगीरपुर, गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.up.gov.in, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 587 / [illegible] / 2025 दिनांक 4/7/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/डब्लू0एम0डी0/एम0ए0–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के पैरा 76 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 12.07.2025 को स्थानीय 03 सामाचार पत्रों में अपील विज्ञप्ति करायी गयी, जिसकी छायाप्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

दिनांक 12/7/2025

386

अमर उजाला

क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद
Website- https://uppcb.up.gov.in, e-mail:roghaziabad@uppcb.in
Ph. No-0120-4160108

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

"76 Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways,wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in theentire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default,violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concernedExecutive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officersthereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26. 07.2024 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

अमर उजाला

क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद
Website- https://uppcb.up.gov.in, e-mail:roghaziabad@uppcb.in
Ph. No-0120-4160108

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

"76 Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways,wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in theentire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default,violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concernedExecutive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officersthereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26. 07.2024 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

दैनिक जागरण

दिनांक 12/7/2025 Times of India

क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद
Website- https://uppcb.up.gov.in, e-mail:roghaziabad@uppcb.in
Ph. No-0120-4160108

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है :-

'75 Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways,wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in theentire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default,violator shall be liable to pay nvironmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concernedExecutive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officersthereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.....'

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.up.gov.in, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 602/Kolkata...../2025 दिनांक 15/2/2026.

सेवा मे,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, गाजियाबाद।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच–29673/WMD/एम0आर0–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

"76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अवगत हो कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु Electronic Media & Print Media आदि के माध्यम से किया गया है। उक्त सूचना समस्त जन–मानस तक प्रसारित किया जाना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ/प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या/1:3400/C/सी–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–613/2022)/2025 दिनांक 10/7/25

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
अनुरक्षक–1
ई–मेल द्वारा

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषयः–माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय के पत्रांक–एच29673/डब्लू0एम0डी0/एम ए–57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रश्नगत ओ0ए0 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 सपठित आदेश दिनांक 26.07.2024 के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा उक्त सम्बन्ध में अनुपालन आख्या अभी तक प्रेषित नही की गयी है।

अतएव उपरोक्त सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि बोर्ड मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 15.07.2025 तक वृत्त–6 को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि समस्त वांछित सूचनाएं संकलित करते हुए मा0 एन0जी0टी0 में ससमय अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण की अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2025 नियत है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

पर्यावरण अभियंता,
प्रभारी (वृत्त–6)

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. पर्यावरण अभियंता, प्रभारी (डब्लू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. विधि अधिकारी, प्रथम (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पर्यावरण अभियंता,
प्रभारी (वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@upcb.com Web Site: www.upcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या ...WMD/[illegible]/2025 दिनांक ...2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 न0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"*.....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.*

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि सदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनाक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को cco6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नक:–यथोपरि।

(राजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

जनपद गाजियाबाद	
क0सं0	नगर निगम/नगर पलिका/नगर पंचायत
1.	नगर निगम, गाजियाबाद
2.	नगर पालिका परिषद, मुरादनगर
3.	नगर पालिका परिषद, मोदिनगर
4.	नगर पालिका परिषद, निवारी
5.	नगर पालिका परिषद, डासना
6.	नगर पालिका परिषद, खोड़ा
7.	नगर पालिका परिषद, पतला
8.	नगर पालिका परिषद, लोनी
9.	नगर पालिका परिषद, फरीदनगर

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 965/ सा० 289/2025 दिनांक : 15/7/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, के पत्र सं एच. 29673/डब्लू0एम0डी0/एम0ए0–57/सा0–42/2025, दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन मुं अनुपालन आख्या/विवरण निम्नवत है :–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक जागरण समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण के संस्करण दिनांक 15.07.2025 में प्रकाशित कराया गया। समाचार पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में अनुपालनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के अन्तर्गत आच्छादित समस्त स्थानीय निकाय को पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–2)

सूचना/अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. विधि अधिकारी प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

.com
गोरखपुर | मंगलवार, 15 जुलाई 2025
6

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

महादेव झारखण्डी, आवास - विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0 613/2022 में एम०ए० सं०-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के क्रम जनपद गोरखपुर में अनाधिकृत स्थानों विशेष कर सड़क के किनारे, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राज्य भूमि, पी०डब्ल्यू०डी० व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने / डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध/के निर्देश दिये गये है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उस धनराशि का उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्तिः-

अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर
रू0 5,000.00
रू0.10,000 (अपराध की पुनरावृति पर) बल्क वेस्ट को फेंकने / डम्प करने पर
रू0 25,000.00
रू0 50,000.00 (अपराध की पुनरावृति पर)

क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर

संदर्भ संख्या : 963/सा-289/O.A.No.-613/2022/2025 दिनांक 14.07.2025

12 दैनिक जागरण गोरखपुर, 15 जुलाई, 2025

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0 613/2022 में एम०ए० सं०–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के क्रम जनपद गोरखपुर में अनाधिकृत स्थानों विशेष कर सड़क के किनारे, नदियों, जल मार्गों, आर्द्र भूमि, झीलों, तालों, पंचायत या राज्य भूमि, पी०डब्ल्यू०डी० व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने / डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उस धनराशि का उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति :–

अपशिष्ट को फेंकने / डम्प करने पर

- रू0 5,000.00
- रू0 10,000 (अपराध की पुनरावृति पर)

प्लास्टिक वेस्ट को फेकने / डम्प करने पर

- रू0 25,000.00
- रू0 50,000.00 (अपराध की पुनरावृति पर)

सदर्भ संख्या: 952/सं०–283/O.A.No.-613/2022/2025
दिनांक: 14.07.2025

क्षेत्रीय अधिकारी
गोरखपुर

प्रदूषण रोकिए!
0551–2273973
पर्यावरण बचाइए!!
0551–2273973

दूरभाष एवं फैक्स :

Phone & Fax :

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 964/प्र0-289/2025

दिनांक : 14/7/25

सेवा में,

सूची अनुसार

(31)

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं एच. 29673/डब्लू0एम0डी0/एम0ए0–57/सा0–42/2025, दिनांक 30.06.2025, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 के अनुपालन से सम्बन्धित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंग अंश निम्नवत हैः–

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

"..... 77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners
etc at appropriate places. ...."

अग्रेतर अवगत हो कि उक्त संदर्भित ओ0ए0 में सुनवाई हेतु अगली तिथि 30.07.2025 को नियत है। अतः आप से अपेक्षा है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के उपरोक्त वर्णित बिन्दु सं0 76 एवं 77 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे संकलित अनुपालन आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. प्रभारी डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बड़हलगंज, गोरखपुर
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मुण्डेरा बाजार, गोरखपुर
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सहजनवा, गोरखपुर
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बासगांव, गोरखपुर
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, गोला बाजार, गोरखपुर
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, पीपीगंज, गोरखपुर
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, पिपराईच, गोरखपुर
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महराजगंज
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, निचलौल, महराजगंज
11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सिसवा बाजार, महराजगंज
12. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, घुघुली, महराजगंज
13. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, आनन्द नगर, महराजगंज
14. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नौतनवां, महराजगंज
15. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया
16. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज, देवरिया
17. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गौरी बाजार, देवरिया
18. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, भटनी, देवरिया
19. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सलेमपुर, देवरिया
20. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, लार, देवरिया
21. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, भाटपाररानी, देवरिया
22. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रूद्रपुर, देवरिया
23. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मझौलीराज, देवरिया
24. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रामपुर कारखाना, देवरिया
25. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पडरौना, कुशीनगर
26. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कप्तानगंज, कुशीनगर
27 अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रामकोला, कुशीनगर
28. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, हाटा, कुशीनगर
29. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सेवरही, कुशीनगर
30. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, खड्डा, कुशीनगर
31. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कसया, कुशीनगर

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

दिनांक 07.07.2025
Date.....20

संदर्भ सं0 .....
Ref. No. 225/OA-613/NGT/25

सेवा मे,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय : मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय के पत्रांक एच29673/डब्लू0एम0डी0/एम0ए0–57/सा0–42/2025 दिनांक 20.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अवगत कराना है कि उक्त के सम्बन्ध में आम जन–मानस में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत जनपद–झांसी, जालौन एवं ललितपुर के संस्करणो में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में दिनांक 03.07.2025 को विज्ञाप्ति जारी करायी गयी है (छायाप्रति संलग्न)। साथ ही मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु कार्यालय स्तर पर प्रत्येक जनपद हेतु समिति का गठन कर समिति सदस्यो को अनुपालन किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–208/ओ0ए0–613/2025 दिनांक 02.07.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अग्रेतर समस्त स्थानीय निकायो से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–206/ओ0ए0–613/2022 दिनांक 02.07.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। स्थानीय निकायो से प्राप्त सूचनायें पत्र के साथ संलग्न है। उक्त सूचनाये आपके आवलोकनार्थ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 20.06.2025 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ई-मेल द्वारा

संदर्भ संख्या: 19673 /WMD/M.S.-57 (सं-4)/2025 दिनांक 31/12/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ सकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उ.प्र. आवास विकास कालोनी (तालपुरा योजना), कानपुर रोड, झाँसी

सन्दर्भ सं.: 209/JG-25/25 दिनाँक : 02.07.2025

अति महत्वपूर्ण सूचना

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.-613/ 2022 में एम.ए. संख्या-57/ 2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है :

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/ dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly road sides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -58- authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs: 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/ dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/ dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Panchayat. the Regional Officer. UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/ realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Panchayat/ UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction."

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश दिनाँक 26.07.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जन मानस को सूचित किया जाता है कि अनाधिकृत स्थानों विषयकर सड़क किनारे नदियो, जलमार्गों, आर्दभूमि, झील, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/ डम्प करने को पूर्णत: प्रतिबन्धित किया गया है तथा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने एवं वसूलने हेतु आदेशित किया गया है। अत: जन सामान्य से अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

amarujala.com

झांसी | बृहस्पतिवार, 3 जुलाई 2025

5

क्षेत्रीय कार्यालय
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उ.प्र. आवास विकास कालोनी (तालपुरा योजना), कानपुर रोड, झांसी

संदर्भ सं. 210/प्रेस विज्ञप्ति/25 दिनांकः-02-07-2025

अति महत्वपूर्ण सूचना

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० संख्या-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसगंत अंश निम्नवत है :-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes; nalas, panchayat or revenue lands; land owned by PWD or other various O. A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. -58- authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction."

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जन मानस को सूचित किया जाता है कि अनाधिकृत स्थानों विषयकर सड़क किनारे नदियों, जलमार्गों, आर्दभूमि, झील, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकन/डम्प करने को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है तथा उल्लघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने एवं वसूलने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः जन सामान्य से अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशो का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

जनपद–झांसी।	
क0सं0	नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
1	नगर निगम, झांसी।
2	नगर पालिका परिषद, समथर, जनपद–झांसी।
3	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर, जनपद–झांसी।
4	नगर पालिका परिषद, मऊरानीपुर, जनपद–झांसी।
5	नगर पालिका परिषद, गुरसरांय, जनपद–झांसी।
6	नगर पालिका परिषद, चिरगांव, जनपद–झांसी।
7	नगर पंचायत, मोंठ, जनपद–झांसी।
8	नगर पंचायत, गरौठा, जनपद–झांसी।
9	नगर पंचायत, टोडीफतेहपुर, जनपद–झांसी।
10	नगर पंचायत, रानीपुर, जनपद–झांसी।
11	नगर पंचायत, बडागांव, जनपद–झांसी।
12	नगर पंचायत, एरच, जनपद–झांसी।
13	नगर पंचायत, कटेरा, जनपद–झांसी।
14	छावनी परिषद, बबीना, जनपद–झांसी।
15	छावनी परिषद, झांसी, जनपद–झांसी।
जनपद–जालौन	
1	नगर पालिका परिषद, जालौन, जनपद–जालौन।
2	नगर पालिका परिषद, कालपी, जनपद–जालौन।
3	नगर पालिका परिषद, कोंच, जनपद–जालौन।
4	नगर पालिका परिषद, उरई, जनपद–जालौन।
5	नगर पंचायत, उमरी, जनपद–जालौन।
6	नगर पंचायत, कदौरा, जनपद–जालौन।
7	नगर पंचायत, नदीगांव, जनपद–जालौन।
8	नगर पंचायत, रामपुरा, जनपद–जालौन।
9	नगर पंचायत, माधौगड, जनपद–जालौन।
10	नगर पंचायत, कोटरा, जनपद–जालौन।
जनपद–ललितपुर।	
1	नगर पालिका परिषद, ललितपुर, जनपद–ललितपुर।
2	नगर पंचायत, तालबेहट, जनपद–ललितपुर।
3	नगर पंचायत, पाली, जनपद–ललितपुर।
4	नगर पंचायत, महरौनी, जनपद–ललितपुर।

404

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
कानपुर नगर

संदर्भ 417/रा0-257/25 दिनांकः 10/07/25

सेवा में,

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–**माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच30080/सी–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–613/2022/2025, दिनांक 10.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 सपठित आदेश दिनांक 26.07.2024 के पैरा–76 मं दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के क्रम में दिनांक 11.07.2025 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं दैनिक अमर उजाला के माध्यम से जनहित में कानपुर नगर के संस्करण में प्रकाशन कराया गया है। उक्त प्रकाशन की कटिंग की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (डब्लू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208 017
ई–मेल : rokanpur@uppcb.in, फोन : 0512– 2510999

RO_aksuman

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर नगर
Website:-https://uppcb.up.gov.in, e-mail:-rokanpur@uppcb.in

-: अपील :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा. एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं0-613/2022 में एम.ए. सं. 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि मा. एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं0-613/2022 में एम.ए. सं. 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में पारित आदेश को अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर

Scanned with OKEN Scanner

amarujala.com/kanpur

कानपुर | शुक्रवार • 11.07.2025

07

अमर उजाला

क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

5243, सदभावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर नगर
Website:- https://uppcb.up.gov.in, e-mail: rokanpur@uppcb.in

संदर्भ-415/सा०-104/25 दिनांक: 10-07-25

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं० 57/2025 राम मिलन साहनी,बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be depsoited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं० 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में पारित आदेश को अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 434/क्षे0-257/25 दिनांक- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
छावनी परिषद, राजपूत रोड, फतेहगढ़,
जनपद–फर्रूखाबाद।
पिनकोड–209601।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृपयाउ0...

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सादभावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर नगर 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

Jajmau_Letter Head_Himanshu

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ई-मेल द्वारा

संदर्भ संख्या: 29672 /WMD/M.C.-57/ए-4/2025 दिनांक 4.6.2025

सेवा मे,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"……*76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.*

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places

अवगत हों कि सदर्भित ओ0ए0 मे अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनाक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1 मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2 इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
3 मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3 अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ सकलित कर बोर्ड की ओर से सस्मय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 429/सा-257/25

दिनांक:- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
छावनी परिषद, सुभाष चन्द्र बोस मार्ग,
जनपद–कानपुर नगर।
पिनकोड–208004।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0पृ0उ0.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ई-मेल द्वारा

संदर्भ संख्या 29673 /WMD/MA-57/सं0व0/2025 दिनांक 30/6/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionatre, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C. -12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को cec6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 431/ए10-257/25 दिनांक:- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

सचिव,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
जनपद–कानपुर नगर।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, CLB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0प्र0उ0.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास कॉलोनी 3, जाजमऊ-पूर्व, कानपुर, पिन - 208017
ई–मेल - rokanpur@uppcb.in दूरभाष - 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में गोलित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 मे उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या इमल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ई-मेल कार्यालय

संदर्भ संख्या: 29673 /WMD/M.C.-57/सं.व.-2025 दिनांक: 30/6/2025

सेवा मे,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि सदर्भित ओ0ए0 मे अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनाक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण मे अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1 मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

2 इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

3 मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3 अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 433/सा0-257/25 दिनांक 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत बिठूर,
जनपद-कानपुर नगर।

2. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत शिवराजपुर,
जनपद-कानपुर नगर।

विषयः-मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various] this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places."....."

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच-29673/WMD/MA-57/सा-42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:-

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा-76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृपयाअ

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज- 3 कल्याणपुर कानपुर नगर 208017
ई-मेलः- rokanpur@uppcb.in फोन 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 42673 /WMD/M.C.-57/सं0व0/2025 दिनांक 21/07/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incidem of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हो कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1 मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

2 इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

3 मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नक:–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3 अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रार्थित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 433/सा०-267/25 दिनांक :- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत बिठूर,
जनपद–कानपुर नगर।

2. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत शिवराजपुर,
जनपद–कानपुर नगर।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation Municipal Council Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0प्र0उ0.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3 कल्याणपुर कानपुर नगर- 208017
ई–मेल:– rokanpur@uppcb.in फो0 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त् निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 2967/WMD/MC-57/2025 दिनांक: 24/6/2025

सेवा मे,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनाक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.–12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1 मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3 मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नक:–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एव 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण मे दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 430/रा0-257/25 दिनांकः- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण / महत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पंचायत, कमालगंज,
   जनपद–फर्रूखाबाद।
2. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पंचायत, शमशाबाद,
   जनपद–फर्रूखाबाद।
3. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पंचायत, मोहम्मदाबाद,
   जनपद–फर्रूखाबाद।
4. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पंचायत, कम्पिल,
   जनपद–फर्रूखाबाद।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या। एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0पृ0उ0.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्याणपुर, कानपुर नगर– 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नक –यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ई-मेल द्वारा

संदर्भ संख्या ...429/73.../WMD/MC-57/सं0व0/2025 दिनांक 21/8/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 मे एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ सकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 430/रा0-257/25 दिनांक:- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पंचायत, कमालगंज,
   जनपद–फर्रूखाबाद।
2. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पंचायत, शमशाबाद,
   जनपद–फर्रूखाबाद।
3. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पंचायत, मोहम्मदाबाद,
   जनपद–फर्रूखाबाद।
4. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पंचायत, कम्पिल,
   जनपद–फर्रूखाबाद।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places."....."

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0पृ0उ0...

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर कानपुर नगर-208017
ई–मेल.– rokanpur@uppcb.in फोन - 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त् निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

सलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 4296-73 /WMD/M.C.-57/सं0-4/2025 दिनांक 21/5/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 मे अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 435/सा०-257/25 दिनांक : 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, फर्रूखाबाद,
जनपद–फर्रूखाबाद।
पिनकोड–209625।

2. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कायमगंज,
जनपद–फर्रूखाबाद।
पिनकोड–209502।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृपयाउ0

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3 कल्याणपुर, कानपुर नगर 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 29673 /WMD/MC-57/सं0-4/2025 दिनांक 4/8/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एन0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनाक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:-

1 मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

3 मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण मे दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

सांदर्भ :- 435/सा0-257/25 दिनांक :- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, फर्रूखाबाद,
जनपद–फर्रूखाबाद।
पिनकोड–209625।

2. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कायमगंज,
जनपद–फर्रूखाबाद।
पिनकोड–209502।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000 - in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0प्र0उ0

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, राजभावना नगर, आवास विकास फेज 3 कल्याणपुर कानपुर नगर 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त् निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 29673 /WMD/M.C.-57/सं0व/2025 दिनांक 22/8/2025

सेवा मे,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 न0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हो कि संदर्भित ओ0ए0 मे अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनाक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1 मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनाक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

(सजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 432/सा0-257/25 दिनांक:- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बिल्हौर, जी0टी0 रोड,
जनपद-कानपुर नगर।
पिनकोड-209202।

2. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, घाटमपुर,
जनपद-कानपुर नगर।
पिनकोड-209206।

विषयः-मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 मे एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनाक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच-29673/WMD/MA-57/सा-42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:-

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा-76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0प्र0उ0.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज 3, कल्यानपुर, कानपुर नगर 208017
ई-मेलः- rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 29673 /WMD/MC-57/2025 दिनांक 26/6/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एव दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 स0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि सदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनाक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनाक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 430/सा0-257/25

दिनांक 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत, कमालगंज,
जनपद–फर्रूखाबाद।

2. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत, शमशाबाद,
जनपद–फर्रूखाबाद।

3. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत, मोहम्मदाबाद,
जनपद–फर्रूखाबाद।

4. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत, कम्पिल,
जनपद–फर्रूखाबाद।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0प्र0उ0

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, राजभावना नगर, आवास विकास कॉलोनी 3 कल्याणपुर कानपुर नगर 208017
ई–मेल:– rokanpur@uppcb.in दूर. 2510999

Jajmau_Letter Head_Himanshu

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ई-मेल द्वारा

संदर्भ संख्या: 29673 /WMD/MA-57/सं0-V/2025 दिनांक 27/6/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incidem of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 में अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टीसी– 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
3. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ संकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करे।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
कानपुर नगर

संदर्भ- 427/स्था०-14/25

दिनांकः 14-07-25

सेवा में,

नगर आयुक्त महोदय,
कानपुर नगर निगम,
कानपुर नगर।

विषयः—श्री उमेश चन्द्र पाल निवासी 146/ए–1, पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर द्वारा मैसर्स सन्दीप मसाला पिसाई केन्द्र, पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपय उपरोक्त विषयेके का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, उक्त पत्र के माध्यम से श्री उमेश चन्द्र पाल निवासी 146/ए–1, पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर द्वारा मैसर्स सन्दीप मसाला पिसाई केन्द्र, पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर के विरूद्ध शिकायत की गयी है। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में शिकायती स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2025 को निरीक्षण किया गया। उक्त शिकायती स्थल पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर में मैसर्स सन्दीप मसाला पिसाई केन्द्र के नाम से इकाई स्थापित/संचालित पायी गयी। उक्त इकाई में साबूत मसालों के पिसाई हेतु 03 नग मसाला पिसाई मशीन (छोटी) स्थापित पायी गयी। उक्त पिसाई मशीन का संचालन 03 एच0पी0 की मोटर से किया जाता है, जिस हेतु इकाई में 03 किलोवॉट का विद्युत संयोजन है। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में लगभग 08 किग्रा0/दिन मसालों की पिसाई की जाती है। इकाई प्रातः 09:30 बजे से 12:30 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक संचालित की जाती है। शिकायतकर्ता के भवन के सामने सन्दर्भित शिकायती स्थल स्थित है। शिकायतकर्ता के मकान एवं पिसाई केन्द्र के मध्य लगभग 35 फिट चौड़ी रोड है। उक्त शिकायती स्थल आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित है, जो कि कानपुर नगर निगम की सीमान्तर्गत आता है।

यह संज्ञानित हों कि मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के पत्रांक सीएस–89(1)/ 9–आ–3–2003/62 रिट/2003 दिनाँक 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रहीं व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगम/विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद को प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त शिकायती प्रकरण/स्थल आपके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर में अनुमन्य भू–उपयोग के विरूद्ध संचालित इकाई मै0 सन्दीप मसाला पिसाई केन्द्र के संचालन को निषेधित कराने हेतु यथोचित कार्यवाही कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अजीत कुमार सुभम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः—

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. श्री उमेश चन्द्र पाल निवासी 146/ए–1, पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208 017
ई–मेल : rokanpur@uppcb.in,फोन : 0512– 2510999

RO_AmitMishrasir_Sud

<u>श्री उमेश चन्द्र पाल निवासी 146/ए–1, पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर द्वारा मैसर्स सन्दीप मसाला पिसाई केन्द्र, पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।</u>

उपरोक्त शिकायती स्थल निरीक्षण आपके आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.07.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुदीप कुमार सिंह उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है:–

1. उक्त शिकायती स्थल पटेल नगर, हरजेन्द्र नगर, कानपुर नगर में मैसर्स सन्दीप मसाला पिसाई केन्द्र के नाम से इकाई स्थापित/संचालित पायी गयी।
2. उक्त इकाई में साबूत मसालों के पिसाई हेतु 03 नग मसाला पिसाई मशीन (छोटी) स्थापित पायी गयी। उक्त पिसाई मशीन का संचालन 03 एच0पी0 की मोटर से किया जाता है, जिस हेतु इकाई में 03 किलोवॉट का विद्युत संयोजन है।
3. इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में लगभग 08 किग्रा0/दिन मसालों की पिसाई की जाती है। इकाई प्रातः 09:30 बजे से 12:30 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक संचालित की जाती है।
4. शिकायतकर्ता के भवन के सामने सन्दर्भित शिकायती स्थल स्थित है। शिकायतकर्ता के मकान एवं पिसाई केन्द्र के मध्य लगभग 35 फिट चौड़ी रोड है। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता से उनकी वार्ता न होने के कारण शिकायत की गयी है।
5. उक्त शिकायती स्थल आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित है, जो कि कानपुर नगर निगम की सीमान्तर्गत आता है।
6. यह संज्ञानित हों कि मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश ने अपने शासनादेश संख्या–सी0एस0–89(1) /6–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रहीं व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगम/विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/छावनी परिषद को प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रभावी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को नियमानुसार निषेधित किये जाने हेतु कानपुर नगर निगम, कानपुर को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

15/7/25
(शुभ चौरसिया)
एफ0ए0

15/07/2025
(योगेन्द्र कुमार द्विवेदी)
वैज्ञानिक सहायक

<u>सहा0प्रर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय</u>

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 432/सा0-257/25 दिनांक :- 15/07/25

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद, बिल्हौर, जी0टी0 रोड,
   जनपद–कानपुर नगर।
   पिनकोड–209202।

2. अधिशाषी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद, घाटमपुर,
   जनपद–कानपुर नगर।
   पिनकोड–209206।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, punchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various f this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50.000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation Municipal Council Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.".....

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं 09.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–29673/WMD/MA-57/सा–42/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं:–

1. *मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।*
2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।*
3. *मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।*

कृ0प्र0उ0....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर नगर- 208017
ई–मेल.– rokanpur@uppcb.in फोन 2510999

(2)

अतः उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल–rokanpur@uppcb.in में अनिवार्य रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को नियत है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 2961/13 /WMD/MC-57/[illegible]2025 दिनांक: 21/07/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....*76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.*

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 मे अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनाक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है.

1 मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

2 इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

3 मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 07.07.2025 तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 को ceo6@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नकः–यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव.

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनु–7, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकरी, प्रशासन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाएँ सकलित कर बोर्ड की ओर से ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

Published in Amar Ujala News Paper on dated 13.07.2025

क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
पता- म.सं.- 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), रावर्ट्सगंज, सोनभद्र
e-mail:rosonbhadra@uppcb.in, website-https://uppcb.up.gov.in

संदर्भ संख्या:- G-0904 /O.A. No. 613/2022 /2025

दिनांक:-11.07.2025

अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 –613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/ dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas; panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs.10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/ Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.....".

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 –613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

280, एन0एच0–19, रनियां, कानपुर देहात–209304

सन्दर्भ सं0:– 377/रा0/N-33/2025 दिनांक:– 14/07/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिल साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिल साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 के अनुपालन के संबंध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

14/07/25
(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

सन्दर्भ स0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

14/07/25
प्र0 क्षेत्रीय अधिकारी

समाचार पत्र - प्रेस विज्ञप्ति, कार्य दि० दिनांक - 12/07/2025

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
280, एन.एच.-19, कानपुर देहात-209034

प्रेस नोट

महत्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात के अन्तर्गत अच्छादित समस्त स्थानीय निकाय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं0-613/2022 में एम.ए. संख्या-57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ट को किसी भी दशा में अनाधिकृत स्थान जैसे रोड साइड, नदियां, जलमार्ग आदृभूमि, झील, नाला पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर न फेंका जाये। यदि आप द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और आप द्वारा ठोस अपशिष्ट को अनाधिकृत स्थान पर फेंके जाने पर प्रथम बार रू0 5000/- एवं क्रमशः 10000/-, 25000/-, 50000/- आपके निकाय पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व आपके स्वयं का होगा।

मनोज कुमार चौरसिया
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
280, एन०ए०वी०-10, रनियाँ, कानपुर देहात-209304

संदर्भ सं० [illegible]/2025 दिनांक 11/07/2025

प्रेस विज्ञप्ति

महत्त्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात के अन्तर्गत अच्छादित समस्त स्थानीय निकाय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० संख्या-57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ट को किसी भी दशा में अनाधिकृत स्थान जैसे रोड साइड, नदियां, जलमार्ग आदभूमि, झील, नाला पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि पर न फेंका जाये। यदि आप द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और आप द्वारा ठोस अपशिष्ट को अनाधिकृत स्थान पर फेंके जाने पर प्रथम बार रू0 5000/- एवं क्रमशः 10000/-, 25000/-, 50000/- आपके निकाय पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व आपके स्वयं का होगा।

(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
280, एन0एच0–19, रनियाँ, कानपुर देहात–209304

संदर्भ संख्याः 384/सा0/N-33/2025 दिनांक. 14/07/2025

सेवा में,

सूची संलग्न स्थानीय निकाय जनपद–कानपुर देहात/कन्नौज/औरैया (कुल–28)
(समस्त नगर पालिका परिषद/समस्त नगर पंचायत)

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत् हैः–

"... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above."

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सडक किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोकनिर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर पूर्णतया प्रतिबंधित है।

.....2

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघन कर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एव उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है, तथा ओ0ए0 सं0–613/2022 मे पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुये है:–

1. मा0 आधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

अतएव् आपसे आपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये, तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के कम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

District- Kanpur Dehat	
Sl. No.	**Nagar Palika/ Nagar Panchayat**
1	Nagar Palika Parishad Pukhrayan
2	Nagar Palika Parishad Jhinjhak
3	Nagar Panchayat Rania
4	Nagar Panchayat Rura
5	Nagar Panchayat Akbarpur
6	Nagar Panchayat Moosanagar
7	Nagar Panchayat Derapur
8	Nagar Panchayat Kanchausi
9	Nagar Panchayat Sikandra
10	Nagar Panchayat Rasoolabad
11	Nagar Panchayat Amraudha
12	Nagar Panchayat Shivli
13	Nagar Panchayat Rajpur
District- Kannauj	
1	Nagar Palika Parishad Kannauj
2	Nagar Palika Parishad Gurshayganj
3	Nagar Palika Parishad Chhibramau
4	Nagar Panchayat Samdhan
5	Nagar Panchayat Saurikh
6	Nagar Panchayat Sikandarpur
7	Nagar Panchayat Talgram
8	Nagar Panchayat Tirwaganj
District- Auraiya	
1	Nagar Palika Parishad Auraiya
2	Nagar Panchayat Dibiyapur
3	Nagar Panchayat Achalda
4	Nagar Panchayat Bidhuna
5	Nagar Panchayat Ajitmal
6	Nagar Panchayat Phaphund
7	Nagar Panchayat Atsu

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
200, ए-1001A-19, बेनेगा, कानपुर देहात 209304

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक: 1557/रा0/ए-65/2024 दिनांक: 25/10/2024

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
औरैया, बिधियापुर, बिधूना, फफूंद, अदरा, अछल्दा,
बागपुर अजीतमल, जनपद–औरैया।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप भूमि व्यवस्था आयुक्त कृते आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग–11, लखनऊ के पत्रांक–जी–650/11–155ए(रा03आ0)/2021, दिनांक 15.10.2024, जो कि समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा सम्पूर्ण उ0प्र0 राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियाँ, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डम्प करने पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण मे मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 तथा सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उक्त निर्देश का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करने तथा सभी संबंधितों द्वारा उचित अनुपालन के लिये होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से भी इसका प्रचार करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त संबंधित नगर निगम/नगर पालिका समिति/नगर पंचायत द्वारा भी उचित स्थानों पर होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से इसका समुचित प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त निर्देशानुसार रिपोर्ट चार माह के भीतर मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त आदेश की प्रति संलग्नकर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन में कृत कार्यवाही करते हुये, कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय की ई–मेल (rokanpurdehat@upppcb.in) एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-ms@uppcb.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 में सासमय रिपोर्ट दाखिल की जा सके।

भवदीय

25/10/24
(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः–यथोपरि।

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), औरैया को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मुख्य–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
[illegible]

पत्रांक: 1756/इका/ऊ.प्र.प्र.नि.बो./2024 दिनांक 25/10/2024

सेवा में

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, रनिया, अकबरपुर, अमरौधा, रूरा, झींझक, देवपुर, रसूलाबाद, शिवली, सिकन्दरा, मूसानगर, राजपुर, कलींदी एवं पुखरायाँ, जनपद–कानपुर देहात।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप भूमि व्यवस्था आयुक्त तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग–11, लखनऊ के पत्रांक–जी–650/11–1565(सा0आ0)/2021, दिनांक 15.10.2024, जो कि समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा सम्पूर्ण उ0प्र0 राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डम्प करने पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 तथा सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उक्त निर्देश का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करने तथा सभी संबंधितों द्वारा उचित अनुपालन के लिये होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से भी इसका प्रचार करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा भी उचित स्थानों पर होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से इसका समुचित प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त निर्देशानुसार रिपोर्ट चार माह के भीतर मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त आदेश की प्रति संलग्नकर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन में कृत कार्यवाही करते हुये, कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय की ई–मेल (rokanpurdehat@upppcb.in) एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-ms@uppcb.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 में समय रिपोर्ट दाखिल की जा सके।

भवदीय

25/10/24

(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः–यथोपरि।

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

[illegible] 14.6.18.docx

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
200, एन0ए0-19, सेक्टर, कानपुर देहात-209304

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक: 1558/क्षे0/S-68/2024 दिनांक: 25/10/2024

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
कन्नौज, सगधन, छिबरामऊ, सौरिख, सिकन्दरपुर, तालग्राम, गुरसहायगंज,
तिर्वागंज, जनपद-कन्नौज।

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप भूमि व्यवस्था आयुक्त कृते आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-11, लखनऊ के पत्रांक-जी-650/11-155ए(रा0आ0)/2021, दिनांक 15.10.2024, जो कि समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या-613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा सम्पूर्ण उ0प्र0 राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियाँ, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूति पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डमप करने पूर्णतः प्रतिबन्ध के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 तथा सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उक्त निर्देश का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करने तथा सभी संबंधितों द्वारा उचित अनुपालन के लिये होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से भी इसका प्रचार करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त संबंधित नगर निगम/नगर पालिका समिति/नगर पंचायत द्वारा भी उचित स्थानों पर होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से इसका समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त निर्देशानुसार रिपोर्ट चार माह के भीतर मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त आदेश की प्रति संलग्नकर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-613/2022 "Mr. Ram Milan Sahani Vs State of U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन में कृत कार्यवाही करते हुये, कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय की ई-मेल (rokanpurdehat@upppcb.in) एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-ms@uppcb.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 में समयबद्ध रिपोर्ट दाखिल की जा सके।

भवदीय

संलग्नकः-यथोपरि।

25/10/2024
(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-
1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कन्नौज को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

16/7/25

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

सन्दर्भ संख्याः–
Ref. No 670/रि0 मा0चि0ब0-248/2025

दिनांक
Dated : 16/07/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक 30/06/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राश्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में आख्या/विवरण निम्नवत् हैः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुपालन में प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के संस्करण दिनांक 16/07/2025 में प्रकाशित कराया गया। समाचार पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–1)**।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुपालन में अनुपालनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अन्तर्गत आच्छादित जनपद लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी में स्थित समस्त स्थानीय निकायों को पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–2)**।

उपरोक्त सूचना/अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(जे0पी0 मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ0–5, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला प्रकाशन दिनांक-16/07/25 amarujala.com

निविदा सूचना सं. RN-ST-08-2025-26 दिनांक 23-06-2025 के विरुद्ध शुद्धि पत्र

कार्य का नाम:-रायबरेली मंडल के स्थायित्व मेक रेल्वे के विद्यमानीकरण सूचार के लिए विभिन्न विभागीय कार्य।

अद्यतन संशोधित सूची तिथि और समय:

क्र. सं.	पोस्ट का नाम	मौजूदा बेंच्यू	संशोधित बेंच्यू
1	निविदा प्रकाशन तिथि एवं समय	21/07/2025 16:00	07/08/2025 15:00

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। मंडल रेलवे प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल), रायबरेली

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी राही, रायबरेली।

पत्रांक-1184/क्षेत्र पंचायत/निविदा-निर्माण कार्य /2025-26 दिनांक- 15/07/2025

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या 989/खं0वि0अ0/ क्षेत्र0/निविदा/ 2025-26 दिनांक 23.06.2025 द्वारा क्षेत्र पंचायत राही में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आमंत्रित की गयी निविदा को एतद्द्वारा अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

(गौरी सरौर)
खण्ड विकास अधिकारी
राही-रायबरेली।

उत्तर रेलवे

ई–ऑक्शन सूचना

दरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई- ऑक्शन से सम्बन्धित सूचना।

एडमिन यूनिट / जोन	लखनऊ–उ.रे.–मण्डल–वाणिज्य / उ.रे.
नीलामी सूची सं. / लॉट सं.	ADVT-LKO-PRG-OSD-539-24-1 (Advertising- On Station Premise (Digital))
[illegible]	09.07.2025
[illegible] (समस्त लॉट)	24.07.2025 समय 10:00 बजे
[illegible] व समय	24.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं. / लॉट सं.	ADVT-LKO-LKO-OH-888-25-1 (Advertising- Out of Home)
[illegible]	02.07.2025
[illegible] (समस्त लॉट)	19.07.2025 समय 10:00 बजे
[illegible] व समय	19.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं. / लॉट सं.	MSS-LKO-PYGS-SCA-160-25-1 (Misc Static Services-Battery operated carts with Advertisement)
[illegible]	07.07.2025
[illegible] (समस्त लॉट)	24.07.2025 समय 10:00 बजे
[illegible] व समय	24.07.2025 समय 10:30 बजे
[illegible]	Close Ended
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है	E-Auction Module of www.ireps.gov.in

2129/25

उत्तर रेलवे

ई ऑक्शन सूचना

दरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक / पी0एच0, उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई ऑक्शन से सम्बंधित सूचना।

एडमिन यूनिट / जोन	लखनऊ–उ0रे0–मण्डल– वाणिज्य / उ0रे0
नीलामी सूची सं0 / लॉट सं0	PARKING-LKO-LKO-MIX-156-25-3 (Parking Mixed)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	14.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	30.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	30.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं0 / लॉट सं0	PARKING-LKO-LKO-PR-82-25-2 (Parking Premium)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	14.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	30.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	30.07.2025 समय 10:40 बजे
नीलामी का प्रकार	Close Ended
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है	E- Auction Module of www.ireps.gov.in

No: C/113-E-Auction Policy/2024/SKS Dt. 15.07.2025 2146/2025

उत्तर रेलवे

ई ऑक्शन सूचना

दरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई ऑक्शन आमंत्रित किया जाता है।

एडमिन यूनिट / जोन	Lucknow-NR-Division-Commercial/Northern Railway
नीलामी सूची सं0 /	AUCTION-MPS-888
कार्य का विवरण	Allotment of Multi-Purpose Stall at PF-1 of Varanasi Station of Lucknow Division for a period of five (05) years
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	14.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	31.07.2025 at 10:00 hrs
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	31.07.2025 at 10:30 hrs
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है	E-Auction Module of www.ireps.gov.in

2141/2025

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सन्दर्भ सं0 - 663/ रिट याचिका- 248/2025 दिनांक- 15-07-2025

महत्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के अन्तर्गत आच्छादित जनपद लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी के समस्त नागरिकों एवं समस्त स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-613/2022 में एम0ए0 संख्या-57/2025 (राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में अनधिकृत स्थानों पर ठोस कचरा फेंकना / डम्प करना पूर्णतः प्रतिषेधित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था सामान्य कचरा (Non-Bulk Waste) या थोक कचरा (Bulk Waste) को अनधिकृत स्थानों जैसे कि सड़क के किनारे, नदियां, जलमार्ग, आर्द्रभूमि, झीलें, नाले, पंचायत भूमि, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि आदि स्थानों पर फेंकते हुए पायी जाती है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति पर प्रथम बार रू0 5000/- एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में रू0 10,000/- तथा थोक कचरा उत्पादक, अनुबंधकर्ता, नगर निकाय (ULB) या कोई अन्य उत्तरदायी संस्था पर प्रथम बार रू0 25,000/- एवं पुनरावृत्ति पर रू0 50,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

अतः सभी सम्बन्धित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 26/07/2024 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

(जे0पी0 मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

पत्रांक:- एस0एस0ए0/के0जी0बी0वी0स्टाफचयन/ 4083-88/2025-26 दिनांक- 15.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या: 1553 / 68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 11.12.2020 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक- के0जी0 बी0 वी0 / 11308/2022-23 दिनांक 14.02.2023, पत्रांक: के0जी0बी0वी0 / 1121 / 2023-24 दिनांक 25.04.2023 एवं पत्रांक के0जी0 बी0वी0 / 1790 / 2023-24 दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अनुमति उपरान्त जनपद मुरादाबाद में संचालित 09 [illegible] बालिका विद्यालयों में अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मियों के चयन हेतु इच्छुक, अर्ह, योग्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद में निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि दिनांक 02.08.2025 की सायं 05:00 बजे होगी। निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों स्वीकार नहीं होंगे। एक से अधिक पदों के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित किया जाये। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

[illegible] श्रेणी

नीलामी सूची सं०/	AUCTION-MPS-BSB
कार्य का विवरण	Allotment of Multi-Purpose Stall at PF-1 of Varanasi Station of Lucknow Division for a period of five (05) years
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	14.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	31.07.2025 at 10:00 hrs
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	31.07.2025 at 10:30 hrs
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है	E-Auction Module of www.irepe.gov.in

21412025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0

जी-4/5बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

पत्रांक: 94/ई.टेन्डर/टी-नोटIX) दिनांक: 15.07.2025

ई-निविदा सूचना

[illegible] निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा निम्नलिखित [illegible] कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा आमन्त्रित की जाती है। [illegible] वेबसाइट http://[illegible] से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा से सम्बन्धित सूचना निर्धारित वेबसाइट www.uprnss.org पर भी देखी जा सकती है।

क्र० सं०	निविदा सूचना संख्या	जनपद का नाम	निविदा अपलोड करने की तिथि	कार्य का नाम	निविदा की लागत (लाख में)
1	216/UPRNSS/S.E./E-TENDER/25-26 Date: 14.07.2025	बलरामपुर	16.07.2025	[illegible] कुशलक्षेत्र में Mushroom production & Horticultural produce and Bee Keeping upgradation work	44.29
2	217/UPRNSS/S.E./E-TENDER/25-26 Date: 14.07.2025	बलरामपुर	16.07.2025	[illegible] कुशलक्षेत्र में Repair/Renovation of Hostel and Lab.	53.29
3	397/UPRNSS/EXEN./E-TENDER/25-26 Date: 14.07.2025	अयोध्या	16.07.2025	[illegible] कुशलक्षेत्र में Construction of Godown and Fencing [illegible] pump	19.85
4	243/E-TENDER/UPRNSS/2025-26 Date: 15.07.2025	बहराइच	17.07.2025	MODERN WORKSHOP & TRAINING ROOM OPTION-B ((G+2) PORADATION PHASE-2 GOVT. I.T.I. CAMPUS NANPARA-104, DISTT-BAHRAICH (U.P.)	256.97

मुख्य अभियन्ता

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

Uttar Pradesh Pollution Control Board Lucknow

पत्रांक: 883/रिट याचिका-248/2025 दिनांक: 15.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

महत्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के अन्तर्गत आच्छादित जनपद लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी के समस्त नागरिकों एवं समस्त स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-613/2022 में एम0ए0 संख्या-67/2025 (राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों पर ठोस कचरा फेंकना/उसे जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था सामान्य कचरा (Non-Bulk Waste) या थोक कचरा (Bulk Waste) को अनाधिकृत स्थानों जैसे कि सड़क के किनारे, नदियां, जलमार्ग, आर्द्रभूमि, झीलें, नालें, पंचायत भूमि, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि आदि स्थानों पर फेंकते हुए पायी जाती है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति पर प्रथम बार रू0 5000/- एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में रू0 10,000/- तथा थोक कचरा उत्पादक, अनुबंधकर्ता, नगर निकाय (ULB) या कोई अन्य उत्तरदायी संस्था पर प्रथम बार रू0 25,000/- एवं पुनरावृत्ति पर रू0 50,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

अतः सभी सम्बन्धित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 26/07/2024 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

(जे0पी0 मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सा. मंडल इजतनगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित कार्य के लिए खुली प्रार्थनाएं की जाती है:-

1.	ई-निविदा सूचना सं.	1187-वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता-उत्तर रेलवे-लखनऊ दिनांक 14.07.2025
2.	कार्य का नाम	लखनऊ में अवसंरचना सहित ओवरा ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की सेंटर की स्थापना के संबंध में विद्युत [illegible]।
3.	अनुमानित लागत	रु 17,48,356.89/- (सत्रह लाख अड़तालीस हजार तीन रुपये एवं नवासी पैसा)।
4.	ई-निविदा की कीमत	शून्य
5.	बयाना राशि	रु 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये मात्र)
6.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	04 माह
7.	ई-निविदा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि व समय तथा खोलने की तिथि	दिनांक 06.08.2025 को 1500 बजे तक तथा उसी दिन 1500 बजे के बाद वरिष्ठ मंडल अभियंता/सा. उत्तर रेलवे इजतनगर, लखनऊ के [illegible]
8.	प्रस्ताव की वैधता	ई-निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन।
9.	उत्तर रेलवे की वेबसाइट	[illegible] सूचना उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ireps [illegible] देखी जा सकती है।

सूचना सं: 1187-वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता-उत्तर रेलवे-लखनऊ दिनांक: 14.07.2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

ई-ऑक्शन सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर रेलवे [illegible] के द्वारा निम्नलिखित ई-ऑक्शन से सम्बन्धित सूचना।

एडमिन यूनिट/जोन	[illegible] मण्डल-वाणिज्य/उ.रे.
नीलामी सूची सं./लॉट सं.	ADVT-LKO-PRG-OSD-839-24-1 (Advt. Station Premise (Digital)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	09.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	24.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	24.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं./लॉट सं.	ADVT-LKO-LKO-OH-866-25-1 (Advt. of Home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	02.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	19.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	19.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं./लॉट सं.	MBS-LKO-PYGS-BCA-166-25-1 (Battery Service-Battery operated carts with Ad
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	07.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	24.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	24.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी का प्रकार	Close Ended
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है।	E-Auction Module of www.irepe.gov.in

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

ई ऑक्शन सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक/[illegible], उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा [illegible] कार्य हेतु ई ऑक्शन से सम्बन्धित सूचना:

एडमिन यूनिट/जोन	लखनऊ-उ0रे0-मण्डल- वाणि
नीलामी सूची सं०/ लॉट सं०	PARKING-LKO-LKO-MX (Parking Mixed)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	14.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	30.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	30.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं०/ लॉट सं०	PARKING-LKO-LKO-PR (Parking Premium)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	14.07.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	30.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	30.07.2025 समय 10:40 बजे
नीलामी का प्रकार	Close Ended
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है	E-Auction M www.irepe

No: C/113-E-Auction Policy/2024/3KC DL 15.07.2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के सा

दैनिक जागरण 470 प्रकाशन दिनांक - 16/07/25

पास

स

र्मीटर के 50
। में लगेंगे
द्धित संपत्तियों
ी बिक्री

। दें

पेयर वितरक
मेल सकती
मि अर्जन
न को
ुल्क देकर
गयी।
कार्यालय में
क्षण
। अधिकार
ायन न्यूज
व उनकी टीम
ाने का
ए रजिस्ट्री व
र्यता ने
र्क सुनने के
संघ में
लए आवेदन

पंच मंजिला
3 पार्कमीटर में
ोपोज्स को ई-
ाएगा। इसमें
त 87 करोड़
स्त की कीमत
। है। इन दोनों
ई-आक्शन में

नगर की महत्वपूर्ण खबरें
www.jagran.com पर पढ़ें

पूर्वोत्तर रेलवे

शुद्धि पत्र संख्या–3

ई–निविदा संख्या : उप मुई०–नि०–1–सीकेपी–पी एम एस– 3–2025 खुलने की तिथि : 30.07.2025, कार्य का नाम – पूर्वोत्तर रेलवे के आनंद नगर – भुपुली नई दिल्ली रेलवे लाइन परियोजना के संबंध में भुपुली (छोड़कर) और महराजगंज (सहित) खंड (लंबाई: 24.500 किमी) की नई सिंगल ब्रॉड गेज लाइन के सिविल इंजीनियरिंग कार्यों, विद्युतीकरण कार्यों और सिग्नलिंग कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर की विशेषज्ञ के लिए प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी)" के सम्बन्ध में दर्शाईत उपरोक्त निविदा हेतु शुद्धि पत्र संख्या 2 जारी कर दिया गया है। इससे सम्बंधित विवरण के लिए दृश्य वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं।

उप मुख्य इंजीनियर/ निर्माण–1/ गुजाबि/डब्लू – 181 गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे

आवश्यक सूचना

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल पर बहराइच–नानपारा–ने पालगंज रोड आमान परिवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बहराइच–नानपारा खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है। रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल 16 एवं 17 जुलाई, 2025 को इस नव आमान परिवर्तित खंड का निरीक्षण करेंगे तथा स्पीड ट्रायल किया जायेगा।

आमजन से अपील है कि निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल के दौरान इस नव आमान परिवर्तित रेल लाइन पर न तो स्वयं जायें और न ही पशुओं को जाने दें।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि., मुपुली/डब्लू 162 गोरखपुर

चेतावनी की धारा 4 उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही की जाएगी

लखनऊ नगर निगम

3, विलोकनाथ मार्ग, लालबाग, लखनऊ, ई-मेल- mnlko@up.nic.in

ई-निविदा सूचना सं0: 03/कुप्र0/20-26 दिनांक 14.07.2025

ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदा सूचना (अति अल्पकालिक)

ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम द्वारा दिनांक 22.07.2025 को 03 कार्य हेतु ई-निविदायें, ई-निविदा पोर्टल https://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है, पोर्टल https://etender.up.nic.in पर निविदा के साथ जमानत धनराशि एवं निविदा प्रपत्र की धनराशि आरटीजीएस/एनईएफटी/इण्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल https://induscollect.indusind.com/pay/index.php पैर लॉगिन करके जमा किया जायेगा। ई-निविदा दिनांक 22.07.2025 को अपराह्न 15:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल पर डाली जायेगी, जिन्हें दिनांक 22.07.2025 को 16:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी ई-निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार समक्ष अधिकारी में निहित होगा। अन्य समस्त नियम/शर्तें यथा कार्य का नाम, आगणन धनराशि, निविदा प्रपत्र की धनराशि एवं जमानत धनराशि तथा निविदा प्रपत्र पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

मुख्य अभियन्ता

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

संदर्भ सं0 693/रिट याचिका–248/2025 दिनांक 15.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

महत्वपूर्ण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के अन्तर्गत आच्छादित जनपद लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी के समस्त नागरिकों एवं समस्त स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या – 613/2022 में एम0ए0 संख्या – 57/2025 (राम मिलन बाजपेयी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23/07/2024 के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों पर ठोस कचरा फेंकना/डम्प करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था सामान्य कचरा (Non-Bulk Waste) या थोक कचरा (Bulk Waste) को अनाधिकृत स्थानों जैसे कि सड़क के किनारे, नदियां जलमार्ग अर्द्धभूमि झीलें, नालें, पंचायत भूमि, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि आदि स्थानों पर फेंकते पाए जाते हैं, तो ऐसे दोषी व्यक्ति पर प्रथम बार रू0 5000/- एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में रू0 10,000/- तथा थोक कचरा उत्पादक अनुबन्धकर्ता, नगर निकाय (ULB) या कोई अन्य उत्तरदायी संस्था पर प्रथम बार रू0 25,000/- एवं पुनरावृत्ति पर रू0 50,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतः सभी सम्बन्धित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 23/07/2024 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों का कठोरता अनुपालन सुनिश्चित करें।

R-663 Date 15-7-2025

(जे0पी0 मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0

छठवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ,

संख्या–एमई0–3/2025/1525 लखनऊ, दिनांक 15 जुलाई, 2025

यू0पी0 नीट एम0डी0एस0 2025 के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की ऑनलाईन कांउसिलिंग की समय-सारिणी

मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी (एम0सी0सी0) नई दिल्ली द्वारा नीट एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की काउन्सिलिंग हेतु निर्गत समय सारिणी के क्रम में प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों/विश्वविद्यालयों में संचालित एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की ऑन–लाइन काउन्सिलिंग की समय–सारिणी निम्नवत है :–

क्र.सं.	विवरण	तिथि	कुल दिवस
1	ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि	दिनांक 17 जुलाई 2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक 21 जुलाई 2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) तक	04 दिवस
2	पंजीकरण धनराशि एवं अफेडेविट अपलोड करने की तिथि	दिनांक 17 जुलाई 2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक 21 जुलाई 2025 (अपराह्न 2:00 बजे) तक	05 दिवस
3	मेरिट सूची घोषित करने की तिथि	दिनांक 21 जुलाई 2025	01 दिवस
4	ऑप्शन च्वाइस फिलिंग की तिथि	दिनांक 21 जुलाई 2025 (अपराह्न 6:00 बजे) से दिनांक 24 जुलाई 2025 (अपराह्न 5:00 बजे) तक	03 दिवस
5	सीट एलॉटमेन्ट का परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक 25 जुलाई 2025	01 दिवस
6	एडमिशन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि	दिनांक 26 जुलाई 2025 तथा 29 जुलाई 2025 से दिनांक 02 अगस्त 2025	07 दिवस
7	एकेडमिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक 25 जुलाई 2025	

• नीट एम0डी0एस0–2025, काउन्सिलिंग संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए विस्तृत वेबसाइट www.dgmme.up.gov.in पर नियमित अवलोकन करते रहें।

Help Line Number : 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700

ालविद्यालय, रामपुर, बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272124

विज्ञप्ति

, सोसाइटी बस्ती के विभिन्न विशिष्टताओं के आचार्य, सह
ये भरे जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्या–मेडिकल बस्ती/
भागों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों पर
रने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 07 जुलाई 2025 थी परन्तु
दिनांक 30 जून 2025 के द्वारा चिकित्सा शिक्षकों हेतु TEQ
ड लाइन निर्गत होने तथा निर्धारित तिथि तक कम आवेदन
025–26/ 2399 दिनांक 12 जुलाई 2025 से द्वारा विभिन्न
ये रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु पुनः विज्ञापन
त 2025 है। इन पदों की विस्तृत जानकारी महर्षि वशिष्ठ
ट www.asmcbasti.edu.in पर प्रदर्शित है। पूर्व में
गया है, उनको आवेदन पत्रों को पुनः प्रकाशित विज्ञप्ति में

प्रधानाचार्य

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 668/रिटयाचिका-248/2025

दिनांक : 16/07/2025

सेवा में,

समस्त स्थानीय निकाय (सूची संलग्न नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत),
जनपद–लखनऊ/बाराबंकी/सीतापुर/लखीमपुर खीरी।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक 30/06/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.
77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.
78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above....."

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में अनधिकृत स्थानों पर ठोस कचरा फेंकना/डम्प करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है तथा यदि कोई व्यक्ति या संस्था ठोस कचरा (साधारण कचरा–Non-Bulk Waste व थोक कचरा–Bulk Waste) अनाधिकृत स्थान यथा रोड साइड, नदियां, जलमार्ग आर्द्रभूमि, झील, नाला, पंचायत, राजस्व भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि आदि स्थानों पर फेंकते हुए पाए जाते हैं, तो दोषी व्यक्ति के ऊपर प्रथम बार रू0 5000/– एवं पुनरावृत्ति करने पर रू0 10,000/– तथा थोक कचरा उत्पादक, अनुबंधकर्ता, नगर निकाय (ULB) या कोई भी जिम्मेदार संस्था पर प्रथम बार रू0 25,000/– एवं पुनरावृत्ति करने पर रू0 50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

क्रमशः–2.....

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि अपने क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशो के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(जे0पी0 मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ/बाराबंकी/सीतापुर/लखीमपुर खीरी।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE, UPPCB, LUCKNOW

SL NO.	NAME OF NAGAR NIGAM/ NAGARA PANCHAYAT/ NAGAR PALIKA PARISHAD	DISTRICT
1	Nagar Panchayat, Banki	Barabanki
2	Nagar Panchayat, Dewa	Barabanki
3	Nagar Palika Parishad,	Lakhimpur Kheri
4	Nagar Palika Parishad, Gola Gokarnnath	Lakhimpur Kheri
5	Nagar Palika Parishad, Mohammadi	Lakhimpur Kheri
6	Nagar Palika Parishad, Paliya Kalan	Lakhimpur Kheri
7	Nagar Panchayat, Kheri	Lakhimpur Kheri
8	Nagar Panchayat, Mailani	Lakhimpur Kheri
9	Nagar Panchayat, Barwar	Lakhimpur Kheri
10	Nagar Panchayat, Singahi Bhiraura	Lakhimpur Kheri
11	Nagar Panchayat, Oel Dhakwa	Lakhimpur Kheri
12	Nagar Palika Parishad, Biswan	Sitapur
13	Nagar Panchayat Dhaurahra	Lakhimpur Kheri
14	Nagar Palika Parishad, Khairabad	Sitapur
15	Nagar Nigam Lucknow	Lucknow
16	Cantonment Board Lucknow	Lucknow
17	Nagar Panchayat Malihabad	Lucknow
18	Nagar Panchayat, Kakori	Lucknow
19	Nagar Panchayat, Amethi	Lucknow
20	Nagar Panchayat, Nagram	Lucknow
21	Nagar Panchayat, Gosaiganj	Lucknow
22	Nagar Panchayat, Mahona	Lucknow
23	Nagar Panchayat, Itaunja	Lucknow
24	Nagar Palika Parishad, Nawabganj	Barabanki
25	Nagar Panchayat, Belahra	Barabanki
26	Nagar Panchayat, Zaidpur	Barabanki
27	Nagar Panchayat, Fatehpur	Barabanki
28	Nagar Panchayat, Ram Nagar	Barabanki
29	Nagar Panchayat, Satrikh	Barabanki
30	Nagar Panchayat, Dariyabad	Barabanki
31	Nagar Panchayat, Siddhaur	Barabanki
32	Nagar Panchayat, Haidergarh	Barabanki
33	Nagar Panchayat, Tikait Nagar	Barabanki
34	Nagar Panchayat, Subeha	Barabanki
35	Nagar Palika Parishad, Sitapur	Sitapur
36	Nagar Palika Parishad, Laharpur	Sitapur
37	Nagar Palika Parishad, Mahmudabad	Sitapur
38	Nagar Palika Parishad, Misrikh Neemar	Sitapur
39	Nagar Panchayat, Maholi	Sitapur
40	Nagar Panchayat, Hargaon	Sitapur
41	Nagar Panchayat, Tambaur Ahmadabad	Sitapur
42	Nagar Panchayat, Paintepur	Sitapur
43	Nagar Panchayat, Sidhauli	Sitapur

वेब साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 451/S-30/2025 दिनांक 15/7/2025

सेवा में,

1. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद कोसी,
   मथुरा।
2. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पंचायत–गोवर्धन/छाता/बरसाना/चौमुहाँ/बाजना/गोकुल/बल्देव/महावन/
   फरह/नन्दगांव/सौंख/राया/राधाकुण्ड, जनपद–मथुरा।

विषयः <u>मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक सं0–एच 29673/WMD/M.F.-57/सा–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

"76.Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places."

उपरोक्त पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को उचित स्थलों पर होर्डिंग्स/बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किये जाने हेतु तत्सम्बन्धित को निर्देशित एवं अनुपालन कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4/6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

वेब साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 450/S-30/2025 दिनांकः 15/7/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0एम0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में अनाधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों पंचायत एवं राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डम्प करने पर उपरोक्त आदेश की तारीख 26.07.2024 से पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक–443/एस–30/2025 दिनांक 11.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रचार–प्रसार हेतु इस कार्यालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 15.07.2025 को सन्दर्भित प्रकाशन भी कराया गया है। प्रकाशन की छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

दिनांक– 14.07.2025

पत्रांकः 449/S-30/2025

प्रेस विज्ञप्ति

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या–613 / 2022 में एम0एम0 संख्या – 57 / 2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में अनाधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों पंचायत एवं राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने / डम्प करने पर उपरोक्त आदेश की तारीख 26.07.2024 से पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। ऐसी प्रत्येक घटना के लिए उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0–5,000/– तथा अग्रेतर उल्लंघन पर रू0 – 10,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि किसी बल्क वेस्ट जनरेटर, रियायतग्राही, अर्बन लोकल बाड़ी या इसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा उक्त स्थलों पर बल्क वेस्ट फेंका / डमप किया जाता है, तो उल्लंघनकर्ता को प्रथम उल्लंघन पर रू0 – 25,000/– तथा अग्रेतर उल्लंघन करने पर रू0–50,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी । पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सम्बन्धित निगर निगम/नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किया जायेगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न करने की स्थिति में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति बसूला जायेगा ।

अतः जन सामान्य/बल्क वेस्ट जनरेटर से अपील की जाती है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के अनुपालन में सॉलिड वेस्ट/बल्क वेस्ट को सड़कों, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों पंचायत एवं राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर निस्तारण न किया जाये । अन्यथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी ।

क्षेत्रीय अधिकारी

वेब साइट: www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 443/S-30/2025 दिनांक 11/07/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक सं0–एच 29673/WMD/M.F.-57/सा–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–424/एस–30/2025 दिनांक–02.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा को सूचित कर दिया गया है। सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

वेब साइट: www.uppcb.com
ई–मेल : romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 424/S-30/2025

दिनांक 02/07/2025

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा वृन्दावन,
मथुरा।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2026 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक सं0–एच 29673/WMD/M.P.-57/सा–42/ 2025 दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

"76.Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places."

उपरोक्त पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि नगर निगम/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को उचित स्थलों पर होर्डिंग्स/बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किये जाने हेतु तत्सम्बन्धित को निर्देशित एवं अनुपालन कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4/6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ई-मेल द्वारा

संदर्भ संख्या: 29673 /WMD/MC-57/सं०व०/2025 दिनांक 31/7/2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अवगत हों कि संदर्भित ओ0ए0 मे अगली तिथि 30.07.2025 नियत है तथा दिनांक 09.07.2025 तक मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ : 226010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C. -12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 987/Gl/M.G.UOIMRT/2025 दिनांक– 11-7-25

सेवा में,

पर्यावरण अभियंता/प्रभारी (वृत्त–6),
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–613/2022 में एम0ए0नं0–57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26/07/2024 एवं दिनांक–09/05/2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच30080/सी–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–6113/2022/2025 दिनांक–10/07/2025 एवं पत्रांक–एच29673/डब्लूएमडी/एमए–57/सा–42/2025 दिनांक–30/06/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–923/जी/एमएसडब्लू/एमआरटी/बीपीटी/2025 दिनांक–01/07/2025 द्वारा जनपद मेरठ एवं बागपत में आच्छादित नगर निगम, मेरठ एवं समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को अनुपालनार्थ निर्देशित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

अग्रेतर मा0एनजीटी के पारित आदेशानुसार जनपद मेरठ एवं बागपत के समस्त जनमानस हेतु दिनांक–11/07/2025 को 04 दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर) विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है। प्रकाशित विज्ञप्ति की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्नकर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

BPYadav

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. पर्यावरण अभियंता/प्रभारी(डब्लू0एम0डी0), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
2. विधि अधिकारी, प्रथम (प्रभारी), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

BPYadav

क्षेत्रीय अधिकारी

w/c

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम, फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 923/CTM-S,W/MRT/BPT/2025 दिनांक– 1-7-25

माoएनजीटी प्रकरण

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, मेरठ।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, बागपत।

विषय– माoएनजीटी, नई दिल्ली में योजित ओoएo संख्या–613/2022 में एमoएo संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यूoपीo व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26/07/2024 एवं दिनांक–09/05/2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के संलग्न पत्रांक–एच29673/WMD/MA-57/साo–47/2025 दिनांक–30/06/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माoएनजीटी, नई दिल्ली में योजित ओoएo संख्या–613/2022 में एमoएo संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यूoपीo व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26/07/2024 एवं दिनांक–09/05/2024 के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं–

.....

"...76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of **Rs. 5,000/-** *in case of first instance and* **Rs. 10,000/-** *in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and* **Rs. 25,000/-** *in case of first instance and* **Rs. 50,000/-** *in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.*

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed ***to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance*** *by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."*

P.T.O.

अतः निकाय स्तर से मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश का बिन्दुवार निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम मा0एनजीटी द्वारा पारित आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि सूचना संकलित कर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया जाना संभव हो सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

BPYadav

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3/6)उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

BPYadav

क्षेत्रीय अधिकारी

हिन्दुस्तान - 11-7-25

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट–TC-3/2, पल्लवपुरम फेज– II, मोदीपुरम, मेरठ–250110
Phone:- 0121-2577676 Email id:- romeerut@uppcb.in

अपील/सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–26/07/2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of **Rs-5,000/-** in case of first instance and **Rs- 10,000/-** in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs-**25,000/-** in case of first instance and **Rs-50,000/-** in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same- The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators....."

अतः जनपद मेरठ एवं बागपत के समस्त जनमानस से मा0 एनजीटी द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक–26/07/2024 में पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने की अपील की जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

पेपर कटिंग दिनांक - 11-7-25

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110
Phone :-0121-2577676
Email id:-romeerut@uppcb.in

पत्रांक– 985/G/विज्ञापन/MRT/2025 दिनांक: 10.07.2025

अपील/सूचना

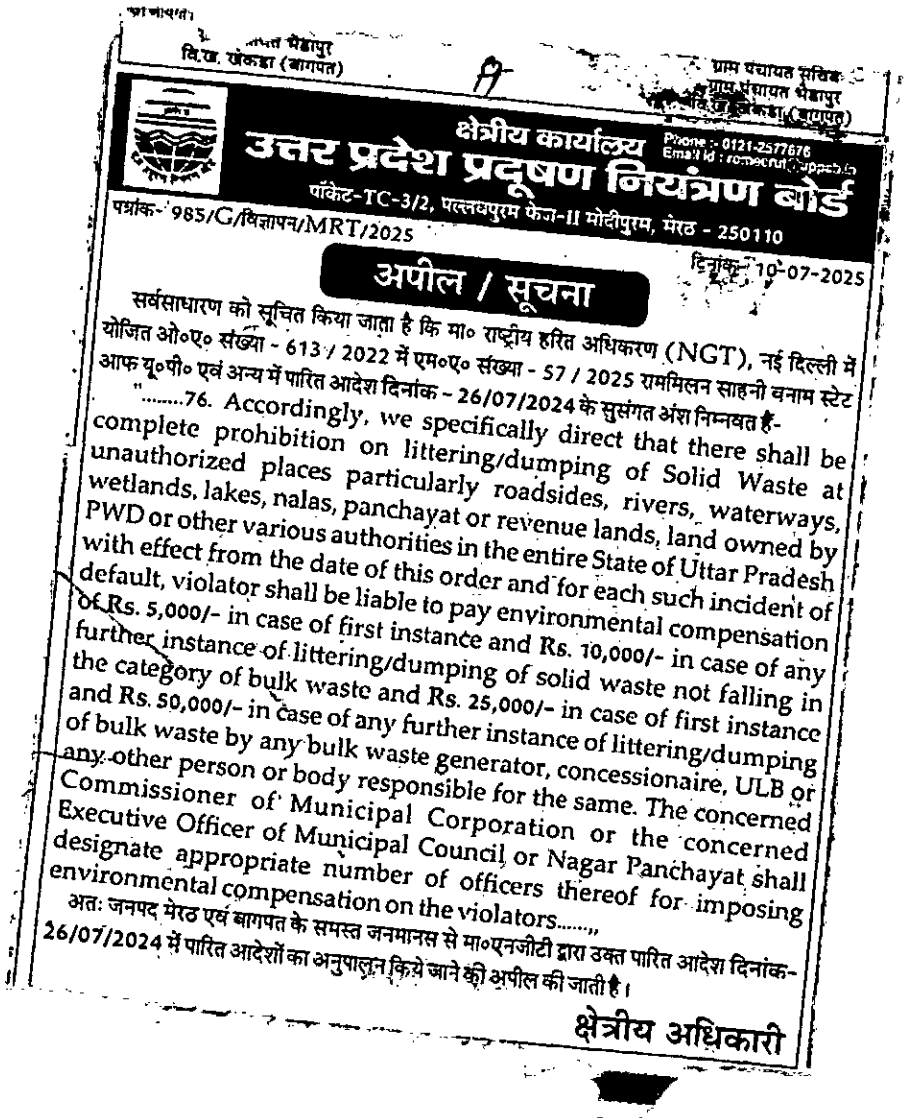
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–26/07/2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/ dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators....."

अतः जनपद मेरठ एवं बागपत के समस्त जनमानस से मा०एनजीटी द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक–26/07/2024 में पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने की अपील की जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला - 11-7-25



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II मोदीपुरम, मेरठ - 250110
Phone :- 0121-2577676
Email Id : romeerut@uppcb.in

पत्रांक- 985/G/विज्ञापन/MRT/2025

दिनांक- 10-07-2025

अपील / सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या - 613 / 2022 में एम०ए० संख्या - 57 / 2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक - 26/07/2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators.....,

अतः जनपद मेरठ एवं बागपत के समस्त जनमानस से मा०एनजीटी द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक- 26/07/2024 में पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने की अपील की जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

...स्वरूप शील देकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने ...कहा कि परिवार पूरा न होती है। उसके बाद शिक्षा देने वाला ...ए धर्म की राह दिखाने वाला भी गुरु होता है। इसका सम्मान करना सभी का धर्म है। उन्होंने कहा कि मातृ सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण और देश व प्रदेश के गौरव के उत्थान के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि समाज के जागरण में आध्यात्मिक संस्थानों की अहम भूमिका रही है। इस दौरान जलेसर मार्ग पर स्थित भगवान परशुराम मंदिर के प्रांगण में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पदाधिकारियों ने चन्दन, अमलतास, सुख शान्ति, पत्थरफोल के पेड़ भी लगाये।

इस मौके पर जिला अध्यक्ष व जिला अभियान संयोजक अनिल तोमर, जिला मीडिया प्रभारी पवन शर्मा, युवा मोर्चा के जिला मंत्री मनोज कश्यप, पण्डित राधेश्याम कौशिक, विजय पाल शर्मा आदि मौजूद रहे।

नई पहल: घेवर से होने वाली बचत को गौशाला, मंदिरों में किया जायेगा दान

- कावड़ियों की सेवा में लगे शिव शक्ति दल रहे हैं शुद्ध देसी घी का घेवर, घेवर बनाने वाले शिव शक्ति से की

भास्कर न्यूज



...गाजियाबाद। श्रावण मास को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मार्ग सफाई और कावड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ठोस व्यवस्था की हैं। और कावड़ियों की सेवा के लिए भी सभी जगह अलर्ट है। खोड़ा विधान सभी क्षेत्रों में भी जगह जगह कैम्पों और रेस्टोरेंट पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। वहीं हरियाणा के सोनीपत निवासी दिनेश कुमार की एक नई पहल देखने को मिली है, जहां दिनेश कुमार ने शिव भक्तों के लिए, शुद्ध और देसी घी से निर्मित घेवर बनाए हैं। वहां आम आदमी से होने वाली बचत को अब दिनेश कुमार गौशाला, मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों में दान देगा। उसका कहना है कि उन्हें यह प्रेरणा गुरुग्राम सेक्टर पर सेवा करने वाले सेवकों से मिली है। दिनेश कुमार की यह पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

Phone:0121-2577678
क्षेत्रीय कार्यालय Email Id :-romeenrl@uppcb.in
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्लॉट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक-985/G/ Enforcement MGT/2025 दिनांक - 10-07-2025

अपील/सूचना।

...मांकनगत को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 613 2022 में पा०ए०ए० संख्या-57/2025 सामेलित सहनी इन्फ्रा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/07/2024 के अनुपालन अग्रसर निम्नवत है-

76 accordingly we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, tanks, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators.

...त अनावद मेरठ एवं शासन के समस्त अनुभाग से सम्बन्धित जारी ...., जारी आदेश दिनांक-26/07/2024 में ...ित आदेशों का अनुपालन किये जाने की अपील की जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

दैनिक भास्कर दि० 11/7/2025

SnapCalc Download

जनपद मेरठ –

1. नगर आयुक्त,नगर निगम, मेरठ।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मवाना
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सरधना
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लावड़, मेरठ
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, खरखौदा, मेरठ
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बहसूमा, मेरठ
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हस्तिनापुर, मेरठ
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, फलावदा, मेरठ
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दौराला, मेरठ
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, करनावल, मेरठ
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सिवालखास, मेरठ
12. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, किठौर, मेरठ
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, परिक्षितगढ़, मेरठ
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, शाहजहाँपुर, मेरठ
15. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, खिवाई, मेरठ
16. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हर्रा, मेरठ।

बागपत –

1. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बागपत, बागपत
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बड़ौत, बागपत
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खेकड़ा, बागपत
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अमीनगर सराय, बागपत
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अग्रवाल मण्डी टटीरी, बागपत
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, छपरौली, बागपत
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दोघट, बागपत
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, टिकरी, बागपत
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रटौल, बागपत।

Phone:0121-2577676
क्षेत्रीय कार्यालय Email id :-romeerut@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियअत्रण बोर्ड

पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक-985/G/ विज्ञापन/MGT/2025 दिनांक :- 10-07-2025

अपील/सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-613/2022 में एम०ए० संख्या-57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनां क-26/07/2024 के सुसअगत अंश निम्नवत है-

".....76. accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/-in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators...

अतः जनपद मेरठ एवं बागपत के समस्त जनमानस से मा०एनजीटी द्वारा उक्त. पारित आदेश दिनांक-26/07/2024 में पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने की अपील की जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1323 / N-13 / जनरल दिनांक 21 / 07 / 2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया है। उपरोक्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या/विवरण निम्नवत् है–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रचार–प्रसार हेतु " दैनिक जागरण एवं अमर उजाला" के संस्करण दिनांक 08.07.2025 में प्रकाशित कराया गया। समाचार पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक–1)।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में अनुपालनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त स्थानीय निकाय को पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक–2)।

सूचना/अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

21.7.25

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1322/ N-13 /जनरल दिनांक : 21/07/2025

सेवा में,

सूची संलग्न स्थानीय निकाय, जनपद मुरादाबाद/रामपुर/सम्भल (कुल –29),
(नगर निगम, मुरादाबाद/समस्त नगर पालिका परिषद/समस्त नगर पंचायत)।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/ 2025 दिनांक 30.06.2025, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित ओदश के अंश निम्नवत् है–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be Corporation/Municipal utilized by the concerned Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above....."

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रुप से इस आदेश की (तिथि 26.07.2024) से सम्पूर्ण उ0प्र0 राज्य में अनाधिकृत स्थानो विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोकनिर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है तथा ओ0ए0 सं0 613/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये।
2. इलैक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 में दिये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

21.7.25

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, जनपद मुरादाबाद/रामपुर/सम्भल।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 1244/N-13/जनरल

दिनांक 08/07/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 सं0 57/2025, राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 29673/डब्लू0एम0डी0/एम0ए0-57/सा0-42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम संदर्भित प्रकरण में मा0 अधिकरण के आदेश के पैरा-76 में दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रिंट मीडिया दैनिक जागरण एवं अमर उजाला दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 08.07.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी। प्रकाशित की गयी विज्ञप्ति की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

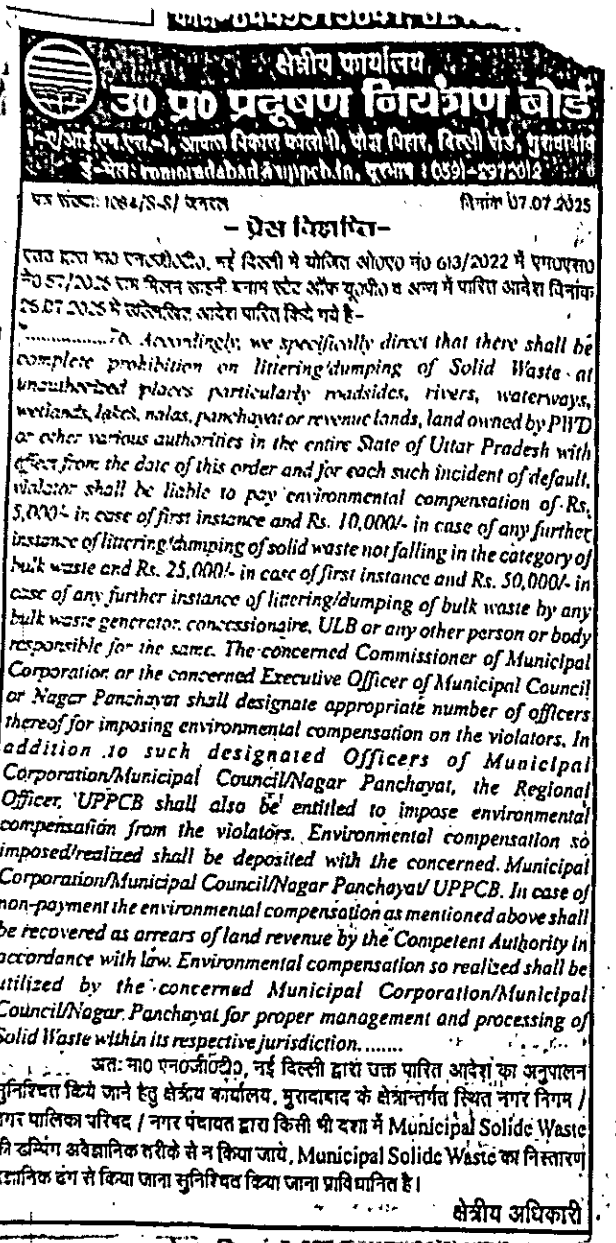
संलग्नक - यथोपरि।

08/7/25
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि - मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

दिनांक → 8/7/2025



क्षेत्रीय कार्यालय
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई एच एस-1, आवास विकास कालोनी, पीस विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई-मेल: romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या: 1084/S-8/ जनरल दिनांक: 07.07.2025

– प्रेस विज्ञप्ति –

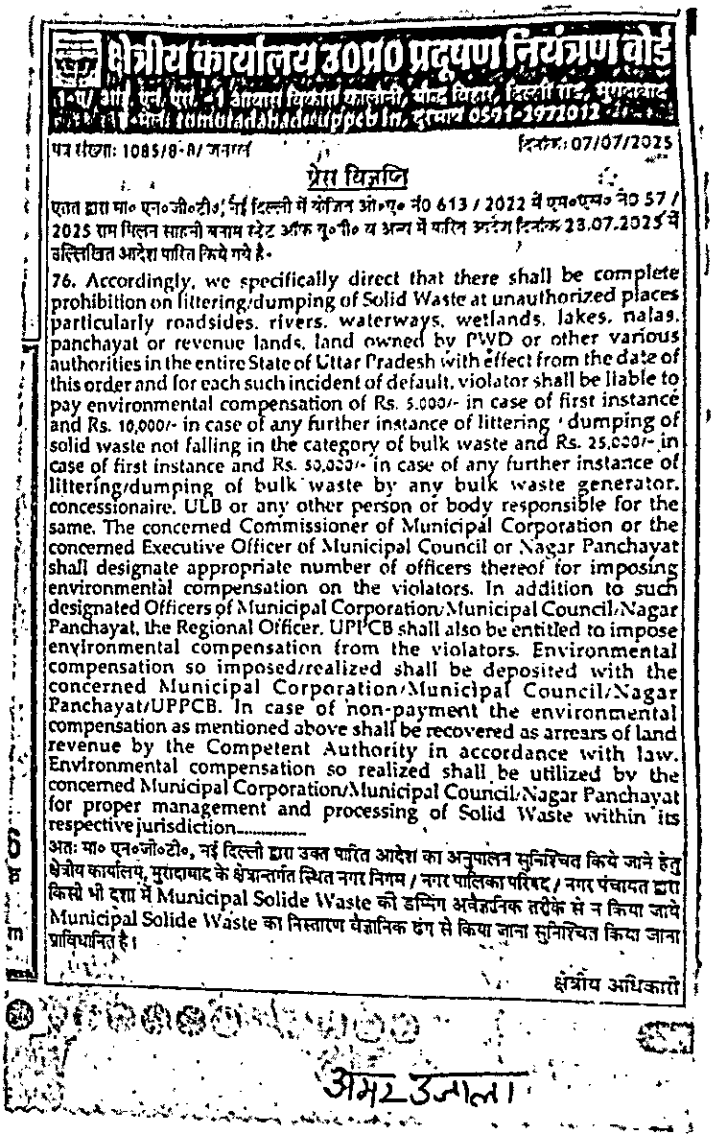
एतत द्वारा मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 613/2022 में एम०एस०ए० नं० 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025 में उल्लेखित आदेश पारित किये गये है-

.....*76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned. Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/ UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.....*

अतः मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा उक्त पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत द्वारा किसी भी दशा में Municipal Solide Waste की डम्पिंग अवैज्ञानिक तरीके से न किया जाये, Municipal Solide Waste का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाना प्राविधानित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

दैनिक जागरण



क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई एच एस-1, आवास विकास कालोनी, पीस विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई-मेल: romoradabad@uppcb.in, दूरभाष 0591-2972012

पत्र संख्या: 1085/S-8/ जनरल दिनांक: 07/07/2025

प्रेस विज्ञप्ति

एतत द्वारा मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 613 / 2022 में एम०एस०ए० नं० 57 / 2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025 में उल्लिखित आदेश पारित किये गये है-

76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering / dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.....

अतः मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा उक्त पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत द्वारा किसी भी दशा में Municipal Solide Waste की डम्पिंग अवैज्ञानिक तरीके से न किया जाये, Municipal Solide Waste का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाना प्राविधानित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला

District- Moradabad

S.No.	Name of ULBs
1	Nagar Nigam, Moradabad
2	Nagar Palika Parishad Thakurdwara
3	Nagar Palika Parishad Bilari
4	Nagar Panchayat Kundarki
5	Nagar Panchayat Bhojpur
6	Nagar Panchayat Kanth
7	Nagar Panchayat Umarikalan
8	Nagar Panchayat Pakbara
9	Nagar Panchayat Agwanpur
10	Nagar Panchayat Dhakiya

District – Sambhal

S.No.	Name of ULBs
1	Nagar Palika Prishad, Sambhal, Sambhal
2	Nagar Palika Prishad, Chandausi, Sambhal
3	Nagar Palika Prishad, Behjoir, Sambhal
4	Nagar Panchayat, Sirsi, Smbhal
5	Nagar Panchayat, Babrala, Sambhal
6	Nagar Panchayat, Narauli, Sambhal
7	Nagar Panchayat, Gunnaur, Sambhal
8	Nagar Panchayat, Gawan, Sambhal

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 0131–2604300

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ0प्र0)

संदर्भ सं० 408/ओ0ए0सं0 613/रामिमिलन साहनी/2025 दिनांक
Ref. No. Dated 14-7-2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय :मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच30080/सी–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–613/2022/2025 दिनांक–10.07.2025 एवं पत्रांक–एच29673/डब्लूएमडी/एमए–57/सा–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 407/जी–140/एनजीटी सामान्य/मु0नगर/25 दिनांक 11.07.2025 द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली में आच्छादित समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

अग्रेतर, माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली के समस्त जनमानस हेतु दिनांक 12.07.2025 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है। प्रकाशित विज्ञप्ति की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(गीतेश चन्द्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–
1– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2– विधि अधिकारी, प्रथम (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

D/Neeraj Mittal/Letter 2025

दैनिक जागरण दिनांक-12-7-2025

क्षेत्रीय कार्यालय

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Ph. 0131-2604300 6—बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 613/2022 में एम०ए० संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

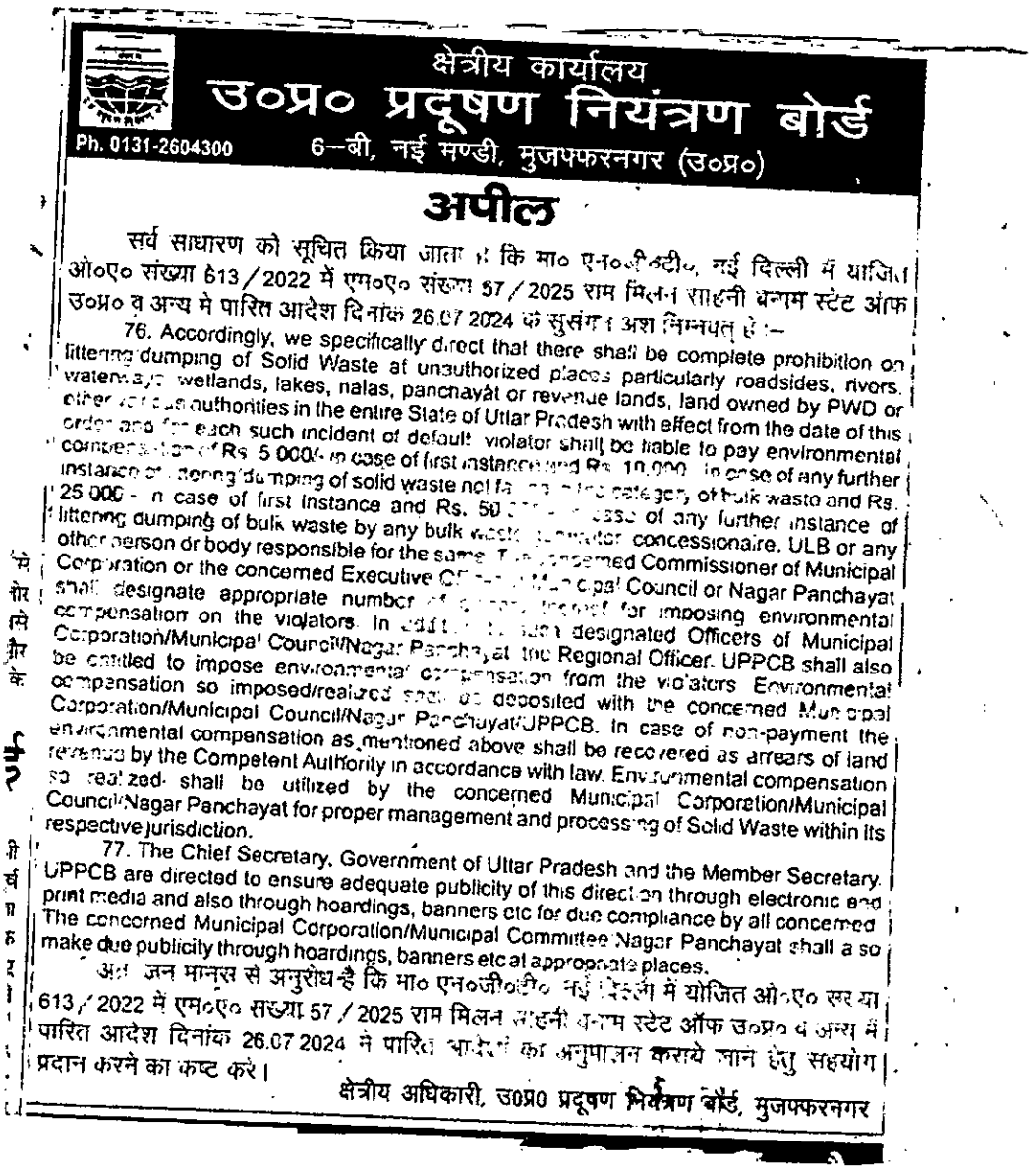
76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अतः जन मानस से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 613/2022 में एम०ए० संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

अमर उजाला - दिनांक - 12-7-25



क्षेत्रीय कार्यालय

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Ph. 0131-2604300 6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में याचिका ओ०ए० संख्या 613/2022 में एम०ए० संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, watercourses, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other local authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering dumping of bulk waste by any bulk waste generator concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers, incharge for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

अतः जन मानस से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 613/2022 में एम०ए० संख्या 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 से पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

498

दूरभाष : 0131–2604300

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० ५०७ /उ०प्र० एस०ई० 613/राम मिलन साहनी/2025 दिनांक 11-7-2025
Ref. No. Dated

सेवा में,

मा० एन०जी०टी० प्रकरण

1– समस्त अधिकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद मुजफ्फरनगर।
2– समस्त अधिकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद शामली।

विषय :मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या–613/2022 में एम०ए० नं०–57/2025 राममिलन साहनी बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के संलग्न पत्रांक एच29673/डब्लूएमडी/एमए–57/सा–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–613/2022 में एम०ए० संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2024 के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं–

*"76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of **Rs. 5,000/-** in case of first instance and **Rs. 10,000/-** in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and **Rs. 25,000/-** in case of first instance and **Rs. 50,000/-** in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.*

*77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed **to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance** by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."*

क्रमशः ...2.....

अतः स्थानीय निकाय स्तर से मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश का निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा–76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम मा0एनजीटी द्वारा पारित आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि सूचना संकलित कर बोर्ड मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित किया जाना संभव हो सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

11/3/25

(गीतेश चन्द्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

11/3/25

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

	जनपद मुजफ्फरनगर
1.	नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर
2.	नगर पालिका परिषद, खतौली, मुजफ्फरनगर
3.	नगर पंचायत, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर
4.	नगर पंचायत, मीरापुर, मुजफ्फरनगर
5.	नगर पंचायत, भोकरहेड़ी, मुजफ्फरनगर
6.	नगर पंचायत, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर
7.	नगर पंचायत, सिसौली, मुजफ्फरनगर
8.	नगर पंचायत, शाहपुर, मुजफ्फरनगर
9.	नगर पंचायत, चरथावल, मुजफ्फरनगर
10.	नगर पंचायत, जानसठ, मुजफ्फरनगर

	जनपद शामली
1.	नगर पालिका परिषद, शामली
2.	नगर पालिका परिषद, कैराना, जनपद शामली
3.	नगर पालिका परिषद, कांधला, जनपद शामली
4.	नगर पंचायत, ऐलम, जनपद शामली
5.	नगर पंचायत, ऊन, जनपद शामली
6.	नगर पंचायत, थानाभवन, जनपद शामली
7.	नगर पंचायत, झिंझाना, जनपद शामली
8.	नगर पंचायत, जलालाबाद, जनपद शामली
9.	नगर पंचायत, बनत, जनपद शामली
10.	नगर पंचायत, गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली

501

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक–278/R-1/C/2025-26 दिनांक–14/7/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच30080/सी–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–613/2025 दिनांक–10.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के माध्यम से आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के पैरा–76 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा तथा द टाइम्स आफ ऑफ इण्डिया में अपील दिनांक–12.07.2025 को प्रकाशित करायी जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 14/07/25

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 14/07/25

14/7/25

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 282/R-I/G/2025-26 दिनांक–14/7/25

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सलोन, रायबरेली।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बछरावाँ, रायबरेली।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊँचाहार रायबरेली।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, परशदेपुर, रायबरेली।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, महराजगंज, रायबरेली।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, लालगंज, रायबरेली।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत नसीराबाद, रायबरेली।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच29673/WMD/M.A.-57/सा0–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 का अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत हैं–

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be Corporation/Municipal utilized by the concerned Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above.

Scanned with OKEN Scanner

मा0 अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि 26.07.2024 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकन/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाए तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
14/07/25

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (WMD), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
14/07/25

DIC
14/7/25

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 283/R-1/6/2025-26 दिनांक–14/7/25

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, दोस्तपुर, सुल्तानपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कोथरीपुर, सुल्तानपुर।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कादीपुर, सुल्तानपुर।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, लम्भुआ, सुल्तानपुर।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच29673/WMD/M.A.-57/सा0–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी वनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 का अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी वनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत हैं–

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be Corporation/Municipal utilized by the concerned Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above.

Scanned with OKEN Scanner

मा0 अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि 26.07.2024 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकन/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाए तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
14/07/25

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (WMD), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
14/07/25

DIC
14/7/25

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 283/R-1/G/2025-26 दिनांक–14/7/25

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेला, प्रतापगढ़।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, डेरवा बाजार, प्रतापगढ़।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, ढखवा, प्रतापगढ़।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, गढवारा, प्रतापगढ़।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, हीरागंज बाजार, प्रतापगढ़।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कटरा गुलाब सिंह, प्रतापगढ़।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कोहनडौर, प्रतापगढ़।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कुण्डा, प्रतापगढ़।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़।
12. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मान्धाता बाजार, प्रतापगढ़।
13. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़।
14. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, पट्टी, प्रतापगढ़।
15. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी, प्रतापगढ़।
16. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, पृथ्वीगंज, प्रतापगढ़।
17. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रामगंज, प्रतापगढ़।
18. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रानीगंज, प्रतापगढ़।
19. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सुबन्सा, प्रतापगढ़।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच29673/WMD/M.A.-57/सा0–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 का अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत हैं–

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal

Scanned with OKEN Scanner

Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be Corporation/Municipal utilized by the concerned Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above.

मा0 अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि 26.07.2024 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकन/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाए तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
14/07/25

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (WMD), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
14/07/25

14/7/25

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 284/R-1/6/2025-26 दिनांक– 14/7/25

सेवा में,

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जायस, अमेठी।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गौरीगंज, अमेठी।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मुसाफिरखाना, अमेठी।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, अमेठी।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच29673/WMD/M.A.-57/सा0–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 का अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत हैं–

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be Corporation/Municipal utilized by the concerned Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above.

Scanned with OKEN Scanner

मा0 अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि 26.07.2024 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेंकन/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं–

1. मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाए तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 14/07/25

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (WMD), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
14/07/25

14/7/25

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक जागरण – 12/07/2025

क्षेत्रीय कार्यालय
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर आवास विकास कालोनी
रायबरेली-229001 (उ.प्र.)

पत्रांक: 273/विज्ञापन III/P/2025-26 दिनांक: 11.07.2025

अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा. एन.जी.टी. नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.–613/2022 में एम.ए. संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

"—— 76 Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/-in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा. एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.–613/2022 में एम.ए. संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

The Times of India 12/7/25

aid the wrongdoers, and it sends a wrong signal," a division bench of Justices Sou-

ment. They have no place in the sys-tem," HC held.

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी, रायबरेली-229001 (उ0प्र0)

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माo एनoजीoटीo, नई दिल्ली में योजित ओoएo नo-613/2022 में एमoएo संख्या-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूoपीo व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि माo एनoजीoटीo, नई दिल्ली में योजित ओoएo नo-613/2022 में एमoएo संख्या-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूoपीo व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.07.2024 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P, LUCKNOW.

No. ME/Naz./2025/197 Dated: 10 July, 2025

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी, रायबरेली–229001 (उ.प्र.)

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रदीप कुमार विश्वकर्मा
क्षेत्रीय अधिकारी

Rajkiya Sahara – 12/7/25

Scanned with OKEN Scanner

513

Amar Ujala – 12/7/25

information, please visit www.dtu.ac.in, www.nsut.ac.in,www.ipu.ac.in ... university spacific

For any other query, please do mail to dcdelhi@gmail.com

Delhi Technological University (Formerly Delhi College of Engineering) Bawana Road, Delhi-110042

Email: shaktisma@dtu.ac.in Contact: 011-27871023

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-I, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी, लखनऊ-226001 (उ0प्र0)

पत्रांकः 275/ विज्ञापन/UPPCB/2025-26

दिनांक: 11/07/2025

अपील

सूचित किया जाता है कि माo एनजीटीo, नई दिल्ली ने याचिका संo 10/2022 में पारित आदेश दिनांक–28.07.2024 एवं अन्य संबंधित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

"..... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places....."

अतः आम–जनता को अनुरोध है कि माo एनजीटीo, नई दिल्ली ने याचिका संo 10/2022 में पारित आदेश दिनांक–28.07.2024 एवं अन्य संबंधित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा) क्षेत्रीय अधिकारी

माध्यमिक स्कूल शिक्षा परिषद्

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

वेबसाइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upbsa.com, ईमेल: upbsapo@gmail.com

दूरभाष नं.–0522-4024440, 2780384, 2781128

मिशन प्रेरणा

मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के लिए आंतरिक साज-सज्जा डिज़ाइन प्रतियोगिता – आमंत्रण

उत्तर प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर–247001

पत्रांक : 337/M.T/ सहा0-2025 दिनांक : 11/07/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 613/2022 में M.A. No.-57/2025 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक– एच30080/सी–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–613/2022) /2025 दिनांक–10.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित प्रश्नगत O.A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट फेंकने के सापेक्ष जुर्माना अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश गये है। तत्क्रम में कृत कार्यवाही का विवरण पत्र के साथ संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

11/07/2025

(डा० योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर–247001

पत्रांक : 336/N-7/एसीपी-एम-2025 दिनांक : 10/07/2025

सेवा में, अतिमहत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

1. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, देवबंद, सहारनपुर।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नकुड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सरसावा, सहारनपुर।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, गंगोह, सहारनपुर।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बेहट, सहारनपुर।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चिलकाना, सहारनपुर।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ननौता, सहारनपुर।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, तितरौं, सहारनपुर।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रानपुर मनिहारन, सहारनपुर।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अम्बेहटा पीर, सहारनपुर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक– एच29673/WMD/MF-57/स.पुर/2025 दिनांक–30.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 613/2022 Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors. में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 को आदेश पारित किये गये है जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

".... 76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also

हिन्दुस्तान पेपर दि० 11/07/2025

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर-247001

पत्रांक : 334/N-7/सामान्य-2025 दिनांक: 10/07/2025

आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 613/2022 (Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors.) में दिनांक 26.07.2024 को सम्पूर्ण उ०प्र० में अनाधिकृत स्थानों, विशेष रूप से सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व की भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर ठोस अपशिष्ट / कूड़ा-करकट डालने को निषेध किये जाने तथा थोक अपशिष्ट की श्रेणी में न आने वाले ठोस अपशिष्ट की दशा में प्रत्येक ऐसी घटना के लिए उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रथम बार उल्लंघन किये जाने पर रू0 5,000/- व उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर रू0 10,000/- तथा किसी भी थोक अपशिष्ट जनरेटर, रियायतग्राही, स्थानीय निकायों अथवा इसके लिये जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा थोक मात्रा में ठोस अपशिष्ट / कूड़ा-करकट डालने की स्थिति में प्रथम बार उल्लंघन पर रू0 25,000/- तथा उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर रू0 50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये है। अतः सर्वसाधारण से अनुरोध है कि कि मा० अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

दिनांक 11-7-2024 अगर उ0 जी0 पेपर में प्रकाशित

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

33/18 कपिल विहार, सहारनपुर-247001

आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याचित O.A. No. 673/2022 (Ram Milan Sahani Vs & State of UP & Ors.) में दिनांक 26.07.2024 को सम्पूर्ण उ0प्र0 में अनाधिकृत स्थानों, विशेष रूप से सड़कों के किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व की भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर ठोस अपशिष्ट / कूड़ा-करकट डालने को निषेध किये जाने तथा थोक अपशिष्ट की श्रेणी में न आने वाले ठोस अपशिष्ट की दशा में प्रत्येक ऐसी घटना के लिए उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रथम बार उल्लंघन किये जाने पर रू0 5,000/- व उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर रू0 10,000/- तथा किसी भी थोक अपशिष्ट जनरेटर, रिसायतग्राही, स्थानीय निकायों अथवा इसके लिये जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा थोक मात्रा में ठोस अपशिष्ट / कूड़ा-करकट डालने की स्थिति में प्रथम बार उल्लंघन पर रू0 25,000/- तथा उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर रू0 50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये है।

अतः सर्वसाधारण से अनुरोध है कि कि मा0 अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

दैनिक जागरण दि० 11-7-25 में प्रकाशित



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर–247001

पत्रांक 334/N-7/सामान्य-2025 दिनांक 10/07/2025

आवश्यक सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 613/2022 (Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors.) में दिनांक–26.07.2024 को सम्पूर्ण उ०प्र० में अनाधिकृत स्थानों, विशेष रूप से सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व की भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर ठोस अपशिष्ट / कूड़ा–करकट डालने को निषेध किये जाने तथा थोक अपशिष्ट की श्रेणी में न आने वाले ठोस अपशिष्ट की दशा में प्रत्येक ऐसी घटना के लिए उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रथम बार उल्लंघन किये जाने पर रू० 5,000/– व उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर रू० 10,000/– तथा किसी भी थोक अपशिष्ट जनरेटर, रिसायतग्राही, स्थानीय निकायों अथवा इसके लिये जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा थोक मात्रा में ठोस अपशिष्ट / कूड़ा–करकट डालने की स्थिति में प्रथम बार उल्लंघन पर रू० 25,000/– तथा उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर रू० 50,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये है।

अतः सर्वसाधारण से अनुरोध है कि कि मा० अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर

आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 613/2022 (Ram Milan Sahani Vs. & State of UP & Ors.) में दिनांक–26.07.2024 को सम्पूर्ण उ0प्र0 में अनाधिकृत स्थानों, विशेष रूप से सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व की भूमि, लोक निर्माण विभाग या अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर ठोस अपशिष्ट/कूड़ा–करकट डालने को निषेध किये जाने तथा थोक अपशिष्ट की श्रेणी में न आने वाले ठोस अपशिष्ट की दशा में प्रत्येक ऐसी घटना के लिए उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रथम बार उल्लंघन किये जाने पर रू0 5,000/– व उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर रू0 10,000/– तथा किसी भी थोक अपशिष्ट जनरेटर, रियायतग्राही, स्थानीय निकायों अथवा इसके लिये जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा थोक मात्रा में ठोस अपशिष्ट/कूड़ा–करकट डालने की स्थिति में प्रथम बार उल्लंघन पर रू0 25,000/– तथा उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर रू0 50,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये है।

अतः सर्वसाधारण से अनुरोध है कि कि मा0 अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

520

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः- G0918/O.A No-613/2022/2025
Ref.No.

दिनांकः- 15/07/2025
Date:

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

विषयः–माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या/विवरण निम्नवत हैः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक समाचार–पत्र "अमर उजाला एवं एच0टी0 मीडिया" के संस्करण दिनांक–13.07.2025 में प्रकाशित कराया गया। समाचार–पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक–1)।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में अनुपालनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय के अन्तर्गत आच्छादित जनपद–सोनभद्र एवं मीरजापुर अन्तर्गत स्थित समस्त स्थानीय निकाय को पत्र प्रेषित किया गया है (संलग्नक–2)।

उक्त सूचना/अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
15/7/25
(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
रावर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

Annexure No.1

Published in Amar Ujala News Paper on dated 13.07.2025

क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
पता- म.सं.- 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
e-mail:rosonbhadra@uppcb.in, website-https://uppcb.up.gov.in

संदर्भ संख्या:- G-0904 /O.A. No. 613/2022 /2025 दिनांक:-11.07.2025

अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 –613/2022 मे एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/ dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs.10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/ Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.....".

अतः जन–मानस से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 –613/2022 में एम0ए0 सं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

Published in Hindustan Times Newspaper on dated 13.07.2025

(UP) PIN-212306
Co-Borrower:- Mr. Harashvardhan Singh S/O Late Ravindra Kumar Singh 942, Shahid Nagar Near Gopal Vidyalaya Tehsil & Post-Koraon Dist-Prayagraj (UP) PIN-212306
West- House of Krishna Devi North- Land of Harshvardhan Singh South- Rd (Koraon to Drummandganj)

क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र

पता- म.सं.-162, उमा मोहाल (निकट पण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
e-mail:rosonbhadra@uppcb.in, website-https://uppcb.up.gov.in

अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा. एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.-613/2022 में एम.ए. संख्या-57/2025 राम मिलन साउनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.07.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs.10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places...".

अतः जन-मानस से अनुरोध है कि मा. एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.-613/2022 में एम.ए. सं.-57/2025 राम मिलन साउनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.07.2025 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

संदर्भ संख्या- G-0905/O.A. No. 613/2022/2025 दिनांक-11.07 2025

Annexure No.2

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः- G0916/613/2022/2025
Ref.No.

दिनांकः- 15/07/2025
Date:

सेवा में,

1. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मीरजापुर, जनपद–मीरजापुर।
2. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चुनार, जनपद–मीरजापुर।
3. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अहरौरा, जनपद–मीरजापुर।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कछवां, जनपद–मीरजापुर।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्र सं0–एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत् हैं:–

"....**76**. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/ dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs.10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/

क्रमशः 2/पर.....

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
रावर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above. ...".

माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाले भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुये हैं:–

1. माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाय तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

15/7/25

(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्याः- G10917/O.A.No-613/2022/2025
Ref.No.

दिनांकः- 15/07/2025
Date:

सेवा में,

1. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद सोनभद्र, जनपद–सोनभद्र।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, घोरावल, सोनभद्र।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चोपन, सोनभद्र।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चुर्क–घुर्मा, सोनभद्र।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ओबरा, सोनभद्र।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दुद्धी, सोनभद्र।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट, सोनभद्र।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अनपरा, सोनभद्र।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पिपरी, सोनभद्र।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डाला बाजार, सोनभद्र।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्र सं0–एच 29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक–30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2025 एवं दिनांक–09.05.2025 में पारित आदेश के अंश निम्नवत् हैं:–

"....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/ dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs.10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/

क्रमशः 2/पर.....

UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above. ...".

माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गो, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाले भूमि पर ठोस अपशिष्ट को फेकने/डम्प करने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं तथा ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश प्राप्त हुये हैं:–

1. माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के पैरा 76 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, होल्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाय तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के क्रम में अनुपालनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

15/7/25

(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

dc

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्ल्यू0एम0डी0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

dc

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/Ref.No. 323/सा0–341/2025 दिनांक/Date– 14/07/2025

सेवा में,

पर्यावरण अभियंता, प्रभारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

ई–मेल द्वारा

विषय–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2025 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एच–30080/सी0–6/सा0–709/ओ0ए0 नं0–613/2022/2025 दिनांक 10.07.2025 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि मा0 एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0–613/2022 में एम0ए0 नं0–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन हेतु प्रचार प्रसार किये जाने के संबंध में है। उक्त के अनुपालन में इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला जनपद–हरदोई एवं उन्नाव में दिनांक 12.07.2025 में उक्त आदेश के कार्यकारी अंश का प्रकाशन कराया गया। उक्त प्रकाशन की कतरन की मूलप्रतियाँ पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(शशि दिनकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–18/3, आवास कालोनी, उन्नाव–209801, दूरभाष/फैक्सः 0515–2830488, ई–मेल–rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681,
फैक्स : 0522–2720764
E:\ROUPPCB\CEO 5.docx

जनपद - उन्नाव

अमर उजाला | शनिवार 12 जुलाई 2025 | 6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव

बी-18/3, आवास कालोनी, उन्नाव-209801,
दूरभाष / फैक्स: 0515-2830488, ई-मेल-rounnao@uppcb.in

संदर्भ सं० Ref. No. 316 / सा0:341/2025-26 दिनांक/Date-11/07/2025

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate member of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, bamers ere at appropriate places.

अतः जन-मानस सम्बन्धित विभागों से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

जनपद - उन्नाव

कानपुर, 12 जुलाई, 2025 दैनिक जागरण 11

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बी-18/3, आवास कालोनी, उन्नाव-209801
दूरभाष/फैक्स: 0515-2830488
e-mail: rounnao@uppcb.in

-: अपील :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा. एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं0-613/2022 में एम.ए. सं. 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first Instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate member of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places...."

अतः जन-मानस सम्बन्धित विभागों से अनुरोध है कि मा. एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं0-613/2022 में एम.ए. सं. 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव

जनपद - उन्नाव

कानपुर, शनिवार, 12 जुलाई 2025 08 हिन्दुस्तान

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव

बी-18/3 आवास विकास कालोनी, उन्नाव-209801 दूरभाष/फैक्स : 0515-2830488
ई-मेल-rounnao@uppcb.in

संदर्भ सं0/316/सा0-341/2025-26 दिनांक- 11/07/2025

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"...76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate member of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, bamers ere at appropriate places.

अतः जन-मानस सम्बन्धित विभागों से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव

हिन्दुस्तान

जनपद - हरदोई

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
बी-16/3, आवास विकास कालोनी, उन्नाव-209801, दूरभाष/फैक्स: 0515-2830409,
ई-मेल-rounnao@uppcb.in

2025-26

(आपील)

दिनांक- 11/07/2025

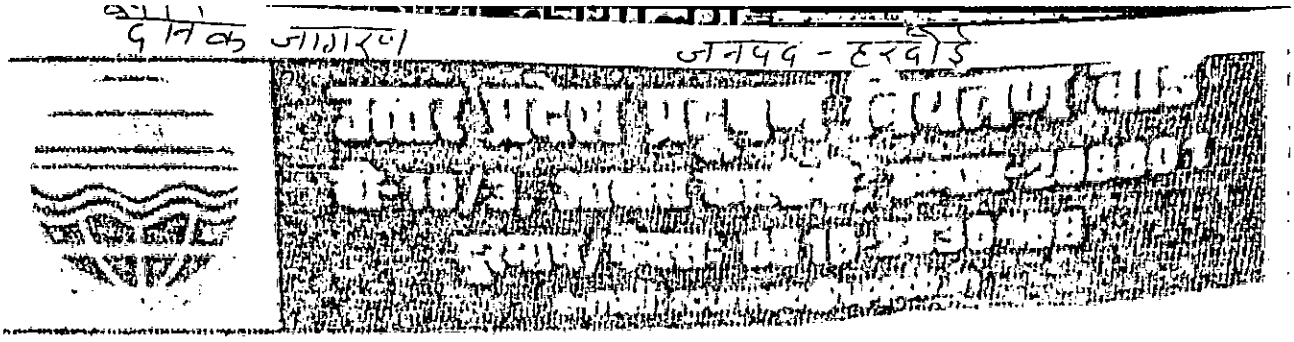
सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-[illegible] ए०ई० 60-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुपालन संबंध निम्नवत है:-

"... A direction is specifically direct that there shall be complete prohibition on littering dumping of solid waste in unauthorized places particularly roadsides, rivers waterways, wetlands, lakes, [illegible] or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. [illegible] in case of any further instance of littering dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/-in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places..."

अतः आप-सभी सम्बन्धित विभागों से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-673/2022 में ए०ई० सं०-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव



-: आदेश :-

dumping of Solid Waste [illegible] wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, and [illegible] authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date [illegible] such incident of default, violator shall be liable to pay environmental [illegible] Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further [illegible] dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and [illegible] bulk waste for first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering [illegible] any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person [illegible] cases. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or [illegible] Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate [illegible] thereof for imposing environmental compensation. The Municipal Council Nagar Panchayat, the designated Officers of Municipal Corporation, Municipal Council Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat. In case of non-payment of the environmental compensation as aforesaid, it shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority to be notified. The environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

22. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure [illegible] of this direction through electronic and print media and also through hoarding. Banners etc. for due compliance be also ensured. The concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat shall also make the authority through hoarding, banners etc. at appropriate place.

[illegible] 30.01.2023 [illegible] 28.07.2024 [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्रयागराज

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
बी-18/3, आवास कालोनी, उन्नाव-209801
दूरभाष/फैक्स: 0515-2830488 ई-मेल: rounnac@uppcb.in

संदर्भ सं० Ref No 336 / मा0-341/2025-26 दिनांक/Date- 11/07/2025

अमर उजाला जनपद - हरदोई

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/-in case of first Instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate member of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, bamers ere at appropriate places...."

अतः जन-मानस सम्बन्धित विभागों से अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0-613/2022 में एम०ए० सं0-57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/Ref.No. 338/सा0–341/2025 दिनांक/Date- 15/07/2025

सेवा में,

सूची संलग्न स्थानीय निकाय जनपद–हरदोई (गुल–13)
(समस्त नगर पालिका परिषद/समस्त नगर पंचायत)।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ य0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्र संख्या–एच 29673/डब्ल्य0एम0डी0/एम0ए0 57/सा0–42/2025 दिनांक 30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ य0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–613/2022 में एम0ए0 संख्या–57/2025 राम मिलन साहनी यनाम् स्टेट ऑफ, य0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 में पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"—76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25/000/- in case of first Instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire ULB or any other person or body responsible for the same The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so Imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/ UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with love. Environmental compensation to realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective Jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through O. hoardings. banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places.

78. The present application is disposed of accordingly with the directions as mentioned above.

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विशेष रूप से इस आदेश की तिथि (26.07.2024) से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनाधिकृत स्थानों विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, लोक निर्माण विभाग व विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट को निस्तारित/डम्प करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाये जाने, वसूलने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। ओ0ए0 संख्या–613/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में भी दिनांक 12.07.2025 को प्रकाशन कराया गया है।

...2...

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–18/3, आवास कालोनी, उन्नाव–209801, दूरभाष/फैक्सः 0515–2830488, ई–मेल–rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681,
फैक्स : 0522–2720764

Scanned with OKEN Scanne

अतः उक्त परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा है कि जनपद से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये तथा उपरोक्त वर्णित आदेशों/निर्देशों के कार्यकारी प्रस्तर 76 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, हरदोई को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanne

जनपद–हरदोई में चिन्हित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों की सूची :–

1. नगर पालिका परिषद, हरदोई।
2. नगर पालिका परिषद, मल्लावाँ, हरदोई।
3. नगर पालिका परिषद, सण्डीला, हरदोई।
4. नगर पालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई।
5. नगर पालिका परिषद, पिहानी, हरदोई।
6. नगर पालिका परिषद, शाहाबाद, हरदोई।
7. नगर पालिका परिषद, साण्डी, हरदोई।
8. नगर पंचायत, कछौना पतसेनी, जनपद–हरदोई।
9. नगर पंचायत, बेनीगंज, जनपद–हरदोई।
10. नगर पंचायत, माधौगंज, जनपद–हरदोई।
11. नगर पंचायत, गोपामऊ, जनपद–हरदोई।
12. नगर पंचायत, पाली, जनपद–हरदोई।
13. नगर पंचायत, कुरसठ, जनपद–हरदोई।

Scanned with OKEN Scanne

जनपद– अलीगढ़/हाथरस/एटा/कासगंज के स्थानीय निकायों के नाम

क्र.स.	स्थानीय निकायों के नाम	स्थानीय निकाय का प्रकार
1	नगर निगम, अलीगढ़	नगर निगम
2	नगर पालिका परिषद, अतरौली	नगर पालिका परिषद
3	नगर पालिका परिषद, खैर	नगर पालिका परिषद
4	नगर पालिका परिषद, गभाना	नगर पालिका परिषद
4	नगर पंचायत, इगलास	नगर पंचायत
5	नगर पंचायत, जट्टारी	नगर पंचायत
6	नगर पंचायत, पिलखाना	नगर पंचायत
7	नगर पंचायत, छर्रा	नगर पंचायत
8	नगर पंचायत, कैड़ियागंज	नगर पंचायत
9	नगर पंचायत, हरदुआगंज	नगर पंचायत
10	नगर पंचायत, बेसवां	नगर पंचायत
11	नगर पंचायत, विजयगढ़	नगर पंचायत
12	नगर पंचायत जलाली	नगर पंचायत
13	नगर पंचायत टप्पल,	नगर पंचायत
14	नगर पंचायत मडराक	नगर पंचायत
15	नगर पंचायत चण्डौस	नगर पंचायत
16	नगर पंचायत पिसावा	नगर पंचायत
17	नगर पंचायत बरौली	नगर पंचायत
18	नगर पंचायत जवां सिकन्दरपुर	नगर पंचायत
जनपद–हाथरस		
1	नगर पालिका परिषद, हाथरस	नगर पालिका परिषद
2	नगर पालिका परिषद, सिकन्दराराऊ	नगर पालिका परिषद
3	नगर पंचायत, सासनी	नगर पंचायत
4	नगर पंचायत, सादाबाद	नगर पंचायत
5	नगर पंचायत, मैण्डू	नगर पंचायत
6	नगर पंचायत, मुरसान	नगर पंचायत
7	नगर पंचायत, सहपऊ	नगर पंचायत
8	नगर पंचायत, पुरदिलनगर	नगर पंचायत
9	नगर पंचायत, हसायन	नगर पंचायत
जनपद–एटा		
1	नगर पालिका परिषद, एटा	नगर पालिका परिषद
2	नगर पालिका परिषद, जलेसर	नगर पालिका परिषद
3	नगर पालिका परिषद, अलीगंज	नगर पालिका परिषद
4	नगर पालिका परिषद, मारहरा	नगर पालिका परिषद
5	नगर पंचायत, अवागढ़	नगर पंचायत
6	नगर पंचायत, सकीट	नगर पंचायत
7	नगर पंचायत, निधौलीकलां	नगर पंचायत
8	नगर पंचायत, जैथरा	नगर पंचायत
9	नगर पंचायत, राजा का रामपुर	नगर पंचायत
जनपद–कासगंज		
1	नगर पालिका परिषद, कासगंज	नगर पालिका परिषद
2	नगर पालिका परिषद, गजडुंडवारा	नगर पालिका परिषद
3	नगर पालिका परिषद, सोंरो	नगर पालिका परिषद

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं./Ref.No. 403 | MGTOA No. 613/2022/25-26 दिनांक/Date 11/07/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच.29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम.ए.–57/सा.42/2025, दिनांक 30.06.2025 जो मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 613/2022 में एम0ए0 सं–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 का अनुपालन समस्त जन–मानस/संस्थाओं आदि से सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित जनपदों में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 12.07.2025 को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गयी है। साथ ही कार्यालय क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय निकायों को इस कार्यालय के पत्रांक 400/मा0एन.जी.टी. नं.613/2022/25–26, दिनांक 11.07.2025 को पत्र भी प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराये गये सार्वजनिक सूचना एवं क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रांतर्गत आच्छादित समस्त स्थानीय निकायों को प्रेषित पत्र दिनांक 11.07.2025 की प्रति संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त। o/c

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनाथ प्रेषित।
2. नोडल (डब्ल्यू0एम0डी0), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

amarujala.com

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें

1800 121 1166

सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर

पत्रांक- एस.एस.ए./के.जी.बी.वी./3214-19/2025-26 दिनांक- 11.07.2025

प्रेस-विज्ञप्ति

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक के.जी.वी.वी./1296/2025-26 दिनांक 23 मई 2025 के अनुपालन के क्रम में जनपद में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मझवां व मडिहान में खेल उपकरण व किट सामग्री आपूर्ति हेतु जेम निविदा संख्या GEM/2025/B/6443487 के द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा में इच्छुक निविदादाता जेम पोर्टल के माध्यम से उक्त आमंत्रित निविदा के निर्धारित तिथि एवं समयनुसार प्रतिभाग कर सकते है।

(अनिल कुमार वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर

कार्यालय नगर निगम/कोटा निदेशक

ई.पत्रांक :- नगरनि0/प्रशासन/निविदा/2025/448-462 दिनांक :-10.07.2025

ई-निविदा सूचना संख्या : 25/2025-26

नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) द्वारा विभिन्न अभियन्त्रिकी विभागों "A" एवं "AA" श्रेणी एवं नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निम्नांकित कार्यों हेतु कुल राशि 407.58 लाख रुपये की ऑन लाईन निविदायें दिनांक 15.07.2025 से दिनांक 25.07.2025 तक आमन्त्रित की जाती है। टेन्डर डैये जाने, प्राप्त करने की तिथि व निविदा की शर्तें इत्यादि नगर निगम की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/nnks http://spco.rajasthan.gov.in http://eprocs.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (लाखों में)
1	नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में स्थित मालीपुरा, धोबड़ा श्मशान एवं अन्य श्मशान में आवश्यक मरम्मत/निर्माण व सौन्दर्यकरण का कार्य एवं अन्य विकास कार्य।	127.63
2	नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में स्थित सुभाष नगर मुक्तिधाम एवं अन्य मुक्तिधाम में दिवार निर्माण, डामरीकरण, स्नानघर एवं आवश्यक मरम्मत/निर्माण व सौन्दर्यकरण का कार्य एवं अन्य विकास कार्य।	131.03
3	नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में स्थित सुभाष नगर मुक्तिधाम में एवं विभिन्न मुक्तिधाम में जी.आई. शीट रूफिंग का कार्य एवं अन्य सौन्दर्यकरण/विकास कार्य।	148.92

NIB Code No DLB2526AA3461 UBN No DLB2526WS0810834
UBN No DLB2526WS0810836 UBN No DLB2526WS0810838

सा.सं./कोटा/सी/25/8073 अधिशाषी अभियन्ता

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० मत्स्य पालन निदेशालय, वाहन टैक्स भवन, मीरजापुर/वाराणसी-231001

संदर्भ सं./Ref. No.398/विज्ञापन/25-26 दिनांक/Date- 11.07.2025

सार्वजनिक सूचना

जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी०, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं0 613/2022 में एम०ए० नं0 57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के बिन्दु संख्या 76 में दिये गये निर्देश का अनुपालन क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों यथा वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर एवं भदोही में सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जन-मानस /संस्थाओं आदि से सुनिश्चित किये जाने हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नवत् अपील करता है:-

"उपरोक्त आदेश की तिथि 26.07.2024 से समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में अनधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, ऊसरभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, पीडब्ल्यूडी या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट के निस्तारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक ऐसी घटना के लिए, दोषी को प्रथम बार में रू0 5,000/- तथा अंतिम हेतु रू0 10,000/- एवं वृद्ध अपशिष्ट निस्तारण को श्रेणी तथा उत्पादक, यूएसवी या इसके लिए निम्नेटार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा निस्तारण की किसी भी घटना के मामले में प्रथम बार में रू0 25,000/- और अग्रिम हेतु रू0 50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय होगी। दोषियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नगर निगम / नगर पंचायत परिषद/नगर पंचायत के नामित अधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी भी दोषी पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के हकदार होंगे। उक्त प्रक्रिया में वसूल की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत / यूपीपीसीबी के पास जमा किया जाएगा। भुगतान न किए जाने की स्थिति में, उपर्युक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। वसूली गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का उपयोग संबंधित नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।"

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

PURVANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD

SUPERINTENDING ENGINEER (ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE) CHANDAULI

Short Term E-Tenders Notice Dated: 12.07.2025

Tender No. & Work Details

1. GeM Portal/01/EDC(C)/2025-26, Supply of Computer Operators (Office Work) in the area of Circle Office, EDD-Chandauli / Mughalsarai / Sakaldiha, ETD-Chandauli, Pravartan Dal-Chandauli, Anti Power Theft Police Station-Chandauli and Social Media Operators Through GEM Portal under the EDC Chandauli. Tender Fee (Inclusive of GST) - 3540.00, EMD Fee-64645.00.
2. GeM Portal/02/EDC(C)/2025-26, Supply of Computer Operators (Revenue Collection & Office Work) for Cash Counters in various Divisions/Sub-Divisions under EDC-Chandauli through Gem Portal. Tender Fee (Inclusive of GST) - 3540.00, EMD Fee-62490.00

जवाहर नवोदय विद्यालय गाजीपुर उ०प्र०

एफः 3-1/जनविभ्/2025-26/373 दिनांक- 11.07.2025

अल्पकालिक निविदा सूचना

जवाहर नवोदय विद्यालय, गाजीपुर, उ०प्र० में सत्र 2025-26 हेतु दिनांक 20/05/2025 को नामित अध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त दिनांक 24/05/2025 को निविदा प्रकाशित की गई थी एवं दिनांक 16/06/2025 को क्रय सलाहकार समिति के समक्ष खोली गई थी। जिसमें नीचे दिए गए मदों की निविदा की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण पुनः निम्न सामानों की आपूर्ति एवं मरम्मत व रखरखाव हेतु सभी पंजीकृत व अधिकृत फर्म जो उस वस्तु का व्यापार कर रहें हो, से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म रू0 300/- (तीन सौ) नगद, पृथक-पृथक मदों हेतु जमा कर विद्यालय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 09:00 बजे से सांय 04.00 बजे तक प्रकाशन की तिथि से दिनांक 24.07.2025 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरी हुई मुहरबन्द निविदाएं विद्यालय में रखे निविदा पेटिका एवं पंजीकृत डाक दोनों से ही दिनांक 26.07.2025 को अपराह्न 04.00 बजे तक प्राप्त होने पर स्वीकार की जायेंगी। सभी प्राप्त निविदाओं को प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, गाजीपुर, उ०प्र० द्वारा विद्यालय क्रय सलाहकार समिति की बैठक में एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 28.07.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्राचार्य कक्ष में खोल कर उन पर निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, क्रय सलाहकार समिति के पास सुरक्षित है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

निविदा फार्म क्रय हेतु आवेदन पत्र फर्म के लेटर पैड पर तथा फर्म के जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं वर्ष 2024-25 की आयकर रिटर्न की छायाप्रति साथ संलग्न करते हुए आवेदन करने पर ही निविदा फार्म दिया जायेगा। गणवेश धुलाई व प्रेस कराई को जीएसटी प्रमाण पत्र एवं आयकर रिटर्न की आवश्यकता नहीं है। केवल सादे कागज पर बिना वांछित प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म हमारे website https://www.navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/GHAZIPUR/en/home/ पर उपलब्ध है, इसे डाउन लोड कर सम्यग्नित अर्ह निविदादाता जमानत राशि तथा निविदा शुल्क व जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ भर सकता है।

आवश्यक सामग्रीः 1. गणवेश धुलाई व प्रेस कराई, 2. सी०सी०टी०वी० कैमरा सामग्री व वार्षिक रख-रखाव, 3. कम्प्यूटर वार्षिक रख-रखाव व सामग्री, 4. आर०ओ० वार्षिक रख-रखाव एवं मरम्मत तथा सामग्री।

उपरोक्त सामग्री क्रय के मामले में समस्त विवाद का निपटारा इस जिले के

ई-नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति के तरफ से मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), पूर्व मध्य रेल, पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल द्वारा निम्न वर्णित पार्किंग स्टैंड के संचालन हेतु ई-नीलामी आमन्त्रित किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न है:-

1. कार्य का नाम, स्थान एवं पूर्ण अवधि: AA/1 - पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सार्वजनिक एरिया में स्थित दो पहिया वाहन पार्किंग स्टैंड का संचालन 03 वर्ष के लिए। ई-नीलामी कैटलॉग संख्या : PARK-DDU-25-18, ई-नीलामी सेट संख्या : PARKING-DDU--DDU-TW-22-25-1, ई-नीलामी की तिथि एवं समय: ई-नीलामी दिनांक 24.07.2025 को 12.00 बजे शुरू होगी और 17.30 बजे बंद होगी।

वेबसाइट का पता जहां ई-नीलामी का पूर्ण विवरण उपलब्ध है – www.ireps.gov.in (E-auction Leasing)

मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य)
पूर्व मध्य रेल/डी०डी०यू०

केवार/ऊर/डी.डी.यू./वीजोलत्त/ई.नी./25-26/28

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना (दो पैकेट प्रणाली)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक/इंजीनियरिंग/पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु अनुबंधित खुली ई-

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b0725b9fb4&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1836343565686032116&simpl=msg-f:18363435656860...

...ई भी कार्रवाई ... सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हुए प्रदर्शन किया।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मीरजापुर

प्रेस विज्ञप्ति

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक के०जी०वी०वी० / 1296 / 2025–26 दिनांक 23 मई 2025 के अनुपालन के क्रम में जनपद में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मझवां व मडिहान में खेल उपकरण व किट सामग्री आपूर्ति हेतु जेम निविदा संख्या GEM / 2025 / B / 6443487 के द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा में इच्छुक निविदादाता जेम पोर्टल के माध्यम से उक्त आमन्त्रित निविदा के निर्धारित तिथि एवं समयनुसार प्रतिभाग कर सकते है ।

(अनिल कुमार वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर

पत्रांक : एस०एस०ए० / के०जी०वी०वी० / 3214–19 / 2025–26 दिनांक 11.07.2025

कार्यालय ग्राम पंचायत रसूलपुर, विकास खण्ड-कोपागंज, मऊ

निविदा सूचना – वित्तीय वर्ष 2025-26 में पन्द्रहवां वित्त/पंचम राज्य वित्त/ मनरेगा/ एस०एल०डब्लू०एम०/ /कामन सर्विस सेन्टर/बहुद्देशिय पंचायत भवन/अन्त्येष्टिस्थल एवं अन्य मदों/योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत मद से कराए जाने वाले कार्यों के लिए कार्य रचल पर निम्नलिखित सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता प्रकाशन तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सीलबन्द निविदा जमा कर सकते है, जो निविदा हेतु गठित समिति के सदस्यों के सामने खोली जाएगी, सामग्री का विवरण निम्नलिखित है। 1– ईंट 150एम.एम प्रथम श्रेणी प्रति हजार, 2– सीमेन्ट प्रति बैग, 3–महीन बालू/सफेद बालू प्रति घनमीटर, 4–स्टील ब्लास्ट (परथर गिट्टी) 224एम.एम. से 53 एम.एम. (अलग–अलग) प्रति घनमीटर, 5– तारिया प्रति कुन्तल, 6.–एग्रेट्सशीट, पैनलीट, दरवाजा, खिड़की प्रति कुन्तल/प्रति नग, 7– ह्यूम पाइप 300, 350, 450, 600, 900 एम.एम.पी.3 प्रति नग, 8– सोलर लाइट प्रति नग, 9– इण्टरलाकिंग ईंट 200 गुणे, 160 गुणे, 80 एम.एम. प्रति हजार, 10– पटिया जी.आई. पाईप साकेट– प्रति नग, 11– मोटा बालू प्रति घनमीटर, 12–ईंट गिट्टी 20 एम.एम./40 एम.एम. प्रति घनमीटर, 13–हैण्डसम्प सामग्री इण्डिया मार्का II हैण्डसम्प मरम्मत प्रति नग, 14– साइन बोर्ड डस्टबीन व अन्य सामग्री प्रति नग, 15 घूना, ब्लिचिंग पाउडर, पेन्ट, थिनर/पर प्रति कि.ग्रा., 16– व्यक्तिगत बायो गैस प्लांट, 17– सामुदायिक एवं संस्थागत कचरा पात्र, 18–कचरा वाहन (साइकिल रिक्शा/ई–रिक्शा) 19–स्वच्छता किट, 20–सामुदायिक संस्थागत इन्सिनरेटर (भस्मक) 21–सीमेन्टेड ईंच, 22– एट्रिटलाईट, 23– प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, 24– आर०आर०सी० सेन्टर, 25– भूसा, घोकर, नमक, लकड़ी व गुड़। प्रतिबन्ध एवं शर्तें ग्राम पंचायत के कार्यालय पर उपलब्ध है तथा ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय पर उपलब्ध है। निविदादाता प्रत्येक कार्य की अलग–अलग निविदा डालने हेतु स्वतंत्र है।

गौरव यादव (सचिव) फैसल खान (ग्राम प्रधान)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड LiFE

पर्यावरण संरक्षण हेतु जीवन शैली

सार्वजनिक सूचना

जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी०, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 613 / 2022 में एम०ए० नं० 57 / 2025 राम मिलन साहनी बनाम रटेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के बिन्दु संख्या 76 में दिये गये निर्देश का अनुपालन क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों यथा वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर एवं भदोही में सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जन–मानस / संस्थाओं आदि से सुनिश्चित किये जाने हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नवत् अपील करता है :–

"उपरोक्त आदेश की तिथि 26.07.2024 से समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में अनधिकृत स्थानों विशेष रूप से सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, पीडब्ल्यूडी या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट के निस्तारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक ऐसी घटना के लिए, दोषी को प्रथम बार में रू० 5,000/– तथा अग्रिम हेतु रू० 10,000/– एवं वृहद अपशिष्ट निस्तारण की श्रेणी यथा उत्पादक, यूएलबी या इसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा निस्तारण की किसी भी घटना के मामले में प्रथम बार में रू० 25,000/– और अग्रिम हेतु रू० 50,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय होगी। दोषियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के नामित अधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी भी दोषी पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के हकदार होंगे। उक्त प्रक्रिया में वसूल की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संबंधित नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / यूपीपीसीबी के पास जमा किया जाएगा। भुगतान न किए जाने की स्थिति में, उपर्युक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। वसूली गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का उपयोग संबंधित नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत द्वारा अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक : 399 / विज्ञापन / 25–26, दिनांक 11.07.2025

...पागंज, मऊ
/ एस०एल०डब्लू०एम०/
तर्गत ग्राम पंचायत मद से
आमंत्रित की जाती है।
कार्यालय पर सीलबन्द
एगी, सामग्री का विवरण
तेन बालू/सफेद बालू प्रति
प्रति घनमीटर, 5– तारिया
ह्यूम पाइप 300, 350,
200 गुणे, 160 गुणे, 80
ते घनमीटर, 12–ईंट गिट्टी
य मरम्मत प्रति नग, 14–
टेण्पर प्रति कि.ग्रा., 16–
कचरा वाहन (साइकिल
) 21–सीमेंटेड ईंच, 22–
ग्रा, घोकर, नमक, लकड़ी
ता स्वीकृत कार्यों की सूची
ऊलने हेतु स्वतंत्र है।
न (ग्राम प्रधान)

निर्माण कार्यों की
nnvns.org.in पर
कार्यों का विवरण,

जे से
जे से
जे से
जे तक
जे से

य अभियन्ता
निगम, वाराणसी

जमगढ़

समय से
गार नियोजन
अपराह्न,
ाह गर्म की छिटा से
कि फाइए

...ई–निविदा सूचना संख्या–22/2025

...गया। बाल कल्याण समिति जौनपुर के आदेश के क्रम में 01.11.2023 को राजकीय बालगृह (बालक) रामनगर वाराणसी में आवासित किया गया है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन प्रकाशित होने के दो माह (60 दिन) के अन्दर गुमशुदा बालक के माँ / पिता / अभिभावक / परिजन कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी जौनपुर / बाल कल्याण समिति जौनपुर में साक्ष्य के साथ उपस्थित होकर सम्पर्क करें, अन्यथा उक्त बालक को संस्थान दत्तक ग्रहण में देने के लिये स्वतंत्र होगा। जरिये मो०न०–जिला प्रोबेशन अधिकारी, 7518024045 अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, 9792636278, बाल संरक्षण अधिकारी, चन्दन राय 8115066215 पर भी सम्पर्क कर सकते है। दत्तक ग्रहण की अधिक जानकारी के लिये https://carings.nic.in/ पर सम्पर्क कर सकते हैं।

पत्रांक : 420 / जि०बा०सं०ई० / विज्ञप्ति / सूचना / 2025–26 / दिनांक 11 जुलाई, 2025

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

अनपरा तापीय परियोजना

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

1. ई–निविदा सूचना सं०: 01 / परि०सा०एच० / बताप / 2025–26, अ,ब,द ताप विद्युत गृह अनपरा के टी०जी० हाल, एवं बताप स्कील लैब, एक्सप्रेस लैब, WTP के सफाई सम्बन्धित कार्य हेतु आन लाइन ई–निविदा आमंत्रित की गयी है जिसे http://etender.up.nic.in पर दिनांक: 07.07.2025 को प्रकाशित किया गया है। अनुमानित लागत: रु० 39,26,148.00, अवधि: 02 वर्ष। धरोहर धनराशि: रु० 79,000.00, ऑन लाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक: 18.06.2025 (16:00 बजे तक) है।

2. अल्पकालीन ई–निविदा सूचना सं०: 02 / जा०अनु०सं०–8 / अताप / 2025–26, 2x500 मे०वा० अनपरा 'द' ताप स्थित तकनीकी भवन के बाहर वाहन पार्किंग शेड बनाने के कार्य हेतु आन लाइन ई–निविदा आमंत्रित की गयी है जिसे http://etender.up.nic.in पर दिनांक: 08.07.2025 को प्रकाशित किया गया है। अनुमानित लागत: रु० 6,07,015.00, अवधि: 03 माह। धरोहर धनराशि: रु० 16,000.00, ऑन लाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक: 22.07.2025 (16:00 बजे तक) है।

3. ई–निविदा सूचना सं०: N-ANP/A/AHD/6000008740, 3x210 मे०वा० अनपरा 'अ' तापीय परियोजना के ओवरहालिंग ऑफ एच०पी० / एल०पी० बॉयलर पाइप लाइन एवं बाल्व ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट 3, 3x210 मे०वा० अताप, अनपरा के कार्य हेतु आन लाइन ई–निविदा आमंत्रित की गयी है जिसे http://etender.up.nic.in पर दिनांक: 08.07.2025 को प्रकाशित किया गया है। अनुमानित लागत: रु० 4,20,000.00, अवधि: 12 माह धरोहर धनराशि: रु० 8,000.00, ऑन लाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक: 30.07.2025 (10:00 बजे तक) है।

4. ई–निविदा सूचना सं०: 155 / क०सं०–1 / DTPS/2025-26, अनपरा 'अ' तापीय परियोजना के लिए Supply of multimeter and others instrument items की आपूर्ति हेतु, आन लाइन ई–निविदा आमंत्रित की गयी है जिसे http://etender.up.nic.in पर दिनांक: 04.07.2025 को प्रकाशित किया गया है। अनुमानित लागत: रु० 5,35,592.00, धरोहर धनराशि: रु० 6,000.00, ऑन लाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक: 28.07.2025 (16:00 बजे तक) है।

5. ई–निविदा सूचना सं०: N-ANP/A/AHD/6000008741, 3x210 मे०वा० अनपरा 'अ' तापीय परियोजना के ओवरहालिंग ऑफ फ्लसिंग अपरेटस चैटिंग नोजल, वॉल्व, नोजल बॉडी ऑफ ई०एस०पी० सिस्टम ऑफ यूनिट 3, 3x210 मे०वा० अताप, अनपरा के कार्य हेतु आन लाइन ई–निविदा आमंत्रित की गयी है जिसे http://etender.up.nic.in पर दिनांक: 08.07.2025 को प्रकाशित किया गया है। अनुमानित लागत: रु० 4,50,000.00, अवधि: 12 माह धरोहर धनराशि: रु० 8,000.00, ऑन लाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक: 30.07.2025 (10:00 बजे तक) है।

6. ई–निविदा सूचना सं०: टी–157 / क०सं०–1 / बताप / 2025–26, अनपरा तापीय परियोजना के 400 / 132 KV switchyard के लिए different types of fuses and MCB की आपूर्ति हेतु आन लाइन ई–निविदा आमंत्रित की गयी है जिसे http://etender.up.nic.in पर दिनांक: 07.07.2025 को प्रकाशित किया गया है। अनुमानित लागत: रु० 3,14,848.00, धरोहर धनराशि: रु० 3500.00, ऑन लाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक: 02.08.2025 (16:00 बजे तक) है।

7. ई–निविदा सूचना सं०: 01 / क्षो०एच०सं० / वि०सं०सं०–प्रथम / बताप / 2025–26, 3x210 मे०वा० अनपरा 'अ' तापीय परियोजना के इकाई सं० 03 के अधीनस्थ विभिन्न क्षमताओं के 6.6 के०वी० मोटर्स (17 नग) के ओवरहालिंग के कार्य सम्पादन (स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार) के हेतु आन लाइन ई–निविदा आमंत्रित की गयी है जिसे http://etender.up.nic.in पर दिनांक: 05.07.2025 को प्रकाशित किया गया है। अनुमानित लागत: रु० 5,85,192.00, अवधि: 12 माह। धरोहर धनराशि: रु० 11,700.00, ऑन लाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक 09.08.2025 (16:00 बजे तक) है।

Hindustan hindi paper dt. 12.07.2025

...खने हेतु खुली नीलामी फिर्से किये जाने हेतु दिनांक 08.07.2025 को लिये निविदित थी, जो कि आपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निरस्त कर दी गई। उक्त बैसखी चौथी पुनः दिनांक 19.07.2025 को प्रातः 11.00 बजे स्थान नगर पालिका कार्यालय में आयोजित की जायेगी। शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर

कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (पूडा) मऊ

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशासन कार्यालय के पत्रांक 1025-30 दिनांक 28.04.2025 द्वारा प्रकाशित ई-निविदा पोर्टल https://etender.up.nic.in पर अनुबंध मुख्यमंत्री ग्रामीण अल्पसंख्यक एवं पलिन बस्ती विकास योजना अन्तर्गत इण्टरलॉकिंग/सी.सी. सड़क व पानी निर्माण के कुल 236 कार्यों में से 165 कार्यों का सत्यापित / निर्माण एजेंसियां अवगत हो जाने के कारण इन 165 कार्यों हेतु दिनांक 11.07.2025 से 19.07.2025 सायं 05.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की गयी है। प्राप्त ई-निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 21.07.2025 को अपराह्न 12.00 बजे, मूडा कार्यालय मऊ में खोली जायेगी।

https://etender.up.nic.in पर उक्त निविदाओं की विस्तृत जानकारी हेतु साम-उबेब पावले देखी जा सकती है।

परियोजना अधिकारी
पूडा-मऊ

क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जवाहर बाग, बैलपुर, खामरी-222010

सार्वजनिक सूचना

...

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला उद्यान अधिकारी, जौनपुर के अधीन अजगर में संचालित मृदा सर्वेक्षण फैक्टशालाओं, पॉलीटेक्निक एवं बकरा में पौध उत्पादन एवं पृष्ठ पुनर्संवर्धन योजना के तहत पौध उत्पादन तथा राजकीय औद्योगिक प्रक्षेत्र परमानन्दपुर केराकत में एग्रोफारेस्ट्री के तहत वर्तमान पौधों के उत्पादन हेतु पालीथीन पौध (थैली) 55 & 65 माइक्रान साइज 4"x6", 5"x7", 6"x9", 8"x10" की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पालीथीन पौध के पूरा निर्माता, जारी शर्तों एवं अनुबन्धों के साथ दिनांक 14 जुलाई, 2025 से दिनांक 18 जुलाई, 2025 अपराह्न 05:00 बजे तक किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 500/- नगद मूल्यवर्धित टैक्स से कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर से प्राप्त कर सकते है, जो दिनांक 19 जुलाई, 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे तकनीकी निविदाओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। यह निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य होगी।

(डॉ सीमा सिंह राणा)
जिला उद्यान अधिकारी
जौनपुर।

...nanuabadgulmission.up.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। https:// पर निविदा दस्तावेज देखे जा सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए मुख्य कृषि निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

आवेदन प्रारम्भ की तिथि 14-07-2025
आवेदन की अन्तिम तिथि 13-08-2025

नोटः उक्त की समस्त आय पत्रों, आवश्यक एवं आवश्यक परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित होगा।

प्रदत्त 22555 दिनांक 11.07.2025
Website: www.upgov.nic.in

निदेशक निदेशक,
कृषि शाखा मुख्य
निदेशक

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर

द्वितीय बार अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना
ई-टेण्डरिंग पद्धति

No. 2726 /LB-M/2025-26 दिनांक 09.07.2025

...

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	...	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	...	30.00	3.000	...	...
2	...	30.00	3.000	...	...
3	...	30.00	3.000	...	...
4	...	30.00	3.000	...	...
5	...	30.00	3.000	...	...
6	...	30.00	3.000	...	...

...

प्रदत्त 22555 दिनांक 11.07.2025
Website: www.upgov.nic.in

(सन्दीप सिंह राठौड़)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोकनिर्माण
मीरजापुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जलकर निर्माण खण्ड-द्वितीय पिपरी-सोनभद्र

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 02/जल्का/2025-26

...

क्र. सं.	कार्य का विवरण	धरोहर धनराशि (रुपये में)	अधिकतम कार्य पूर्ण करने की अवधि	बिक्री प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	अन्य शर्तें
1	2	3	4	5	6
1	Lightening Arrester at Spillway Radial Gate to protect electrical and instrumental Including Hydro Mechanical equipment etc. at Kachar Dam for safety of Dam ...ance Plan no. 01	4/-	...	25 दिवस	2500+250 (GST)= 2750.00

...

अधिशासी अभियन्ता
जलकर निर्माण खण्ड-द्वितीय

17	गर्मी प्रकार के कार्यालय प्रसा. हार्डवेयर
18	किये मार्ट/मार्ट / एजेंसी
19	मोबाईल कंपनी से संबंधित काम
20	मोबाईल कंपनी से संबंधित स्टोर
21	ई-रिक्शा
22	अवैध निर्माण
23	धरा
24	ई-मैसर्स/अवैध एजेन्सी
25	दो-चक्रीय एजेन्सी
26	एवं चक्रीय या अन्य कृषा एजेन्सी
27	सभी प्रकार के सर्वेक्षण सेन्टर / पुलवर्ती सेन्ट
28	बैंक में किये जा रहे इन्वर्टीरा
29	इन्वर्टीरा कम्पनी प्रति दुकान
30	पिता की दुकान
31	सभी प्रकार के पिता काम
32	अवैध पैकरी / दंडी
33	किराना दीकान्ट
34	दंडी मात्रा प्रति दुकान
35	दिवंगती कपास प्रति दुकान
36	समस्त प्रकार के अधुपत्र केन्द्र (दुका
37	समस्त प्रकार के अधुपत्र केन्द्र या से
38	विभिन्न दाम
39	कपड़े की बड़ी दुकान
40	फर्नीचर दुकान / एसाईड को-ऐप
41	कोचिंग सेन्टर
42	लाउडेरी
43	जिम
44	इलेक्ट्रानिका को-ऐप/बड़ी दुकान
45	टाईल्स/मार्बल / सैनेटरी पैक्स दुकान
46	चालू/सीमेन्ट/पक्षिय निर्माण मैटीरि
47	पैट्रोल/डीजल पम्प का भी.एच.जी. प
48	गैस एजेन्सी
49	मोबाइल दुकान
50	मोबाइल को-ऐप
51	मोबाइल सर्विस सेन्टर
52	फोटोग्राफ सेन्टर / ड्रायलेबर्ट
53	प्रिंट शाप/मीडियालय
54	पढ़े हाल/पीडाकलय
55	प्रिंटिंग प्रेस
56	सामान्य मेडिकल स्टोर
57	हॉस्पिटल में सम्बद्ध मेडिकल स्टो सम्बन्धित मेडिकल स्टो
58	पेडिकल एजेन्सी
59	फुटकर किराना स्टोर
60	थोक किराना स्टोर
61	R.O. प्लाट
62	समस्त प्रकार के शराब
63	एण्टरप्राइज सेवा प्रदाता कम्पनी
64	अण्डा मिल
65	पुस्तकालय
66	बड़े आटो पार्ट्स/ऐक्सेसरीज पार्ट
67	दो-पहिया/तीन-पहिया/चार एजेन्सी- शोरूम
68	अवैध मकान
69	प्राइवेट चार्टर्ड इन्जीनियर
70	प्रतिभूति सुरक्षा
71	पशु पर अर्थना

...

दण्डित अधिनियम एक्ट, 19...
...चलिया परिषद,जौनपुर यह विज्ञप्ति ...या रु. 10000.00 (दस हजार) ...ना होगा।

(पवन कुमार)
...जिस्ट्रार कॉपरेटिव
...या ऑफिस चौक, जौनपु

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं./Ref.No. 400/म.स.का.को.'ट'/मा.स.सं. 613/2022/25-26 दिनांक/Date 11-7-25

सेवा में,

संलग्न सूची 'क' (कुल सं0 35)।

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2022 में एम0ए0 सं–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच.29673/डब्ल्यू0एम0डी0/एम.ए.–57/सा.42/2025, दिनांक 30.06.2025 जो मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 613/2022 में एम0ए0 सं–57/2025 राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

".....76. Accordingly, we specifically direct that there shall be complete prohibition on littering/dumping of Solid Waste at unauthorized places particularly roadsides, rivers, waterways, wetlands, lakes, nalas, panchayat or revenue lands, land owned by PWD or other various authorities in the entire State of Uttar Pradesh with effect from the date of this order and for each such incident of default, violator shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5,000/- in case of first instance and Rs. 10,000/- in case of any further instance of littering/dumping of solid waste not falling in the category of bulk waste and Rs. 25,000/- in case of first instance and Rs. 50,000/- in case of any further instance of littering/dumping of bulk waste by any bulk waste generator, concessionaire, ULB or any other person or body responsible for the same. The concerned Commissioner of Municipal Corporation or the concerned Executive Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall designate appropriate number of officers thereof for imposing environmental compensation on the violators. In addition to such designated Officers of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, the Regional Officer, UPPCB shall also be entitled to impose environmental compensation from the violators. Environmental compensation so imposed/realized shall be deposited with the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat/UPPCB. In case of non-payment the environmental compensation as mentioned above shall be recovered as arrears of land revenue by the Competent Authority in accordance with law. Environmental compensation so realized shall be utilized by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for proper management and processing of Solid Waste within its respective jurisdiction.

77. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and the Member Secretary, UPPCB are directed to ensure adequate publicity of this direction through electronic and print media and also through hoardings, banners etc for due compliance by all concerned. The concerned Municipal Corporation/Municipal Committee/Nagar Panchayat shall also make due publicity through hoardings, banners etc at appropriate places. ....."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 की प्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश में उल्लिखित विषय वस्तु पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किये जाने की कृपा करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. नोडल (डब्ल्यू0एम0डी0), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी क्षेत्रांतर्गत आच्छादित जनपदों यथा वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुद एवं भदोही में स्थित स्थानीय निकायों की सूची 'क'।

क0सं0स्थानीय निकाय का नाम

1. नगर निगम, वाराणसी।
2. नगर पंचायत, गंगापुर, वाराणसी।
3. छावनी परिषद, कैण्ट, वाराणसी।
4. नगर पालिका परिषद, पं0 दिन दयाल उपाध्याय नगर।
5. नगर पंचायत, सैयदराजा, चन्दौली।
6. नगर पंचायत, चकिया, चन्दौली।
7. नगर पंचायत, चन्दौली।
9. नगर पालिका परिषद, मुहम्मदाबाद गाजीपुर।
10. नगर पालिका परिषद, जमानिया गाजीपुर।
11. नगर पालिका परिषद, गाजीपुर।
12. नगर पंचायत, सैदपुर गाजीपुर।
13. नगर पंचायत, सादात, गाजीपुर।
14. नगर पंचायत, बहादुरगंज गाजीपुर।
15. नगर पंचायत, जंगीपुर गाजीपुर।
16. नगर पंचायत, दिलदार नगर, गाजीपुर।
17. नगर पालिका परिषद, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर।
18. नगर पालिका परिषद, शाहगंज, जौनपुर।
19. नगर पालिका परिषद, जौनपुर।
20. नगर पंचायत, खेतासराय, जौनपुर।
21. नगर पंचायत, केराकत जौनपुर।
22. नगर पंचायत, गौराबादशाहपुर जौनपुर।
23. नगर पंचायत, जफराबाद जौनपुर।
24. नगर पंचायत, कचगांव जौनपुर।
25. नगर पंचायत, मड़ियाहूँ जौनपुर।
26. नगर पंचायत, मछलीशहर, जौनपुर।
27. नगर पंचायत, बदलापुर, जौनपुर।
28. नगर पंचायत, रामपुर, जौनपुर।
29. नगर पालिका परिषद, भदोही।
30. नगर पालिका परिषद, गोपीगंज भदोही।
31. नगर पंचायत, ज्ञानपुर भदोही।
32. नगर पंचायत, घोसिया भदोही।
33. नगर पंचायत, खमरिया भदोही।
34. नगर पंचायत, नई बाजार भदोही ।
35. नगर पंचायत, सुरियावां भदोही।

T.E